लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ६, १९६२/१८८४ (शक)

६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Preservation
Fumigated On
Parliament Library

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ६—अंक १ से १०—६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)]

अंक १—सोमवार, ६ अगस्त, १९६२, १५/श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से १३	१—२७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४ से ३५ और ३७ से ४८	२७—४७
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३, २५ से ६०, ६२ से ६९ और ७१ से ७६	४७—७८
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	७८—७९
निधन सम्बन्धी उल्लेख	७९—८०
औचित्य प्रश्न के बारे में	८०—८२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८०—८२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३
लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य	८३—८७
वित्त मंत्री की हाल की पश्चिमी यूरोप की यात्रा के बारे म वक्तव्य	८७—९०
डुमराव में हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	९०—९१
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक	९१—११५
विचार करने का प्रस्ताव	९१—११२
खंड २ से २४ और १	११३—११५
पारित करने का प्रस्ताव	११५
कार्य मंत्रणा समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन	११५
दैनिक संक्षेपिका	११६—२४

अंक २—मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२/१६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५६ और ८७	१२५—४७
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १	१४७—४९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७ से ८६ और ८८ से ९१ . .	१४९—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १५४, १५६ से १५९, १६१ से १८४ और १८६ से २१४ .	१६८—२३१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३१—३५
समिति के लिये निर्वाचन—	२३५
भारतीय परिचर्या परिषद् . . .	२३५
कार्य मंत्रणा समिति—	२३६
तीसरा प्रतिवेदन . .	२३६
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक—	२३६—३७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	
आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक .	२३८—४५
विचार करने का प्रस्ताव . . .	
खंड २, ३ और १	
पारित करने का प्रस्ताव . . .	
प्रत्यर्पण विधेयक .	२४५—६०
विचार करने का प्रस्ताव . .	
खंड २ से ३७ और १ . . .	
पारित करने का प्रस्ताव .	
दैनिक संक्षेपिका	२६१—७१
अंक ३—बुधवार, ८ अगस्त, १९६२/१७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १०२ .	२७३—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न	२९८—३०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १४३	३०१—२२
अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २३३, २३५ से २९६, २९८ से ३२८, ३३० से ३४२, ३४४ और ३४५ . .	३२२—७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३७४—७५
राज्य सभा से सन्देश . . .	३७५—७६
सदस्यों की गिरफ्तारी .	३७६

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	३७६
सभा का कार्य	३७७
सीमा शुल्क विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	
भूमि ग्रर्जन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	३७७—७८
भूमि ग्रर्जन (संशोधन) ग्रध्यादेश के बारे में वक्तव्य	३७८
प्रत्यर्पण विधेयक—	
पारित करने का प्रस्ताव	
हिन्दू दत्तक ग्रहण ग्रौर पोषण (संशोधन) विधेयक .	३७८—८१
विचार करने का प्रस्ताव . .	३८१—६१
खण्ड २ से ४ ग्रौर १	३६१
पारित करने का प्रस्ताव	३६१—६३
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक कारण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . .	३६३—६६
दैनिक संक्षेपिका	४००—०६
ग्रंक ४—गुरुवार, ६ ग्रगस्त, १६६२/१८ श्रावण, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १५३ ग्रौर १५ १६ .	४११—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५४ ग्रौर १६५ से १७१ . .	४३६—४२
ग्रतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३८५ ग्रौर ३८७ से ४२२ .	४४२—७८
ग्रौचित्य प्रश्न के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८—७६
रेल दुर्घटनाग्रों के बारे में वक्तव्य	४७६
सभा का कार्य	४७६—८०
विशिष्ट सहायता विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४८०—८८
छोटी कार बनाने के बारे में वक्तव्य	४८८—६०

विषय	पृष्ठ
महा प्रशासक विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४६०—६२
दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का खराब होना . .	४६२—५१५
दैनिक संक्षेपिका . . .	५१६—२१
अंक ५—शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२ /१९ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७४, १७५, २१०, १७६, १७७, २०६, १७८, १७९ से १८२ . .	५२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३, १८३ से २०५, २०७ से २०९, २११ से २१४	५४५—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२३ से ४९७, ४९९ से ५२१, ५२३ से ५३० और ५३२ से ५३८	५६०—६१०
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१०—१४
दिल्ली में बिजली के संभरण के खराब हो जाने के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री का वक्तव्य . . .	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रामकृष्णपुरम में पीने के पानी की कमी . . .	६१५—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६१७–१८
सदस्यों को सजा	६१८
पश्चिमी बंगाल में कोयला खनन के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच करार के सम्बन्ध में वक्तव्य .	६१८–१९
सभा का कार्य . . .	६१९—२०
समितियों के लिये निर्वाचन—	
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . .	६२०—२१
प्राक्कलन समिति	
सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के बारे में प्रस्ताव .	६२१—३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन . . .	६३५—३६
मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में संकल्प . . .	६३६—३९
अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प	६३९—५४

विषय	पृष्ठ
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में संकल्प	६५४
सदस्य की गिरफ्तारी	६५४
दैनिक संक्षेपिका	६५५—६३
अंक ६—सोमवार, १३ अगस्त, १९६२/२२ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२३, २२५, २२७ से २३१	६६५—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२४, २२६, २३२ से २६८	६९३—७१४
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३९ से ५६० और ५६२ से ६४५	७१४—६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७६१–६२
सदस्य को सजा	७६२–६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३	७६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२–६३	७६३
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) अणुशक्ति विधेयक	७६३
(२) अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	७६३–६४
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव	७६४—९८
सभा का कार्य	७९८
दैनिक संक्षेपिका	७९९—८०७
अंक ७—मंगलवार, १४ अगस्त, १९६२/२३ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६९ से २७८, २८० से २८४, २८६ और २८८	८०९—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७९, २८५, २८७, २८९ से २९३ और २९५ से ३१३	८३६—४७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६५०, ६५२ से ६८८ और ६९० से ७२५	८४७—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पश्चिम बंगाल पाकिस्तान सीमा के साथ साथ पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा खाइयां खोदे जाने का कथित समाचार	८७८–७९

विषय	पृष्ठ
(२) काशीपुर के निकट एक बस और मालगाड़ी की टक्कर	८७९—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	८८१
दिल्ली में बिजली के संभरण की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	
श्री अलगेशन	८८१—८२
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	
श्री जवाहरलाल नेहरू	८८२—९२
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	८९२—९११
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन .	९११
दैनिक संक्षेपिक	९१२—१८

अंक ८—गुरुवार, १६ अगस्त, १९६२/२५ श्रावण, १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ से ३१६, ३४५, ३१७ से ३२६ और ३२८	९१९—४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . .	९४४—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ३२७, ३२९ से ३४४ और ३४६ से ३५३ .	९४६—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२६ से ८३९ .	९५९—१०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	१०१३—१६
(१) पुनर्वास विभाग के कलकत्ता स्थित शाखा कार्यालय का बन्द किया जाना	
(२) दिल्ली में लाल किले के निकट हुआ विस्फोट . .	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०१७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१०१७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१०१८—२७
सभा का कार्य	१०२८
रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . .	१०२८—४२
दैनिक संक्षेपिका	१०४३—४९

विषय | पृष्ठ

क ६—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९६२/२६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६१, ३६४, ३६७ और ३६९ से ३७२ १०५१—७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १०७४—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६२, ३६३, ३६५, ३६६, ३६८ और ३७३ से ४०२ १०७७—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४० से ९५२, ९५४ से ९६१, ९६३, ९६४, ९६६ से ९७३ और ९७५ से ९८५ . . . १०९३—११५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक खेल संवाददाता पर कथित आक्रमण . . . ११५२–५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५३–५४

रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . . ११५४—८०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . . ११८१—८२

विधेयक पुरस्थापित— ११८२–८३

(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०० और १८९ का संशोधन [श्री म० ला० द्विवेदी का] . . . ११८२

(२) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १२४ और २१७ का संशोधन) [श्री कृ० च० शर्मा का] . . ११८२–८३

अस्पृष्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्धया का] वापिस लिया गया

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ११८३—९१

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का] . . . . ११९१—९३

विचार स्थगित किया गया

विचार करने का प्रस्ताव

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७-ख का लोप) [श्री म० ला० द्विवेदी का]

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ११९३—९५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ११९६—१२०५

विषय पृष्ठ

अंक १०— शनिवार १८ अगस्त १९६२/२७ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०३, ४२८, ४०४ से ४०६, ४०८, ४१०, ४११, ४१३ से ४१९, ४२१ और ४२० . . . १२०७—२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०७, ४०९, ४१२, ४२२ से ४२७ और ४२९ से ४३६ . . . . १२२२—४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९८६ से १०७१, १०७३ से १०८६ और १०८८ से १०८९ . . . . १२४०—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . १२८४—८५

सदस्य की दोषसिद्धि १२८५

सभा का कार्य . . . . १२८५—८६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३ . . . १२८६—९३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ . . १२९३—१३०६

राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . . १३०६—१५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १३१६—२२

GMGIPND—LS III—1651 (Ai) LSD—18-12-62—140

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२

१६ श्रावण १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली के लिये बृहद योजना

+

†*४९. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की वृहद् योजना (मास्टर प्लान) को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मोटी रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) उस के कार्यान्वय के लिये कितने वर्ष चाहियें ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ११]**

(ग) दिल्ली के लिये वृहद् योजना, दिल्ली का १९८१ तक विकास करने की है और उस की क्रियान्विति क्रमवार उसी तिथि तक होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

1428(Ai) LSD—1.

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या वृहद् योजना को देश की पंचवर्षीय योजना से एकीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या वृहद् योजना की क्रमबद्ध क्रियान्विति के लिये कोई योजना है ?

†डा० सुशीला नायर : जैसाकि मैं ने बताया यह एक दीर्घकालीन योजना है परन्तु प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अधीन कुछ योजनायें लागू होंगी । निश्चित है कि इन में से कुछ तीसरी योजना, कुछ चौथी योजना, कुछ पांचवीं योजना और इसी प्रकार ही एकीकृत कर दी जायें ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या वृहद् योजना को बनाने वालों ने योजना की क्रियान्विति तथा उस के संगठन के ढांचे का कोई तंत्र बनाया था अथवा बनाने की सलाह दी थी ? अथवा क्या सरकार का विचार इस के लिये अलग तंत्र बनाने का है ?

†डा० सुशीला नायर : इस समय दिल्ली विकास प्राधिकार, जिस ने यह योजना बनाई है, ने कुछ जमीन का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाये, यह बताया है । जहां तक मकान आदि बनाने में वास्तविक क्रियान्विति का संबंध है, इसकी क्रियान्विति कुछ निगम, कुछ भारत सरकार मकान तथा कार्यालय आदि बनाने तथा कुछ गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा दी जायेगी ।

†श्री हरि विष्णु कामत : अस्पष्ट ।

†श्री श्रीनारायण दास : माननीय मंत्री ने बताया कि, वृहद् योजना के विभिन्न पहलू विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित होंगे । मैं उन अभिकरणों को जानना चाहता हूं ?

†डा० सुशीला नायर : अभिकरणों को बताने का प्रश्न नहीं उठता है । मैंने यह बताया कि इस प्राधिकार ने रूपरेखा बनाई है । प्राधिकार ने यह बताया है कि इस क्षेत्र में उद्योग बनाये जायें, इस क्षेत्र में रहने के मकान बनाये जायें । इस क्षेत्र में व्यापार की दुकानें बनाई जायें । अब निर्माण वह अभिकरण करेगा जिस को यह जमीन मिलेगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पीछे समाचारपत्रों में कुछ ऐसे समाचार प्रकाशित हुए थे कि इस मास्टर प्लान में उत्तर प्रदेश और पंजाब के भी कुछ भाग आ गये हैं, और उस समय उन प्रदेशों की सरकारों ने अपने भाग देने के सम्बन्ध में कुछ असहमति व्यक्त की थी । क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस को अन्तिम रूप देने से पहले दोनों प्रदेशों की सरकारों की स्वीकृति ले ली है ? यदि ले ली है तो उस की रुपरेखा क्या है ?

डा० सुशीला नायर : फाइनल रूप तो इस को दे दिया गया है । प्लान स्वीकृत हो चुका है । जहां तक उत्तर प्रदेश और पंजाब के थोड़े से एरिया का सवाल है, वह ग्रेटर मैट्रोपोलिटन एरिया में शामिल होता है । उस के बारे में उन से पहले सलाह मशविरा हो चुका था और उस के लिये एक हाई पावर्ड बोर्ड भी बनाया जा चुका है । उस हाई पावर्ड बोर्ड को स्टेट्यूटरी रूप देने का सुझाव है । उस के बारे में होम मिनिस्ट्री उन से बातचीत कर रही है । और अगर ऐसा करना होगा तो उस के लिये पालियामेंट के सामने कानून आयगा, और वह कानून आने से पहले उन की सहमति प्राप्त कर ली जायगी ।

†कुछ माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में पूरी वृहद् योजना पर विचार नहीं किया जा सकता है । इतने अधिक प्रश्नों के पूछे जाने की मैं अनुमति नहीं दे सकता । श्री दी० चं० शर्मा ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : विवरण से मुझे मालूम होता है कि केवल ०·३ प्रतिशत क्षेत्र खेती के लिये तथा ८.० प्रतिशत जनता की सुविधाओं के लिये रखा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि वह आंकड़े किस आधार पर बनाये गये हैं । खेती के लिये जमीन नहीं के बराबर है तथा जनता को सुविधाओं के लिये ८ प्रतिशत ।

†डा० सुशीला नायर : दिल्ली राजधानी है और खेती के लिये जमीन दिल्ली के चारों ओर हरियाली के लिये रखी गई है । इसी उद्देश्य से दिल्ली के अधिकांश क्षेत्र का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिये किया जा रहा है । माननीय सदस्य द्वारा बताई गई सुविधायें पार्क, बाग आदि हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : कल भी केवल १३ प्रश्न लिये जा सके । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि शीघ्र प्रश्न पूछें ।

टिड्डियों का आक्रमण

†*५०. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री बसुमतारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पु० र० पटेल :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उत्तर भारत में टिड्डियों का अभूतपूर्व आक्रमण होने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों में आक्रमण होने की आशंका है उन में फसल को बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य में अपने साधनों को बढ़ाने के लिये कोई आर्थिक सहायता मांगी है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । टिड्डियों का आक्रमण हो चुका है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १२]

(ग) जी नहीं ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण से मालूम होता है कि सुरक्षात्मक क्या कार्यवाइयां की गई हैं । उसमें वास्तविक आक्रमण के बारे में कुछ भी नहीं बताया है । केवल इतना कहा गया है कि आक्रमण हुआ जिसको समाप्त कर दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि उनका फसल पर कितना प्रभाव पड़ा और सुरक्षात्मक कार्यवाही से उनको कितना बचाया जा सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में जो प्रभावशाली सुरक्षात्मक कार्यवाहियां की गई हैं वह स्वयं किसानों ने की हैं और हमने पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में इनको नष्ट करने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले यंत्रों आदि के उपयोग की योजना बनाई है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या यह सच नहीं है कि टिड्डियों वाले क्षेत्र में ७५ प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है ?

†डा० राम सुभग सिंह : यह सच नहीं है क्योंकि टिड्डियां अधिकांशत: एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है । जब तक वह अंडे देना शुरू न कर दें और टिड्डे न निकल आयें कोई नुकसान नहीं होता है । यह सच है कि उससे कुछ नुकसान हुआ है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : खाद्य तथा कृषि संगठन ने यदि कोई सहायता की है तो वह क्या है ?

†डा० राम सुभग सिंह : खाद्य तथा कृषि संगठन के एक दल क इसी महीने में आने की आशा है तथा उनकी सहायता से हम पाकिस्तान की सीमा के क्षेत्रों में काम आरम्भ करेंगे ।

श्री सरजू पाण्डेय : इस स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया है कि टिड्डियों ने प्रदेश के किन किन भागों में किसानों की फसलों को कितना कितना नुकसान पहुंचाया है । क्या ऐसी कोई सूचना सरकार के पास है, और यदि है तो वहां पर किसानों को रिलीफ देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : जितनी सूचनाएं चाहियें सारी सूचनाएं सरकार के पास हैं । और हर जगह जिला मजिस्ट्रेटों को बतला दिया गया है कि जिस चीज की जरूरत होगी हम भेजने को तैयार हैं, और बहुत सी चीजें भेजी भी गई हैं, प्रादेशिक सरकारें भी अपनी ओर से इन्तिजाम कर रही हैं । जैसा कि मैंने पहले कहा, हर खेत में सरकारी यंत्रों का पहुंच पाना सम्भव नहीं है । इसलिये बहुत ज्यादा मुफीद होता है किसान का अपना प्रयास । और जो चीज दवा वगैरह किसान चाहें हम देने को तैयार हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि टिड्डियों के सम्बन्ध में अग्रिम जानकारी के लिए पाकिस्तान से सम्पर्क बनाया गया है, यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने इस आक्रमण की सूचना दी थी ?

†डा० राम सुभग सिंह : हम पाकिस्तान से सम्पर्क बनाये हुए हैं । इस वर्ष पाकिस्तान में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान देशों की एक बैठक थी जिसमें ईरान और अफगानिस्तान ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे । इसीलिए केवल पाकिस्तान के साथ बैठक हुई । इसके बाद एक या दो महीने हुए जब पाकिस्तानी प्रतिनिधियों की एक और बैठक हुई थी और अब एक या दो महीने बाद हम पुन: अगस्त के तीसरे सप्ताह में मिलेंगे तथा स्थिति समझेंगे । जब टिड्डियों के दल भारत की ओर आते हैं तब वह हमें सूचना देते हैं परन्तु आप जानते हैं कि यह संभव नहीं कि सर्वथा सूचना ठीक हो ।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि टिड्डी दल के इस खतरे को मिटाने के लिये प्रान्तीय सरकारों के साथ मन्त्रीयों के साथ कोई बातचीत की गई है और कोई प्रोग्राम बनाया गया है और यदि बनाया गया है तो क्या ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में प्रश्नकर्ता महोदय ने कृषि मंत्री, सामुदायिक मंत्री तथा और भी मंत्री और अफसरों से हाल में बातें कीं और उनके प्रदेश का व्यापक भ्रमण भी किया और

†मूल अंग्रेजी में

उनके प्रदेश पंजाब में तीन हवाई जहाज हम लोगों ने भेज दिये हैं। एक हवाई जहाज जालन्धर के नजदीक आदमपुर अड्डे से जालन्धर, गुरुदासपुर, लुधियाना, अमृतसर और भटिंडा वगैरह स्थानों में दवा गिरायेगा। दूसरा यहां अम्बाला से अम्बाला के समीप के जिलों में खास कर करनाल वगैरह और तीसरा यहा पालम से उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलो में और पंजाब के इस हिस्से के जिलों में गुड़गांव वगैरह में जो भी दवा आदि की जरूरत होगी वह वहां पहुंचायेगा।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या राज्य सरकारों को अपने यंत्र बनाने तथा टिड्डी मार यंत्रों में सुधार करने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां। हमने बहुत पहले राज्य सरकारों का परामर्श लिया था और हाल में ही एक परिपत्र भेजा है। हमने १३ तारीख को बैठक बुलाई है। और टिड्डी दल को मार भगाने के लिए जिस चीज की भी जरूरत होगी हम वह उनको देंगे यदि हमारे लिए उसको खरीद कर उन्हें देना संभव होगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : माननीय मंत्री ने पहले एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि टिड्डियों पर नियंत्रण की सफलता किसानों के सहयोग पर आधारित है। मैं जानना चाहता हुं कि क्या किसानों को इस कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा हे।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं यह बताते हूए माफी चाहता हुं कि किसान प्रशिक्षण नहीं पाना चाहते हैं। वह दूसरों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। यदि माननीय सदस्य गांवों में जायें तो उनको मालूम होगा कि वहां पर ५ वर्ष के बच्चे भी ढोल बजा रहे हैं। यह बच्चे वयस्क व्यक्तियों से अधिक अच्छी तरह से काम करते हैं।

†**डा० मा० श्री० अणे** : मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि पंजाब के कुछ भागों में टिड्डियां बैठ गई हैं। मैं जानना चाहता हुं कि क्या भारत सरकार को उस स्थान की तथा उनके द्वारा की गई हानि की जानकारी है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह सच है। मैंने स्वयं कुछ क्षेत्रों को देखा है। टिड्डियां लुधियाना, जालन्धर और गुरुदासपुर के कुछ भागों में तथा करनाल जिले के कैथल क्षेत्र में बैठ गई थीं। मैं बता चुका हूं कि हमने अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया है तथा राज्य सरकार को जितने कीटाणुनाशक की जरूरत थी उसको उतना भेज दिया गया है। यदि राज्य सरकार की कोई और मांग होगी तो हम उसे पूरा करेंगे।

श्री राधेलाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हुं कि जो विदेश से टिड्डी दल आये हैं वह भारत की भूमि में कितनी ऐंटी लोकस्टपोस्ट्स पर सैटिल हुए हैं और कितनी पोस्ट्स पर ऐग लेयिंग हुई है अर्थात् अंडे दिये हैं और कितनी पोस्ट्स से स्वार्म्स डेवलप होकर देश के दूसरे भागों में आये ?

अध्यक्ष महोदय : इतने लम्बे सवाल का इतना लम्बा जवाब देने की जरूरत नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : जवाब तो मैं छोटे में दे दूंगा। अब तक केवल ७८ टिड्डी दल यहां पर आये हैं और खेती वाले क्षेत्र में जितनी दूरी में उन्होंने अंडे दिये हैं उसका क्षेत्रफल १६४९ वर्गमील है। और दूसरी जगहों में जो होपर्स हुए हैं उसका क्षेत्रफल १९३ वर्ग मील है। इन सारी जगहों में दवा छिड़क रहे हैं।

श्री राधेलाल व्यास : मैंने पूछा था कि हमारे देश के जिन मुकामों पर टिड्डियों ने अंडे दिये हैं वहां से कितने स्वार्म्स देश के दूसरे हिस्सों में गये ?

डा० राम सुभग सिंह : थोड़े जाति हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिस प्रश्न की मैंने अनुमति नहीं दी उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है ।

†**डा० गोविन्द दास** : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि किसान लोग स्वयं अपने यहां पर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि टिड्डी दल से उनको नुकसान न पहूंचे तो क्या उनको कोई वैज्ञानिक ढंग से यह बात समझाई जा रही है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या उन्होंने अभी तक सरकारों से कोई मदद मांगी है और क्या वह मदद उनको दी गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में कोई भी बात वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने की अगर टिड्डियों के आक्रमण से पहले प्रश्नकर्ता महोदय पूछे होते तब तो जरूर हम लोग इंतजाम कर दिये होते लेकिन आज जब खेतों पर टिड्डियों का आक्रमण हो गया और तब वैज्ञानिक शिक्षा की बात आती है तो पता नहीं कि जब तक वैज्ञानिक शिक्षा दी जाय उस वक्त तक उसका सारा खेत खराब हो जाय । इसलिए अभी तो किसान खेतों में रहेगा और जो चीज वह मंगायेंगे दवा वगैरह उन सारी दवाओं का यहां खाद्य और कृषि मंत्रालय की ओर से प्रबन्ध किया जायगा ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय ......

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत कुछ पूछा जा चुका है । मेरा खयाल है कि अब तो यह चली जायेंगी ।

ट्रंक काल की बुकिंग "क्यू" व्यवस्था का उपकरण

†*५१. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ट्रंक काल की बुकिंग के लिये "क्यू" की व्यवस्था करने हेतु उपकरण लगाने का इरादा रखती है ;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ कब और कहां पर होगा ; और

(ग) क्या इस व्यवस्था के लागू किये जाने के बाद ट्रंक काल करने वालों को "लाइन के व्यस्त होने के सिगनल की परेशानी नहीं होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) ट्रंक काल की बुकिंग के लिये "क्यू" की व्यवस्था करने वाले उपकरण को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास चार ट्रंक एक्सचेंज प्रथमतः स्थापित करने का विचार है ।

(ग) काल की बुकिंग के लिये 'क्यू' की व्यवस्था करने वाले उपकरण से 'लाइन के व्यस्त' होने के सिगनल से नहीं बचा जा सकता है । इस उपकरण से यह मालूम हो जाता है कि आपरेटर को प्राप्त सभी सिग्नल उसी क्रमानुसार हैं जिस क्रमानुसार काल करने वालों ने अपनी कालें बूक कर दी हैं ।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** : सरकार ने इन स्थापनाओं को पर्याप्त उत्तम मशीनें देने का प्रबन्ध किए हैं ?

†**श्री भगवती** : सरकार ने जनवरी, १९६२ में मद्रास में एक ऐसी मशीन स्थापित की थी तथा आगामी कुछ महीनों में अन्य केन्द्रों पर भी यह उपकरण लगा दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार इस कार्य के लिए अपनी मशीनों का इस्तेमाल करने की संभावनाओं की जांच करेगी और यदि हां, तो उसमें कितना धन व्यय होगा ?

†श्री भगवती : इन चारों स्थानों पर मशीन लगाने में ८१,००० रुपया व्यय होगा जो विदेशी मुद्रा में नहीं होगा ।

†श्री अ० प्र० जैन : क्या बंगलौर में इस उपकरण के निर्माण का कोई कार्यक्रम है ?

†श्री भगवती : जी हां ।

†श्री हेडा विशेष व्यक्ति को काल करने के लिए इस उपकरण में क्या सुरक्षा है ?

श्री भगवती : यह लाइन की संख्या पर आधारित है । जब काल करने वाले सभी लाइनों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से लाइन के व्यस्त होने का सिग्नल मिलेगा । इसलिए पर्याप्त लाइनों की व्यवस्था करने के आदेश दे दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि उससे उत्तम सेवा की व्यवस्था हो जायगी ।

फसल का बीमा

+

†*५२. { श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी भाग में फसल बीमे की योजना प्रयोग के तौर पर भी लागू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य पहलू क्या हैं ; और

(ग) क्या कोई राज्य सरकार इस योजना में भाग ले रही है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पंजाब सरकार अपने राज्य में फसल के बीमे के लिये एक अग्रिम योजना लागू करने का इरादा रखती है । वह योजना का ब्यौरा तैयार कर रही है ।

†श्री ब० कु० दास : इस बात को देखते हुए कि बीमा केन्द्रीय सरकार का विषय है, क्या कोई विधान सरकार के विचाराधीन है ताकि पंजाब सरकार योजना को लागु कर सके ?

†डा० राम सुभग सिंह : इस प्रश्न पर सरकार एक अर्से से विचार कर रही है और यह योजना व्यवहारिक और लाभप्रद भी सिद्ध हुई है किन्तु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के

†मूल अंग्रेजी में ।

पास पर्याप्त धन न होने से उसे अग्रिम योजना के रूप में भी लागू नहीं किया जा सका है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरा मंत्रालय योजना आयोग से वित्त प्रबन्ध करने के लिए कहेगा।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब सरकार को आर्थिक सहायता दी जायेगी और यदि हाँ, तो कितनी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जसा कि मैं ने बताया, पंजाब सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। वह सभी पहलुओं पर विचार करेगी और आवश्यकता हुई तो केन्द्रीय सरकार भी उससे चर्चा करेगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह योजना चालु नहीं की जा सकी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह भी प्रयत्न किया है कि किन्हीं प्राईवेट कम्पनियों के द्वारा इन्शोरेंस कम्पनियाँ चलाई जायें, जो कि फ़सलों का बीमा कर सकें और अगर इस दिशा में कोई प्रयत्न किया जा रहा है, तो वह क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : इन्शोरेंस के मानी ये हैं कि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण किसानों को फ़सल की जो क्षति हो सकती है, उस से उन की रक्षा की जाये। इस वक्त सरकार का उद्देश्य है समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना। उस में प्राईवेट कम्पनियों का सवाल कम आता है। इन्शोरेंस (बीमे) के क्षेत्र में जो प्राईवेट कम्पनियाँ थीं, उन को भी खत्म कर के एक सरकारी बीमा कम्पनी बनाई गई। सरकार सोचेगी कि किस तरह से वाजिब ढंग से किसानों की सहायता की जा सकती है, बजाये इस के कि यह काम निजी कम्पनियों को सौंप दिया जाये।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने फसल के बीमे की कोई योजनायें भेजी हैं और जहाँ नियमित रूप से अकाल पड़ता है कम से कम वहाँ अग्रिम योजनायें लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : फसल के बीमे का प्रश्न बहुत महत्व रखता है क्योंकि धन उपलब्ध करने के अलावा नियमित रूप से आँकड़े प्रस्तुत करने पड़ते हैं। बीमे के लिए आँकड़े अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे पास पर्याप्त आँकड़े नहीं हैं। इसीलिये हम शुरूआत करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब ने श्रीगणेश किया है और इस विषय में भारत सरकार को बहुत दिलचस्पी है क्योंकि कृषि विकास की जितनी योजनायें हैं उन में किसानों को धन लगाने के लिए तब तक सहमत नहीं कराया जा सकता जब तक कि उन्हें यह विश्वास न हो कि उनकी फसल सुरक्षित है। हमें दिलचस्पी न हो ऐसी बात नहीं किन्तु हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और पंजाब में शुरूआत की जायेगी।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में वित्तीय दायित्व का कोई मुल्याँकन किया है और यदि हाँ, तो वह कितना है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, शुरूआत सिर्फ पंजाब में की जा रही है। हम आधा प्रशासनिक व्यय वहन करेंगे। सच तो यह है कि बीमे की राशि का काफी दायित्व होता है और बिना सोचे समझे कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : इस योजना के कार्यान्वय के लिए आवश्यक आँकड़े इकट्ठा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां कहीं ये योजनायें लागू की जा रही हैं वहां आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये हम ने जापान से कुछ विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया है ताकि वे हमें इस में सहायता दें। भारत में फसल के बीमे की ओर भी आवश्यकता है क्योंकि कृषि विकास की किसी भी योजना में हम फसल के बीमे के अभाव में कोई विशेष प्रगति नहीं कर सकते।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखता हूं कि कई प्रसिद्ध व्यक्ति खड़े हो कर पूरक प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। प्रायः प्रत्येक प्रश्न की सूचना में ८, १५ या २० सदस्यों के नाम होते हैं। इसलिए उनके अलावा अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर देना मेरे लिए कठिन होता है। जिन सदस्यों ने प्रश्न की सूचना दी है मैं उन में से प्रत्येक को बुलाने का प्रयत्न करूंगा। वैसे तो सभा का प्रत्येक सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकता है किन्तु यदि मैं प्रश्न की सूचना देने वाले प्रत्येक सदस्य को अवसर न दे सका तो मुझे उम्मीद है कि वे मुझे माफ कर देंगे।

†**श्री त्यागी** : जब किसी प्रश्न की सूचना बहुत से सदस्यों ने दी हो तो अन्य सदस्य कोई पूरक प्रश्न पूछ नहीं पाते।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने यह तो नहीं कहा कि मैं अन्य सदस्यों को अवसर ही न दूंगा। कम से कम इंग्लैंड में सदस्यों द्वारा अन्य सदस्यों के प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा जाता। हमने यहां इस परिपाटी को नहीं अपनाया। हमारे यहां कोई भी सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। किन्तु पहले यह निर्णय किया जा चुका है कि हमें अधिकाधिक प्रश्नों को निबटाने का प्रयत्न करना चाहिए। यहां एक ही प्रश्न की सूचना कई सदस्य देते हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : श्रीमन् हमें अवसर देना या न देना आप के निर्णय पर निर्भर है। आपने केवल दो प्रश्नों पर पन्द्रह मिनट तक पूरक प्रश्न पूछने दिये हैं। हम अवसर पाने के लिए खड़े होते हैं और आप चाहें तो हमें प्रश्न पूछने की अनुमति न दें। यही हम चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : देश में बहुत से टिड्डी दल आये थे इसलिये मैं ने सम्बन्धित प्रश्न पर इतने पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न।

खाद्यान्नों के मूल्य

†*१३. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री साधूराम :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्यान्नों के थोक व खुदरा मूल्यों में बहुत अन्तर है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने खुदरा मूल्यों में होने वाली अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों तथा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चावल के मुल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : खाद्यान्नों के थोक व खुदरा मूल्यों में अन्तर इसलिए है कि खाद्यान्नों के थोक केन्द्रों से खुदरा वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्न पहुंचाने में लदान और ढूलाई पर व्यय होता है तथा खुदरा बिक्री करने वालों के लिए मुनाफे की गुंजायश रखनी पड़ती है । यदि इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखा जाये तो खाद्यान्नों के वर्तमान थोक व खुदरा मूल्यों में विद्यमान इतना ज्यादह नहीं मालूम होता ।

(ख) और (ग). सरकार विभिन्न राज्यों में, जिन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं, सरकारी स्टाक से निहित मूल्यों पर उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करके खुले बाजार के खुदरा मूल्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है तथा उन्हें अनुचित रूप से बढ़ने देने से रोकती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय सभा-सचिव ने कहा कि थोक व खुदरा मूल्यों में अन्तर इतना ज्यादह नहीं है । उत्तर प्रदेश पश्चिम, बंगाल और उड़ीसा में गेहूं और चावल के थोक और खुदरा मूल्यों में कितना अन्तर है ?

†**श्री शिन्दे** : पिछले वर्ष के तथा इस वर्ष के मूल्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चावल के मूल्यों में थोड़ा सा अन्तर है । किन्तु अन्य खाद्यान्नों के मूल्य पिछले वर्ष जैसे ही हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि अन्तर कितना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा कि मूल्य करीब-करीब उतने ही हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री को आँकड़े देने चाहियें । मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं के थोक और खुदरा मूल्यों में कितना अन्तर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ आँकड़े दूंगा । लखनऊ में जून में औसत किस्म के गेहूं का थोक मूल्य १४.३९ रुपये प्रति मन और खुदरा मूल्य १६ रुपये था । अन्तर १.६१ रुपये था । इससे पहले महीने में अन्तर १.४५ रुपये था । चावल के दोनों मूल्यों में अन्तर १.५० रुपये से लेकर २ रुपये रहा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार ने चावल के मूल्यों को बढ़ने से राकने की कोई व्यवस्था की है और यदि हाँ, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि पश्चिम बंगाल में गत तीन महीनों में चावल के मूल्य प्रति मन ६ रुपये से लेकर ८ रुपये तक बढ़े हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम सस्ते अनाज की दूकानों से बड़ी मात्रा में अनाज उपलब्ध करके मूल्य नियंत्रण कर सकते हैं । पश्चिम बंगाल में सस्ते अनाज की कई दूकानें हैं और जुलाई में औसतन १२,००० टन अनाज बेचा गया है । हम ने १५,००० टन अनाज उपलब्ध किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अनाज के मूल्यों में वृद्धि हाने से सरकार पर असर नहीं पड़ता किन्तु जनता पर अवश्य पड़ता है। उड़ीसा में पिछले चन्द महीनों में चावल के मूल्य बढ़े हैं। चावल की मूल्य-वृद्धि का रोकने के लिए वास्तव में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्री अ० म० थामस : उड़ीसा में राज्य सरकार ने स्थानीय रूप से अनाज प्राप्त कर स्टाक बनाया है। हम केन्द्रीय स्टाक से भी अनाज दे रहे हैं। हम ने हाल में उड़ीसा सरकार को ३००० टन अनाज उपलब्ध किया है जिसे कलकत्ता से ले जाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गयी है ताकि उड़ीसा की कठिनाई किसी हद तक दूर हो सके।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार के पास विभिन्न मौसमों में गाँवों में खुदरा मूल्यों की जानकारी प्राप्त करने का काई तरीका है ताकि फसल के समय और बाद में गाँवों और बड़े शहरों के खुदरा मूल्यों के अन्तर का पता लगाया जा सके ?

†श्री अ० म० थामस : जी, हां। थोक मूल्यों के बार में हमें राज्य सरकारों से रोज सूचना प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सांख्यिकीय विभाग के पास खुदरा मूल्यों की जानकारी रहती है। इसी जानकारी के आधार पर मैंने अभी आंकड़े दिय हैं।

†श्री त्यागी : उत्तर प्रदेश सरकार ने लगान में ५० प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने का निर्णय किया है। इसके फलस्वरुप उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मूल्य और न बढ़ें इसे सुनिश्चित करने के लिये सरकार कोई कारगर कदम उठाने का इरादा रखती है।

†श्री अ० म० थामस : लगान वृद्धि से मूल पर कोई विशेष प्रभाव पढ़ेगा या नहीं यह एक व्यापक प्रश्न है। किन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि वहां मूल्य उचित हैं और चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के कुछ पिछड़े हुए इलाकों जैसे बुंदेलखंड के गांवों में बारह और तेरह रुपये मन के हिसाब से गेहूं बिक रहा है जब कि यहां बीस और बाईस रुपये मन बिक रहा है, यानी दामों में दूने का फर्क है ? यदि हां, तो क्या मंत्रालय क्या कर रहा है कि इन दामों में इतना फर्क न हो और अगले वर्ष से तो कम से कम ये ठीक हो जायें ?

†श्री अ० म० थामस : जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, देशभर में मूल्य उचित स्तर पर हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : वहां पर बाहर रुपये मन बिक रहा है और यहां पर बाईस रुपये मन बिकता है, यह रीजनेबल कैसे हुआ ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : भारत सरकार ने गेहूं का न्यूनतम मूल्य १३ रुपये निर्धारित किया है और यदि कोई व्यक्ति १२ रुपये के भाव से बेचता है तो वह उस की मर्जी है।

†श्री प्रिय गुप्त : यदि कोई इस से अधिक भाव बेचे तो ?

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जब तक मैं अनुमति न दूं तब तक माननीय सदस्यों को प्रश्न न पूछने चाहियें।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भारत सरकार ने खाद्यान्न के मूल्यों को स्थिर करने के बारे में अशोक मेहता समिति की सिफारशों पर कार्यवाही की है ? क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया

†मूल अंग्रेजी में

है और क्या स्वीकार तथा अस्वीकार की गई सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** सब से बड़ी बात यह है कि हमारे पास अधिक अनाज हो। इसलिये हमें मूल्यों को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अनाज के काफी स्टाक हैं, और कभी कभी रेलवे परिवहन गतिरोध को कठिनाई हो जाती है। किन्तु वह एक अलग बात है।

ग्रेट ब्रिटेन की विमान यात्रा के टिकट

†*५४. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेट ब्रिटेन आप्रवासन विधेयक के फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन की विमानयात्रा के टिकटों की काफी बुकिंग हुई;

(ख) क्या उस के परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन की विमान यात्रा के टिकटों का काला बाजार हुआ है क्योंकि १८०० रुपये का टिकट २३०० रुपय में बेचा गया जैसा कि दिनांक २३ जून, १९६२ के "स्टैट्समैन" में प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जून, १९६१ के पूरे महीने भर ग्रट ब्रिटन की विमान यात्रा के काफो टिकट बिके।

(ख) और (ग). ग्रेट ब्रिटेन की विमान यात्रा के टिकटों के काला बाजार की खबरें समाचार-में प्रकाशित हुई थीं। इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई क्योंकि जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता क्योंकि जिन लोगों की हानि हुई उन्होंने तब कोई शिकायत नहीं की ?

†**श्री प्र० के० देव :** क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इस काला बाजार में एयर इंडिया का भी हाथ रहा है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह बिल्कुल गलत है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सरकार का ध्यान एयर ट्रवल एजेन्ट्स एसोसियशन द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की ओर गया है जिस में कहा गया है कि उन्होंने सरकार से अभ्यावेदन किया था कि रिजर्व बैंक उन यात्राओं के लिये अनुमनि न दे जिन के टिकट ऐसी विमान सेवाओं ने बुक किये हों जिन्हें आई० ए० टी० ए० द्वारा मान्यता न दी गयी हो ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मुझे याद नहीं कि मैं ने यह अभ्यावेदन देखा हो।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह अलग प्रश्न है।

†**श्री प्र० के० देव :** यात्री परिवहन बहुत घट गया है। इस के बावजूद एयर इंडिया ने प्रति सप्ताह ५ उड़ानों को बढ़ा कर ७ उड़ानें क्यों की हैं ?

---

†मल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यह तो बिल्कुल अलग बात है ।

बम्बई पत्तन का आधुनिकीकरण

†*५५. श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सू० भू० दास :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा
श्री प० कुन्हन :
श्रीमती मंमूना सुल्तान :
श्री रा० बरुआ :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि बम्बई पत्तन के आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के दल ने इस योजना का दो बार सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या विश्व बैंक के दल ने भारत सरकार से ऋण के सम्बन्ध मे विश्व बैंक के साथ बातचीत को अन्तिम रूप देने के लिये एक विशेषज्ञ दल भेजने के लिये कहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह दल जा चुका है और क्या उस न योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]

†**श्री सुबोध हंसदा** : विश्व बैंक का जो दल आया था क्या उस ने पत्तन के विकास के लिये केवल विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का मूल्यांकन किया या सभी आवश्यकताओं का ?

†**श्री राज बहादुर** : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा दी जाने वाली सहायता विकास योजनाओं की विदेशी मुद्रा तक ही सीमित होती है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस परियोजना के लिये जो १८० लाख डालर का ऋण मिलेगा क्या वह विवरण में दी गई अन्य योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम ने उन्हें इस विशिष्ट विकास योजना की सभी आवश्यकताओं की, जिन में मुख्य बन्दरगाह के कुछ हिस्से से मिट्टी हटाने की योजना शामिल है, सूची दे दी थी । ८.५७ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी । योजना की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई और इसी कारण राशि निर्धारित की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद : बम्बई पोर्ट के नवीकरण के अनुमानित व्यय का कौन सा भाग अभी विश्व बैंक से मिलने की संभावना है ?

श्री राज बहादुर : फोरेन एक्सचेंज का जो खर्चा है, वह मिलेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : कितना मिलेगा ?

श्री राज बहादुर : स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ।

श्री रघुनाथ सिंह : तीसरे प्लान के अन्दर बम्बई पोर्ट की योजना है, उसके लिये आपको जो फोरेन एक्सचेंज प्राप्त हुआ है, उस से क्या आपका काम पूरा हो जायेगा ?

श्री राज बहादुर : तीसरे प्लान में जो खर्चा होना है, उस में से जितना फोरेन एक्सचेंज चाहिये, उस के अनुसार यह ऋण मिलेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पत्तन के आधुनिकीकरण में कितना समय लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इसे तीसरी योजनावधि की समाप्ति से पहले पूरा करना पड़ेगा । ऋण समाप्त होने की तारीख ३१ दिसम्बर, १९६७ है इसलिये यह काम इस तारीख से पहले पूरा करना होगा ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार को गोदी विकास योजनाओं लिये ८.५७ करोड़ रुपये दिये गये और केवल बम्बई पत्तन परियोजना पर चर्चा की गई । क्या इस का अर्थ यह है कि यह राशि भारत के अन्य पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिये भी काम में लाई जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : यह ऋण केवल बम्बई पत्तन के लिये दिया गया है । कलकत्ता तथा मद्रास पत्तन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से नहीं वरन् विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से प्राप्त धन से सरकार बम्बई पत्तन में क्या काम करने जा रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : अलैगजन्ड्रा गोदी में जहाज खड़े करने के लिये उसे १,१८० फीट तक बढ़ाया जायगा । इसके अलावा मालवाहक जहाज के लिये जगह बनाने के लिये एक नया धक्का बनाया जायेगा । समुद्र को और गहरा किया जायेगा । अन्य योजनाओं में मिट्टी हटाना, विद्युतीकरण तथा उपकरणों का आधुनिकीकरण शामिल है ।

दिल्ली जल संभरण

+

†*५६. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पानी के अभाव के बारे में पंजाब के सिंचाई मंत्री के साथ

†मूल अंग्रेजी में

बातचीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब के मंत्री ने सुझाव दिया है कि टोंस नदी पर ७६० फुट ऊंचा प्रस्तावित बांध बना कर पानी का अभाव दूर किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित बांध कब बनाया जायेगा ; और

(ङ) राजधानी में पानी के अभाव की कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार और क्या उपाय कर रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बैठक में बताया गया कि नदी को तोड़ने की योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा सकती है या नहीं इस में कुछ सन्देह है। किन्तु यदि योजना का कार्यान्वयन संभव न हो तो यमुना या टौंस नदी पर एक बांध बनाना पड़ेगा जिस पर १० करोड़ रु० से अधिक खर्च होगा।

(घ) इस प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक विचार करना आवश्यक है ।

(ङ) पंजाब सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि यदि उसके मूल कार्यक्रम में परिवर्तन न हुआ तो वह १९६४ की गर्मियों तक यमुना नहर सहायक योजना से ३२५ कुसेक पानी देगी। उत्तर प्रदेश सरकार से भी राम गंगा योजना से २०० कुसेक पानी देने के लिये कहा गया है।

श्री बिशनचंद्र सेठ : क्या आपके पास कोई इस बात के आंकड़े हैं कि किस किस एरिया में कितने समय पानी पहुंचता है और कितने समय पानी नहीं पहुंचता है ? साउथ एवेनेयू में जहां मैं रहता हूं वहां तो पहुंचता नहीं है ।

डा० सुशीला नायर : दिल्ली में जैसे बिजली के अलग अलग टाइमिंग्ज रखे हुये हैं, ऐसे पानी के तो नहीं रखे हुये हैं। पानी तो सभी जगह पहुंच रहा है। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो आवाज तो पहुंच रही है ।

डा० सुशीला नायर : इसमें इतना मैं अर्ज कर दूं कि बहुत से जो पाइप वगैरह हैं वे पुराने जमाने के लगे हैं। उनका डाइमीटर कम होने से पानी कई हिस्सों में कम पहुंचता है।

श्री रघुनाथ सिंह साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू में तो नये हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : श्रीमन्, क्या मैं उत्तर को पूरा कर दूं। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। पहले मंत्री महोदय की बात सुन ली जाये ।

†**डा० सुशीला नायर** : रिजर्वायर्स में पानी मौजूद होने पर भी कई हिस्सों में पूरी मात्रा पानी की पहुंच नहीं पाती क्योंकि पाइप जो लगे हैं वे बहुत छोटे साइज के हैं **(अन्तर्बाधा)** कई जगह पर बड़े पाइप लगे हैं, ज्यादा जगह अभी नहीं लग सके लेकिन गर्मी के मौसम में पानी थोड़े अर्से के लिये, जहां पर कमी है, वहां पर बन्द भी किया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य : रात को भी बन्द कर दिया जाता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस बात को देखते हुये कि दिल्ली एक राजधानी है और यहां बाहर के बहुत से लोग आते हैं, सरकार ने पानी के संभरण के लिये अपर्याप्त व्यवस्था क्यों की है ? पूरा जल संभरण कब तक होने लगेगा ?

†**डा० सुशीला नायर :** वज़ीराबाद से साफ किये गये पानी का जो संभरण किया जाता है उसे बढ़ाकर प्रति दिन ६६० लाख गैलन कर दिया गया है । इस तरह पहले जो संभरण किया जाता है वह काफी बढ़ा दिया गया है । किन्तु, इससे दिल्ली की जनता को प्रति व्यक्ति पीछे प्रतिदिन ३७ गैलन पानी मिलता है और हम इसे ५० गैलन करना चाहते हैं । ५० गैलन पानी देने के लिये हमें १३०० लाख गैलन पानी चाहिये और उसके लिये जमुना से पानी देने के लिये हम पंजाब और उत्तर प्रदेश से बातचीत कर रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या पंजाब सरकार ने ऐसे बांधों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आश्वासन दिया था कि वह टौंस तथा अन्य नदियों पर बांध निर्माण के व्यय का कुछ प्रतिशत हिस्सा देगी ?

†**डा० सुशीला नायर :** यह तो मैं पहले बता चुकी हूं कि टौंस आदि पर बांध बनाने का सुझाव नया है जिसपर सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने विस्तार से विचार नहीं किया है । पंजाब सरकार द्वारा विस्तृत योजना भेज दी जानी चाहिये थी किन्तु उसने अभी योजना प्रस्तुत नहीं की । किन्तु मैं सदन को बता दूं कि जब सिन्धु और यमुना नदियों के पानी का वितरण किया जा रहा था किसी कारण से दिल्ली का ख्याल नहीं रहा और सारा पानी पंजाब, काश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दे दिया गया । इसलिये दिल्ली के लिये पानी प्राप्त करने के लिये हमें इनमें से किसी न किसी सरकार से कहना पड़ेगा । किन्तु घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों का, जिनके पानी का वितरण नहीं हुआ है, पानी काम में लाने का प्रस्ताव है और हम दिल्ली को पानी देने के बारे में इस पानी को काम में लाने की संभावनाओं की जांच कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का अध्ययन किया गया है कि दिल्ली की इस समय जितनी जनसंख्या है और जितनी तेज़ी से उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उस के लिये कुल कितने पानी की आवश्यकता है और कितना पानी उपलब्ध है ? और कितने वर्षों में सरकार उस की पूर्ति कर सकेगी ?

डा० सुशीला नायर: जी हां, पूरा हिसाब लगाया गया है और उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी ५० गैलन प्रति व्यक्ति देने के लिये हमें १३० मिलियन गैलन की अभी जरूरत है, और आगे चल कर जैसे जैसे पापुलेशन बढ़ती जायेगी उस हिसाब से सन् १९७१ में १९० मिलियन गैलन और सन् १९८१ में २७५ मिलियन गैलन की हर रोज जरूरत होगी । इसके मुताबिक ही पानी के क्यूसेक्स भी बढ़ाने पड़ेंगे । सन् १९८१ में ५२५ क्यूसेक्स की जरूरत पड़ेगी ।

†**श्री त्यागी :** नल कूपों से पानी क्यों न लिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : उनका सवाल यह था कि आप कब तक पूरा पानी दिल्ली वालों को दे सकेंगी ।

डा० सुशीला नायर : मैंने अर्ज किया है कि अगर कोई प्लान बदलेगी नहीं तो सन् १९६४ की गर्मी में पंजाब ने ३२५ क्यूसेक्स देने का वादा किया है । वह अभी के लिये पूरा होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या टोंस नदी पर बांध के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या उसके लिये किसी अन्य देश से सहायता भी मिलेगी ?

†**डा० सुशीला नायर :** संबंधित मंत्रालय के मेरे सहयोगी ने बताया है कि उन्हें इस संबंध में विस्तृत योजना तक प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री त्यागी :** क्या कई नलकूपों से पानी प्राप्त करने की संभावनाओं की जांच की गई है ?

†**डा० सुशीला नायर :** कुछ समय पहले ऐसा प्रस्ताव था कि लोनी खंड क्षेत्र में कई नलकूप बनाकर वहां से खुली नहर द्वारा पानी दिल्ली तक लाया जाये । किन्तु विशेषज्ञों की राय में योजना खर्चीली और सफाई की दृष्टि से ठीक नहीं थी इसलिये योजना त्याग दी गयी ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : माननीय मिनिस्टर साहबा ने बतलाया कि रिज़र्वायर में पानी तो है लेकिन सकरी पाइप लाइन होने की वजह से वेलासिटी आफ वाटर उतनी नहीं है कि पूरी सप्लाई हो सके । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कितना वक्त लगेगा और वह नई पाइप लाइन कब तक डाली जायेगी जिसमें वेलासिटी भी बढ़े और सप्लाई भी बढ़े ।

डा० सुशीला नायर: यह सारे के सारे पाइप्स वगैरह के डालने की कोशिश तो हो रही है लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि जी० आई० पाइप्स की डिलिवरी की परिस्थिति कुछ सन्तोषजनक नहीं है । दो या तीन फर्म्स ऐसी हैं हिन्दुस्तान में जो ऐसे पाइप्स बना रही हैं, लेकिन उनके प्लांट्स के लिये तीन चार साल तक के आर्डर्स बुक्ड हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जो प्रस्तावित बांध योजना है उसके विषय में विस्तृत रूप से परीक्षण कब तक समाप्त हो जायेगा और जो यू० पी० और पंजाब से बात चीत चल रही है उसको कब तक खत्म किया जा सकेगा, इसके विषय में क्या कोई संकेत दिया जा सकता है ?

डा० सुशीला नायर : जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश की जा रही है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । इस पर हम नियमित चर्चा कर चुके हैं । इस संबंध में प्रस्तावों की कई सूचनायें थीं इसलिये मैंने इस प्रश्न पर इतने प्रश्न पूछने दिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय हित व महत्व को ध्यान में रखते हुये रेलवे दुर्घटना संबंधी प्रश्न संख्या ८७ को बारी से पहले ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आमतौर पर मैं बारी से पहले प्रश्नों को नहीं लेता । मैं उन्हें सूची के क्रम से लेता हूं । किन्तु यदि सभा चाहती है कि रेलवे दुर्घटना.....

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर हम उसे ले लेंगे ।

†**श्री राम रतन गुप्त :** मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या ७५ बहुत महत्वपूर्ण है । चूंकि समय कम है इसलिये यदि आप अनुमति दें....

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या ८७ को मैंने सभा की अनुमति से बारी से पहले लिया है क्योंकि उस विषय पर बहुत से प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

रेलवे दुर्घटनायें

+

†*८७ {
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री कि० पटनायक :
श्री सोनावन :
श्री प० ना० कयाल :
श्री सिद्धय्या :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री नम्बियार :
श्री रामसेवक यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री उमानाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २३ जून से लेकर ५ अगस्त, १९६२ तक की अवधि में कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ; और

(ग) प्रत्येक में अलग अलग कितने व्यक्ति हताहत हुये ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २३ जून और ३१ जुलाई के बीच (जब तक की जानकारी उपलब्ध है) हुई रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या १८१ है।

(ख) १८१ मामलों में से ९८ मामलों की जांच पड़ताल हो रही है और बाकी ८३ मामलों में कारण निम्न प्रकार थे :

रेलवे कर्मचारियों की गल्ती . . .	५३
रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त गल्ती . .	६

†मूल अंग्रेजी में

मशीनी उपकरणों का खराब होना .	१०
लाइन का खराब होना .	७
आकस्मिक	७

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें दुर्घटनाओं, जिनमें व्यक्ति हताहत हुये का ब्योरा दिया गया है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]**

इस १८१ संख्या में छोटी से छोटी दुर्घटनायें भी शामिल हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** :उन मामलों में जिनमें जांच कार्य पूरा हो गया है और सरकार को रिपोर्ट दे दी गयी है, सरकार ने प्रत्येक मामले में दुर्घटना के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : प्रत्येक दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये कार्यवाही की जाती है और यदि यह किसी रेलवे कर्मचारी की गल्ती से होती है, तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह जानकारी चाहिये कि जिन मामलों में जांच कार्य पूरा हो गया है और निष्कर्ष निकल चुका है, क्या किसी मामले में दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मामले बड़ी संख्या में हैं। प्रत्येक दुर्घटना के बारे में अवश्य कार्यवाही की जाती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उन मामलों की क्या संख्या होगी, जिनमें कार्यवाही की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय बाद में इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे ।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं दो दिन में एक विवरण रखूंगा । यह प्रश्न हाल ही की, २३ जून के बाद की, घटना के बारे में है और जांच पूरी करने में कुछ समय लगता है । विवरण में जो मामले बताये गये हैं, इनमें से अधिकांश में जांच भी पूरी नहीं हुई है । परन्तु मैं जानकारी एकत्र कर रहा हूं और लगभग दो दिन में मैं एक विवरण सभा पटल पर रख सकूंगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : औचित्य प्रश्न के हेतु । उपमंत्री महोदय और स्वयं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में अन्तर है । उपमंत्री महोदय ने बताया कि कुछ मामलों में यह पूरी कर ली गयी है और मंत्री महोदय का कहना है कि जांच पूरी नहीं हुई है । मैं यह नहीं समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई अन्तर नहीं है । उन्होंने कहा है कि ९८ मामलों में जांच अभी हो रही है । बाकी में पूरी हो गई होगी । परन्तु वे छोटी दुर्घटनायें हो सकती हैं जहां यार्ड आदि में गाड़ी पटरी से उत्तर गई हो ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कौन जिम्मेवार है ? कोई नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह नहीं कहता । उस बारे में उन्होंने कहा है कि वे दो दिन में एक विवरण पेश करेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : ऐसे मामलों में, जहां यह सिद्ध हो चुका है कि ये दुर्घटनायें कर्मचारियों की अकर्मण्यता और अकार्यकुशलता के कारण हुई, सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका भी अभी पता नहीं चला है और बाद में एक विवरण रखा जायेगा ।

†**श्री नम्बियार** : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि एक ही प्रकार की भिड़न्त, अर्थात् एक लाइन पर खड़ी हुई गड़ी से उसी लाइन पर इंजनों का टकराना, की कई दुर्घटनायें हुई हैं । क्या सरकार ने इस बात के लिये कदम उठाये हैं कि ऐसी टक्कर को रोकने के लिये इंटरलाकिंग और सिगनलिंग व्यवस्था में उपयुक्त सुधार किये जायें ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सिगनलिंग स्तर के सुधार का कार्य निरन्तर होता रहता है और यह कार्यक्रमानुसार किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पिछले तीन महीनों के अन्दर इस देश में जो रेल दुर्घटनायें हुई हैं, उनके कारण आम जनता में बड़ा आतंक और आशंका फैल गयी है । मैं जानना चाहता हुं कि क्या रेलवे मंत्रालय ने उन विशेष कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है जिनकी वजह से पहले के बनिस्बत ज्यादा दुर्घटनायें हो रही हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैंने पहले अर्ज किया है, हर एक एक्सीडेंट के बाद एक बाकायदा एनक्वायरी होती है और जो जो सिफारिशें उस एनक्वायरी रिपोर्ट में की जाती हैं उनको पूरा किया जाता है । अगर किसी रेलवे कर्मचारी की गफलत से ये एक्सीडेंट होते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मंत्री महोदय जो दो दिन में सभा पटल पर एक विवरण रखेंगे, क्या उसमें यह जानकारी भी दी जायेगी कि कितने कर्मचारी हैं और कितने पदाधिकारी और क्या उस विभाग की जिम्मेदारी का पूरा प्रश्न पदाधिकारी स्तर पर उठाया जाता है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं वह जानकारी एकत्र करने का भी प्रयत्न करूंगा और जो भी जानकारी उपलब्ध होगी, सभा पटल पर रख दूंगा । मैं उन पदाधिकारियों की श्रेणी भी बताऊंगा जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है । उससे माननीय सदस्यों को पता लगेगा कि हमने केवल निम्न वर्ग के कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है या उच्च वर्ग के विरूद्ध भी ।

श्री राम सेवक यादव : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहुंगा कि अब तक की जो एनक्वायरीज हुई हैं इन दुर्घटनाओं के संबंध में, उनमें कुछ बड़े अधिकारियों को भी जिम्मेदार पाया गया है और क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बड़ा जनरल सवाल है । मैं वाक्यात हासिल किये बगैर इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कल डिप्टी मिनिस्टर साहब ने राज्य सभा में इसी प्रकार का एक वक्तव्य दिया था । उसमें बताया था कि पिछले ६ महीनों में जो ट्रेन्स की दुर्घटनायें हुई और जो अब बाद के ६ महीनों में हुई हैं, उनमें कुछ कमी हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि पहले ६ महीनों में जो एक्सीडेंट हुये उनमें मेजर एक्सीडेंट कितने थे और बाद के ६ महीनों में जो एक्सीडेंट हुये उनमें मेजर एक्सीडेंट कितने थे ?

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री शाहनवाज खां : यह सवाल राज्य सभा में किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि पहले ६ महीनों में मेजर एक्सीडेंट ज्यादा थे या बाद के ६ महीनों में मेजर एक्सीडेंट ज्यादा थे ।

श्री शाहनवाज खां : एग्जेक्ट फिगर तो मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है सन् १९६१ के आखिरी ६ महीनों में जो एक्सीडेंट हुये, उनके बनिस्बत इस साल के ६ महीनों में एक्सीडेंट कुछ कम हुये हैं ।

†श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या हाल की हुबली दुर्घटना में जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो उपपत्तियां क्या हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : जांच पूरी हो गयी है । सहायक रेलवे (सुरक्षा) आयुक्त की उपपत्ति यह है कि यह तोड़फोड़ के कारण हुई है ।

श्री रघुनाथ सिंह : आपने कहा है कि इस साल क ६ महीनों में इससे पहले के ६ महीनों से एकसीडेंट कम हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि हताहतों की तादाद इस साल के ६ महीनों के एक्सीडेंट में ज्यादा थी या इससे पहले के ६ महीनों के एक्सीडेंट में ।

श्री शाहनवाज खां : इस साल क ६ महीनों में जो एक्सीडेंट हुए हैं उनमें सन् १९६१ के आखीरी ६ महीनों के एक्सीडेंट के मुकाबले में कम हताहत हुए हैं ।

श्री त्यागी : मैं यह दरयाफ्त करना चाहता था कि इन एक्सीडेंट के बाद गर्वनमेंट ने या रेलवे मिनिस्ट्री न अपनी कोई खास पालिसी बनायी है जिस से आयन्द इनको रोकने का इन्तजाम किया जा सके और अगर बनायी है तो क्या क्या प्रिकाशनरी स्टेप लिए गये हैं ।

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैं ने पहले कहा जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद एनक्वायरी की जीती है कि किन कारणों से वह एक्सीडेंट हुआ और जो उसकी वजूहात होती हैं उन को दूर करने की कोशिश की जाती है । जितने रेलवे के एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से ६५ फीसदी फेल्योर आफ ह्यूमैन एलीमेंट या फेल्योर आफ इक्वतमेंट की वजह से हुए हैं । जहां रेलवे के कर्मचारियों की गफलत से एक्सीडेंट होते हैं वहां हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी ट्रेनिंग में तो कोई कमी नहीं है और एक रेलवे सेफटी आरगेनाईजेशन है जो हर स्टेशन पर जाकर देखता है कि स्टेशन रूल्स ठीक हैं और इक्विपमेंट के बारे में फैक्ट्रियों में जहां वह बनता है जाकर देखता है कि ठीक मैटीरियल इस्तेमाल होता है या नहीं । जो भी मुमकिन कोशिश है वह की जा रही है

श्री त्यागी : यह तो पहले से ही हो रहा है ।

श्री शाहनवाज खां : और जैसा कि हाउस को पता है, श्री हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक कमेटी कायम की गयी है। वह जो सिफारिशें करेगी उनको भी माना जाएगा।

†श्री प्र० क० देव : विवरण से पता चलता है कि इन बड़ी दुर्घटनाओं में से अधिकांश देश के उत्तरी भाग में, पूर्व रेलवे अथवा पूर्वोत्तर रेलवे अथवा दक्षिण पूर्व रेलवे पर, होती हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि देश के उस भाग में यात्रा करना सुरक्षित रहे, कोई कदम उठा रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : और फिर अन्य भागों में स्थिति खराब हो जायेगी ? जहां कहीं दुर्घटनायें होती हैं, उपाय किये जाते हैं, चाहे वह पूर्व में हो या पश्चिम, उत्तर अथवा दक्षिण में हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : अथवा केन्द्र ।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : डुमरांव में तोड़फोड़ के कारण हुई दुर्घटना का क्या स्वरूप और व्योरा है ?

कुछ माननीय सदस्य : हूबली :

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : जी, हां । हुबली ।

†अध्यक्ष महोदय : इसकी जांच हो रही है । श्री स० मो० बनर्जी ।

†एक माननीय सदस्य : जी, नहीं । यह पूरी हो गयी है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या इन भीषण दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिये रेलवे प्राधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषज्ञ की राय भी ली जा रही है ?

†श्री स्वर्ण सिंह : मुझे पता नहीं है कि किस विशेषज्ञ की राय ली जायेगी । विशेष राय उन व्यक्तियों की होनी चाहिये जिनका रेलवे के संचालन से संबंध हो, जिनको रेलवे के बारे में कुछ पता हो । मैं नहीं समझता कि गैर रेलवे व्यक्ति ऐसे तकनीकी और पचीदा मामले में कोई विशष राय दे सकते हैं ।

†श्री प्रिय गुप्त : औचित्य प्रश्न के हेतु । जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है, यदि वह सच है तो रेलवे मंत्री और उपमंत्री गैर तकनीकी व्यक्ति कैसे हो सकते हैं और रेलवेमैन क्यों नहीं हो सकते ?

†महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या सरकार दुर्घटनाओं को रोकने अथवा न्यूनतम करने लिये मेल गाड़ियों के आगे पाइलट गाड़ियां भेजने पर विचार करेगी ?

†श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि कुछ पाइलट गाड़ियों को भेजना आवश्यक है और हमें अपने संचालन में सुधार करके और सुरक्षात्मक कार्यवाही करना इन घटनाओं को दूर करना चाहिये । यदि हम सुरक्षा के लिये पाइलट भेजें तो इसमें बड़ी बर्बादी होगी ।

†श्री प्रिय गुप्त : औन एप्वाएंट औफ आर्डर, सर । मैं यह पूछना चाहता हुं कि क्या यह सच है कि जब भी ऐक्सीडेंट्स के बारे में मिकैनिकल, सिगनल, ट्रांसपोर्टेशन, लोको या इंजीनियरिंग के अफसरान इनक्वायरी करते हैं तो आपस के एक दूसरे के दोष को ढक कर कोई दूसरा ही कारण दिखलाने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से अपनी फाइन्डिंग देते हैं ?

क्या यह बात भी सच नहीं है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर द्वारा स्टेशन वर्किंग रूल्स के खिलाफ भी नीचे तबके के एम्प्लाईज को काम करने के लिये मजबूर करने की वजह से भी ऐक्सीडेंट्स होते हैं ? माल सप्लाई न होने की वजह से और अनरिपेयर्ड लोको कोचेज, पटरी और स्लीपर्स जोकि डूय फौर रिपेयर्स एंड ओवरहालिंग हैं और जिनके कि इस्तेमाल करने में ऐक्सी-डेंट्स हो जाने का खतरा रहता है उनको क्यों ऐलाऊ किया जाता है । खुद रेलवे मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि रेलवेज की बहुत से स्लीपर्स और पटरियां खराब हैं और उनके कारण ऐक्सीडेंट्स हो सकते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इन लैप्सिज के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ?

†अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है । यह तो लैक्चर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रिय गुप्त : अध्यक्ष महोदय, जी नहीं.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अमरीका से दूषित आटा

\+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १. {
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हेम बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की कुछ दानी संस्थाओं ने इस देश में अपने प्रतिनिधियों को एक खेप आटा भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो वह कितना था और किन-किन संस्थाओं ने वह आटा दान में दिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि आटे की वह खेप दूषित है ;

(घ) क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि वह कहां से और किस स्थान पर दूषित हुआ ;

(ङ) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के दो जिलों और असम के एक जिले में ६०० से अधिक लोगों को उस आयात किये हुये आटे की चपातियां खाने के बाद हाल में पक्षाघात हो गया ;

(च) क्या यह भी सच है कि असम के छोटापूखरी मिशन स्कूल के १८० लड़कों के, जिन्होंने अमरीका के लोगों द्वारा दान किये गये सर्वप्रयोजनीय आटे से अपने स्कूल के रसोई घर में बनी हुई चपातियां खाई, अंगों का आंशिक पक्षाघात हो गया ; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : उत्तर लगभग चार पृष्ठों में है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वे उसको पढ़ दें । हमारे पास कई प्रश्न हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : आपकी अनुमति हो तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यदि वह पढ़ेंगे नहीं तो हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मैं चार पृष्ठों का विवरण पढ़े जाने की अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य यह भी जानना चाहेंगे कि इसमें क्या है ताकि वे प्रश्न पूछ सकें। तो मैं यह सुझाव दूंगा कि चार पृष्ठों का विवरण सभा पटल पर रख दिया जाये और मैं कल सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री अ० म० थामस : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५**]।

श्री बागड़ी : ग्रौन पवाएंट ग्रौफ ग्राडंर, सर....

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त पवाएंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं हो सकता।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, मेरी बात सुन लीजिये मेरी अर्ज़ सुन लीजिये। अर्ज़ यह है कि मैंने खाद्य पदार्थों की मिलावट के बारे में कौलिंग एटेंशन नोटिस और शौर्ट नोटिस क्वैश्चन दिया था क्योंकि यह दिल्ली में सोडावाटर की बोतल में छिपकली और मक्खियां और डबलरोटी में जंग लगी सुई मिलती है उनके संबंध में था। यह इसलिये नामंज़ूर कर दिये गये कि आज की लिस्ट ग्रौफ क्वैश्चंस में ७४ और ८८ नम्बर के सवाल इसी बारे में थे लेकिन वह सवाल आये नहीं और क्वैश्चन टाईम खत्म हो गया। अब शौर्ट नोटिस क्वैश्चन देने का मतलब ही यह होता है कि वह महत्वपूर्ण है और वह अवश्य सदन में आये। यह खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रश्न बहुत अहम और महत्वपूर्ण है और इस तर बहस करने के लिये दिन जरूर रख देना चाहिये। चूंकि यह देश की जनता के स्वास्थ्य से संबंध रखता है और यह बहुत अहम सवाल है इसलिये इसके ऊपर अलहदा से दो, घंटे या तीन घंटे का समय बहस करने के वास्ते रक्खा जाय ताकि सभी लोग इस पर अपने विचार प्रकट कर सकें और किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके।

अध्यक्ष महोदय : जो मेम्बर इस पर अलहदा से बहस करना चाहते हैं उनको इसके वास्ते नोटिस देने का अधिकार है। जब वह नोटिस देंगे तभी उस पर फैसला होगा। इस तरह महज जबानी कहने से कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया जा सकता है और न ही बहस हो सकती है।

दूसरा सवाल मेरे और माननीय सदस्य के दरमियान यह हमेशा तनाजा रहता है कि आया जब मैं उनको इजाजत दूं तब वह बोलें या जब वह खड़े हो जायें तो मैं बैठ जाऊं और मुझे उनको जरूर बोलने की इजाजत देनी चाहिये। इस बात का निर्णय पहले हो जाना चाहिये क्योंकि कोई प्रोसीज्योर तय करके ही काम हो सकता है वैसे हाउस में कोई काम नहीं हो सकता है। मैं तो यह समझता हूं और मेम्बर साहब को भी यह समझ लेने की जरूरत है कि जब स्पीकर साहब बोलने की इजाजत दें तभी वह बोलना शुरू करें और ऐसा न करें कि मैं तो उन्हें बन्द करता हूं और वह बोलना शुरू कर देते हैं और मुझे बैठ जाना पड़ता है। मैं यह चीज कितनी दफे बर्दाश्त करूं? मैं माननीय सदस्य से यह विनय करना चाहूंगा कि इस बात के लिये पहले फैसला होना चाहिये कि जिस मेम्बर साहब को स्पीकर इजाजत देंगे वही बोलेगा और जब तक उसे बोलने की इजाजत नहीं मिलती है तब तक उसे बोलना नहीं चाहिये। मेरा ख्याल है कि आज से आगे ऐसा ही होगा।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि जब माननीय सदस्य ने प्वाएंट आफ आर्डर उठाया और आप बैठ गये तो उन्होंने यही समझा कि आप शायद उनको बोलने की इजाजत दे रहें हैं और इसलिये उन्होंने अपनी बात कही।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो समझा वह अपने हिसाब से उन्होंने ठीक ही समझा।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, चूंकि मेरे से यह बात संबंध रखती है इसलिये मैं इसे साफ कर दूं......

अध्यक्ष महोदय : बगैर मेरी इजाज़त के आप नहीं कर सकते। मि० जगजीवन राम।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर

†*५७. { **श्री दाजी** :
श्री प्र० क० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने अब तक उस नहर की मरम्मत नहीं की जिसे १९५८-५९ में क्षति पहुंची थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मरम्मत के अभाव में नहर द्वारा नौपरिवहन संभव नहीं है और बंगाल को कोयले का संभरण नहीं हो पा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीअलगेशन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

खाद्य उत्पादन

†*५८. { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री राम रतन गुप्त :
डा० क० ल० राव :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेम राज :
श्री दाजी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री मे० क० कुमारन :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री मुहम्मद ताहिर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष खाद्य उत्पादन मांग की तुलना में कितना कम है ;

(ख) कितने अनाज यानी गेहूं आदि का विशेषतः १९६२–६३ में आयात किया जायेगा ;

(ग) क्या इस वर्ष भारत को अमेरिका से उसकी कुल आवश्यकता का गेहूं प्राप्त नहीं हो रहा है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) आस्ट्रेलिया सरकार से एक लाख टन गेहूं खरीदने के जिसके संबंध में जुलाई के प्रथम सप्ताह में समझौता हुआ था, क्या कारण हैं और भारत को इससे क्या लाभ होगा ; और

(ङ) अमरीकी गेहूं और आस्ट्रेलिया के गेहूं के मूल्यों और किस्म में क्या अन्तर है और भारत में ये क्या क्या भाव पर बिकेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) १९६१–६२ के सभी खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक प्राप्त नहीं गये हैं। खाद्यान्नों की मांग का ठीक ठीक अनुमान लगाना भी कठिन है क्योंकि यह मांग कई बातों पर निर्भर करती है जिनमें से अधिकांश का ठीक-ठीक अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। अनुमान है कि १९६२ में सरकारी भंडार में से लगभग ३१ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। मांग की अपेक्षा उत्पादन में लगभग इतनी ही कमी समझी जा सकती है।

(ख) भविष्य में होने वाले आयात का कार्यक्रम बताना जन हित में नहीं होगा।

(ग) भारत सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से अपेक्षित गेहूं की मात्रा प्राप्त हो रही है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ जो मई, १९६० का पी० एल० ४८० करार हुआ था उसके अन्तर्गत हो रहे आयात के अलावा भारत सरकार के लिये ४ लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात करना जरूरी है। आस्ट्रेलिया से गेहूं की यह खरीदारी साधारण बाजारों की आवश्यकता के अनुसार हो रही है।

(ङ) आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से जिस भाव पर गेहूं का आयात किया जा रहा है, उसका बताना जन हित में नहीं होगा। आस्ट्रेलिया का गेहूं सफेद किस्म का है जोकि न्यूनाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी सफेद गेहूं से मिलता जुलता है। भारत में आस्ट्रेलिया और अमरीकी गेहूं का बिक्रीभाव बोरी का मूल्य सहित रु० ३७.५१ प्रति क्विंटल है।

---

†मूल अंग्रेजी

राष्ट्रीय चक्की प्रयोगशाला[1]

†*५९. { **श्री बसुमतारी :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यलमन्दा रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं के उत्पाद की किस्म की जांच के लिये दिल्ली में एक राष्ट्रीय चक्की प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वह गेहूं की किस्म को सुधारने में कहां तक सहायक हो सकेगी ;

(ग) इस प्रयोगशाला की अनुमानित लागत क्या होगी ;

(घ) क्या प्रेरणा के तौर पर पारितोषिक देने की घोषणा करके किसानों में गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि व उसकी किस्म में सुधार के लिये प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें किसानों को प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करने के लिये स्पर्धा की भावना के प्रोत्साहन के लिये फसल प्रतियोगिता में उपयुक्त पारितोषिक दे रही हैं।

बंगाल बिहार क्षेत्र से कोयला ले जाने के लिये वैगन

†*६०. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला क्षेत्रों से उपभोक्ताओं तक कोयले की अतिरिक्त मात्रा पहुंचाने के लिये बंगाल बिहार क्षेत्र में रेलवे का विचार प्रतिदिन १२० अतिरिक्त वैगन उपलब्ध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] National Millers Association'

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक कोयला पहुंचाने के लिये ३६४६ वैगन प्रतिदिन के पहले लक्ष्य के विरुद्ध जुलाई, १९६२ की प्रथम दो अवधियों में इसको बढ़ाकर ३७२५ वैगन प्रति दिन कर दिया गया है । यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही १२० वैगनों की वृद्धि हो जायेगी ।

सोन बांध परियोजना

†*६१. { **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में सोन बांध परियोजना के लिये विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण की बातचीत करने के लिये एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता का क्या परिणाम रहा ?

†सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) १५० लाख डालरों के लिये ऋण करार पर २९ जून, १९६२ को हस्ताक्षर किये गये हैं ।

कोसी परियोजना से बिजली

†६२. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोसी योजना से बनने वाली बिजली कब से उपलब्ध होगी ;

(ख) क्या सरकार ने उस बिजली के पूर्ण उपयोग की संभावना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बिजली से छोटे उद्योगों के विस्तार की कोई योजना बनाई गई है, यदि हां, तो योजना का व्योरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) कोसी परियोजना से १९६५–६६ के दौरान किसी समय बिजली मिलने की संभावना है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार चुनाव बोर्ड

†*६३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त सर्किलों मे सभी श्रेणियों म भर्ती करने का काम डाक तथा तार चुनाव बोर्ड को देने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या किसी सर्किल में अभी तक कोई भर्ती हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय करने में कुछ समय लगेगा ।

(ग) क्लेरिकल पदाली में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा भारत भर में १ जुलाई, १९६२ को की गयी । जहां तक अन्य पदाली, जैसे टेलीफोन आपरेटर, टेली टाइपिस्ट आदि का, संबंध है, वर्तमान नियमों के अनुसार भर्ती जारी है ।

विदेशी पर्यटकों के लिये होटल आवास और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों में स्थान

†*६४. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसाकि एक अमरीकी यात्रा एजट ने कहा है, भारत आने वाले लगभग ५०० पर्यटक इस कारण दिल्ली नहीं आते कि उन्हें या तो होटलों में आवास या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन विमानों मे स्थान नहीं मिल पाता ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी पर्यटकों के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में स्थान तथा होटलों मे जगह सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) सरकार को अमरीका यात्रा एजेंट के ऐसे किसी वक्तव्य का पता नहीं है । तथापि, यह सच है कि दिल्ली में होटलों में तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में कभी कभी पर्यटकों की, विशेषत: बड़े दलों, मांग पूरी नहीं हो पाती ।

(ख) सरकार इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अधिक उड़ानों के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इतने समय मे अन्तिम आरक्षण के लिये पर्यटकों की सुविधा के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने एक केन्द्रीय आरक्षण पद्धति स्थापित की है ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

ऋण, आयकर छूट और आयात परमिटों के जरिये नये होटलों के निर्माण में प्रोत्साहन के लिये सभी उचित प्रेरणायें दी जा रही हैं।

रावी और यमुना पर बांध

†*६५. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री हेम राज :
श्री प्र० च० बरुआ : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने रावी और यमुना पर बांध बनाने की एक बहुप्रयोजनीय योजना केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो किस स्तर पर विचार किया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). (१) पंजाब सरकार ने रावी नदी पर एक बांध (थेन बांध) बनाने की योजना पेश की थी परन्तु केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा इस का परीक्षण किये जाने से पूर्व राज्य सरकार ने सूचित किया कि योजना में संशोधन किया जा रहा है और इसे विस्तृत किया जा रहा है। पुनरीक्षित योजना का परियोजना प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

(२) पंजाब सरकार से यमुना नदी पर बांध बनाने की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

टेलीफोन कालों पर 'क्रेडिट कार्ड' सुविधायें

†*६६. { **श्री भगवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इंगलिस्तान के बीच टेलीफोन कालों पर 'क्रेडिट-कार्ड' सुविधा देने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी, नहीं। यह सुविधा १ जुलाई, १९६२ से लागू की गयी है।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूमि अर्जन

†*६७. **श्री मुरारका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टि में रखते हुये, सरकार भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को नियमित बनाने के लिये विधान पेश करने का विचार करती है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इससे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ; और

(ग) ऐसी विधि कब तक पुरःस्थापित की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय नें राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) राष्ट्रपति ने भू-अर्जन कार्यवाही को विनियमित करने के लिये २० जुलाई, १९६२ को भू-अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ को प्रख्यापित कर दिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) संसद् के चालू सत्र में।

वनस्पति में रंग मिलाना

†*६८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री साधू राम :
श्री बागड़ी :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वनस्पति मे रंग मिलाने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: इस संबंध में नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति दो रंगों—हल्दी के मादक तत्व और रतनजोत की जड़ का रंग—पर ध्यान दे रही है। इन रंगों में विशेषत: रतनजोत की जड़ के रंग की विषाक्तता के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है।

डाक तथा तार कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

*६९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा संबंधी छात्रवृत्तियां देने की जिस योजना पर विचार किया जा रहा था उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है और उस स्वीकृत योजना की मोटी रूप रेखा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : सभा पटल पर एक विवरण पत्र रखा जाता है।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष से तकनीकी शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष २०० नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने का निश्चय किया गया है।

ये छात्रवृत्तियां उन डाक-तार कर्मचारियों के बच्चों, आश्रित भाइयों और आश्रित बहिनों को दी जायेंगी, जिनका मूल वेतन प्रतिमास ४२५ रुपय से कम है। छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों की

†मूल अंग्रेजी में

योग्यता के आधार पर दी जायेंगी । कुछ छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष आरक्षित रहेंगी, जिनका ब्योरा इस प्रकार है :—

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिये ५ प्रतिशत या १० छात्रवृत्तियां ;

अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के बच्चों के लिये १२ प्रतिशत या २४ छात्रवृत्तियां ; और ;

अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिय ५ प्रतिशत या १० छात्रवृत्तियां ।

बशर्ते कि उपर्युक्त उम्मीदवारों के न होने के कारण यदि आरक्षित कोटा की छात्रवृत्तियां शेष बची रहेंगी, तो उन शेष छात्रवृत्तियों को "सामान्य" छात्रवृत्तियां समझा जायेगा।

सामान्य रूप से एक छात्रवृत्ति १५ से ५० रु० तक की होगी । जिन उम्मीदवारों को विशेष रूप से योग्य समझा जायेगा, उनकी छात्रवृत्ति प्रतिमास ७० रु० तक बढ़ाई जा सकती है। एक बार मंजूर की गई छात्रवृत्तियां पाठ्यक्रम के पूरा होने तक दी जाती रहेंगी। उन्हें केवल तभी समाप्त किया जायेगा जबकि कोई विद्यार्थी किसी मध्यवर्ती परीक्षा में एक बार से अधिक अनुत्तीर्ण रहेगा अथवा जबकि संबंधित डाक-तार कर्मचारी ने इस्तीफा दे दिया हो या उसे अनुशासनिक कार्रवाई के फलस्वरूप बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा नौकरी से हटा दिया गया हो ।

पोंग में व्यास बांध के लिये विदेशी मुद्रा

†*७०. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पोंग बांध के निर्माण के लिये मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा देने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

उड़ीसा डाक तथा तार सर्किल

†*७१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में उड़ीसा डाक तथा तार सर्किल का कोई पुनर्गठन किया गया है और क्या इस सर्किल में उड़ीसा राज्य के किसी नये क्षेत्र को शामिल किया गया है ;

(ख) क्या इस पुनर्गठन के बारे में मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जावेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) उड़ीसा में उन क्षेत्रों को जो इस समय पड़ोसी डाक तथा तार सर्किल के नियंत्रणाधीन हैं, उड़ीसा डाक तथा तार सर्किल के नियंत्रण में स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है। साथ साथ पुनर्गठन भी किया जायेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में इस का उत्तर दिया जा चुका है ।

इंजेक्शन की शीशियों में धूल आदि

*७२. श्री केप्पन :
श्री नम्बियार :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री मोहसिन :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० कें० देव :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री बागड़ी :
श्री पु० र० पटेल :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छोटूभाई पटेल :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अस्पतालों को इंजेक्शन के लिये दी गई औषधियों में सामान्यतः धूल आदि मिली हुई पाई जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस खराबी को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) यह बात सय नहीं है कि अस्पतालों को इंजेक्शन के लिये दी गई औषधियों में सामान्यतया धूल आदि मिली हुई पाई जाती है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

यात्रा पर प्रतिबन्ध का एयर इण्डिया के राजस्व पर प्रभाव

†*७३. श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रक्षित बैंक के हाल के इस निदेश का, कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों के

†मूल अंग्रेज़ी में

लिये तब तक विमान द्वारा अथवा जहाज द्वारा विदेश के लिये स्थान बुक न किया जाये जब तक उन को यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा न मिल जाये, एयर इण्डिया पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या एयर इण्डिया के राजस्व पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व की अवधि की तुलना में कितना प्रभाव पड़ा है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहीउद्दीन)**: (क) और (ख). विदेश यात्रा पर भारत के रक्षित बैंक द्वारा लगाये गये नवीन प्रतिबन्धों का भारत से एयर इन्डिया के यात्री-भार पर असर पड़ा है। तथापि, अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इन प्रतिबन्धों के परिणाम-स्वरूप एयर-इन्डिया को कितनी हानि होगी ।

(ग) एयर इन्डिया ने बताया है कि जुलाई, १९६२ के प्रथम पखवाड़े में बम्बई से यात्रियों के भार में लगभग १५/२० प्रतिशत की कमी हुई है ।

खाद्य अपमिश्रण

*७४. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री नम्बियार :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रत्न गुप्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मोहसिन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री बागड़ी :
श्री पु० र० पटेल :
श्र वे० जी० नायक :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में खाद्य अपमिश्रण के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित हाल के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में बीयर की बोतलों तथा सोडा वाटर बोतलों में छिपकली पाई गई, बर्फ की सिल्ली में चूहा पाया गया और डबल रोटियों में बाल तथा झींगुर पाये गये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

देश में हल्दी तथा अन्य मसालों में अपमिश्रण और दिल्ली में सोडा वाटर की एक बोतल में छिपकली, बर्फ की एक सिल्ली में चूहा और बीयर की एक बोतल में झींगुर से सम्बन्धित कतिपय हाल ही की घटनाओं के बारे में छपी प्रेस रिपोर्ट सरकार ने देखी है ।

दिल्ली में सीसा-योगिकों से अपमिश्रित हल्दी का कोई नमूना नहीं पाया गया । किन्तु सीसे की अत्यधिक मात्रा से मिलावट की गई हल्दी के नमूने पश्चिम बंगाल में प्रायः पाये गये हैं । स्वास्थ्य व्यवस्था के महानिदेशालय ने समय-समय पर समस्त प्रशासकीय मेडिकल अफसरों को अनुदेश दिये हैं, जिन में हल्दी को सीसे से रंगने की प्रणाली को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि म्यूनिसिपल अधिकारियों ने तुरन्त बर्फ की फैक्टरियों तथा सोडा वाटर फैक्टरियों का निरीक्षण किया तथा अस्वास्थ्यकर स्थितियों में चलने वाली फैक्टरियों के लाइसेन्स रद्द कर दिये गये । खाद्य वस्तुओं के उत्पादकों तथा विक्रेताओं की गतिविधियों पर निगम स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

गन्ने का मूल्य

†*७५. **श्री राम रतन गुप्त :**
श्री विभूति मिश्र :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री उमा नाथ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने गन्ने के वर्तमान मूल्य को बनाये रखने की सिफारिशें भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १९६२-६३ के लिये १.६२ रुपये प्रति मन के हिसाब से गन्ने का वर्तमान न्यूनतम मूल्य बनाये रखने का फैसला किया गया है परन्तु इस के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि गन्ने से ९.८ प्रतिशत चीनी निकले ।

†मूल अंग्रेजी में

सूटोफुकुरी आसाम में विषाक्त भोजन के मामले

†*७६. { श्री रवैल :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री बसुमतारी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूटोफुकुरी, जिला दरांग, आसाम में एक कैथोलिक होस्टल के विद्यार्थियों को खाना खाने के तुरन्त बाद पक्षाघात हो गया ;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों को पक्षाघात हुआ और क्या वे ठीक हो गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने पक्षाघात के कारणों का पता लगाया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). जी, हां । स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय के एक पदाधिकारी को इस मामले में वास्तविक स्थिति का पता लगाने और प्रतिवेदन देने के लिये आसाम भेजा गया है उन का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

इतने समय में इस घटना के लिये जिम्मेवार समझे गये आटा और मैदा को बन्द कर के रखने के आदेश दे दिये गये हैं ।

मद्रास हवाई अड्डे पर बी० ओ० ए० सी० के जेट विमान की दुर्घटना

†*७७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ जुलाई, १९६२ को बी० ओ० ए० सी० का एक 'कामेट' विमान, जब वह एयर इण्डिया की भाटकित उड़ान पर जकार्ता से कुवैत जा रहा था, मद्रास हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). २२ जुलाई, १९६२ को बी० ओ० ए० सी० का एक कामेट विमान, जब वह एयर इंडिया की भाटकित उड़ान पर जकार्ता-सिंगापुर-मद्रास-बम्बई मार्ग पर जा रहा था तो मद्रास हवाई अड्डे पर उतरते समय धावन-पथ (रनवे) से भटक गया । इस के प्रमुख पहिये धावन-पथ से दूर अर्ध-कड़ी भूमि में थोड़े से धंस गये ।

रामगंगा परियोजना

*७८. **श्री अचल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में रामगंगा बांध से मथुरा-आगरा जिलों को, सिंचाई के लिये पानी संभरण करने का आयोजन किया गया था ;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस काम को पूरा होने में रुकावट आने का क्या कारण था ;

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में रामगंगा बांध से मथुरा और आगरा जिलों को सिंचाई के लिये पानी देने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है ; और

(घ) उपरोक्त कार्यों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना से सिंचाई करने की कोई योजना नहीं है । १९६९-७० से ही सिंचाई आरम्भ होने की संभावना है ।

(घ) राम गंगा परियोजना के १९६८-६९ में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

सड़क बोर्ड

†*७९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में परिवहन संकट को दूर करने के लिये सड़कों का विकास करने के उद्देश्य से एक सड़क बोर्ड बनाने का है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है तथा यदि हां, तो इस के कब तक लागू हो जाने की आशा है ; और

(ग) क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार कोयले के यातायात के लिये छोटी तथा मिलाने वाली सड़कों को सुधारने की ५० प्रतिशत लागत राज्य सरकारों को देगी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). सड़क बोर्ड बनाने के लिये भारतीय सड़क कांग्रेस के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है । तथापि, इस मामले में निर्णय करने पर कुछ समय लगेगा क्योंकि इस में कुछ नीति की बातें हैं और विभिन्न प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के साथ-साथ कई प्रशासनिक और कानूनी समस्यायें हैं ।

(ग) कोयले के उत्पादन और परिवहन से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित किये गये कार्यकारी दल की सिफारिशों के फलस्वरूप, बंगाल-बिहार क्षेत्र में, वहां से कोयले के परिवहन की सुविधा के लिए, सड़क के सुधार की एक योजना योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गयी है । इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ फीडर और उपागमन सड़कों की लागत के ५० प्रतिशत के बराबर केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है ।

†मूल अंग्रेजी में

टिड्डी दल

†*८०. {
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री पु० र० पटेल :
श्री दे० जो० नायक :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में टिड्डी दल आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा है तथा इन्होंने कितना भुगतान किया हैं;

(ग) टिड्डियों के आक्रमण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस टिड्डी निरोधक कार्यवाही में किन अन्य देशों ने भाग लिया था ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक राजस्थान, पंजाब, संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर प्रभाव पड़ा है। फसलों को हुई हानि का अनुमान उत्तर प्रदेश में १०,००० एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में १,५२,००० रुपये लगाया गया है। अन्य प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रतीक्षित है।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता हैं।

विवरण

(१) इस वर्ष टिड्डियों की गंभीर स्थिति की आशंका में भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षत्रों को पहले से ही टिड्डियों के आक्रमण को रोकने के लिए तैयारी करन के लिए चेतावनी दे दी गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्य के लिए उत्तरदायी केन्द्रीय टिड्डी नाशक संगठन को राजस्थान, पंजाब और गुजरात के ८०,००० वर्ग मील से भी अधिक के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से दृढ़कर दिया गया है।

(३) टिड्डियों के आक्रमण से पूर्व बड़ी मात्रा में मशीनें और टिड्डी विनाशक जहर खरीदा गया और आवश्यक स्थानों पर रख दिया गया हैं।

(४) रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्षेत्रीय टिड्डी चौकियों, जिनके जरिये केन्द्रीय टिड्डी-नाशक संगठन कार्य करता हैं, की संख्या इस वर्ष ४१ से बढ़ा कर ५५ कर दी गयी है। टिड्डियों के रूप में सूचना के लिए, राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग से उपलब्ध सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त ३९ बेतार केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो टिड्डियों की स्थिति के बारे में तुरन्त जानकारी देने के लिये सभी चौकियों से सम्पर्क स्थापित करते है।

(५) भू-नियंत्रण कार्य के साथ साथ, जहां आवश्यक होता है, विमानों द्वारा कार्यवाही की जाती हैं।

(६) भारत को पाकिस्तान के साथ साझे वाली रगिस्तानी सीमा होने से, इस मंत्रालय के अधीन पौधा संरक्षण निदेशालय सीमावर्ती क्षेत्रों में टिड्डी विरोधी कार्य पाकिस्तान के सहयोग से करता है। उस प्रयोजन के लिए भारत और पाकिस्तान के पदाधिकारियों में समय-समय पर सीमान्त बैठकें होती रहती है।

(७) अरेबियन पेनिनसुला में, जहां से बसन्त ऋतु और गर्मी के आरम्भ में टिड्डियां पदा होती है और पूर्व की ओर आती है, टिड्डियों के पदा होने को कम से कम करने के लिए, भारत सरकार पिछले पांच वर्षो से लगातार खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सऊदी अरब में चलाये गये अन्तर्राष्ट्रीय टिड्डी नाशक आन्दोलन में, वहां पर टिड्डियों को समाप्त करने के लिए आत्म-निर्भर टिड्डी नाशक दल भेज कर, भाग ले रही है।

(घ) कोई नहीं।

परिवहन उपक्रम

*८१. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० च० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवाओं की कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए कोई अध्ययन समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र से राष्ट्रीयकृत परिवहन सवाओं को प्रोत्साहन देने की मांग की हैं; और यदि हां, तो किन राज्यों ने तथा किस प्रकार के प्रोत्साहन की मांग की हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अक्तूबर, १९६१ में आंध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया था कि आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

†मूल अंग्रेजी में

(और दूसरे प्रदेशों के ऐसे कारपोरेशनों) को आय कर से छूट दे दी जाय। यह सुझाव परिवहन विकास परिषद् की अक्तूबर, १९६१ की बैठक में रखा गया था। परिषद् ने सिफारिश की कि जिन सड़क परिवहन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया है उन की कठिनाइयों के अध्ययन के लिए एक सरकारी समिति बनायी जाये जो यह सुझाव देगी कि इन्हें कर मुक्ति के रूप में या अन्यथा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता हैं। यह विषय विचाराधीन है।

कृषि उत्पादन

†*८२. { **श्री बसुमतारी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि केन्द्रीय सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय अनुदान देकर राज्य सरकारों को उत्पादन की मात्रा तथा किस्म में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि कमी न होने देने के लिए तथा बाधाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक तीन महीनों में उच्च स्तर पर कृषि उत्पादन का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) राज्यों को प्रति वर्ष उनके कृषि कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय अनुदान, अन्य बातों के साथ साथ, विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता के तरीके, उसके अधीन स्वीकृत परिव्यय और विकास के विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर दिया जाता है।

(ख) और (ग) : प्रमुख उत्पादन कार्यक्रमों की प्रगति का विभिन्न स्तर पर कुछ समय बाद पुनर्विलोकन किया जाता रहता है।

कोयले का परिवहन

*८३. { **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्रों से उपभोग स्थानों तक कोयले के परिवहन की कठिनाई कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इसके लिए वैगनों की अब भी कमी है;

(ग) यदि हां, तो इन वैगनों के निर्माण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और

(घ) कमी को दूर करने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६**]

खम्भात विद्युत परियोजना

†*८४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात विद्युत् परियोजना के लिए अपेक्षित मशीनें खरीदने के लिए कोई आर्डर दिया गया है;

(ख) क्या इस के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा दिये जाने वाले ऋण से प्राप्त की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी रकम की आवश्यकता होगी; और

(घ) विद्युत् परियोजना के निर्माण के लिए देसी वस्तुयें खरीदने के लिए कितनी रकम की आवश्यकता होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). **जी, हां।**

(ग) ३३६ लाख डालर।

(घ) भूमि, असैनिक कार्य, जल संभरण और ठंडा करने के तरीके, विभिन्न उपकरण की लागत और प्रशासनिक प्रभार के लिए ६ करोड़ रुपये चाहियें। देशीय सामान की खरीद के लिए अपेक्षित ठीक धनराशि का पता नहीं है।

वनास्पति में रंग मिलाना

*८५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनास्पति में रंग मिलाने के लिए रतनजोत की जड़ के रंग में विषाक्तता का पता लगाने के लिए अध्ययन हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊपरी सिलेरू परियोजना

†*८६. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री पे० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० ल० राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र से आन्ध्र प्रदेश सरकार को ऊपरी सिलेरू परियोजना के बारे में कुछ नये प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या नये प्रस्तावों पर उड़ीसा सरकार की सहमति ले ली गयी है; और

(ग) प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्री इस मामले पर विचार करने के लिए अगस्त, १९६२ के दूसरे सप्ताह में योजना आयोग के सदस्य (प्राकृतिक संसाधन) से मिलेंगे । यह आशा की जाती है कि इस बैठक में कोई फैसला हो जायेगा ।

आसाम और पश्चिम बंगाल में खाद्य में विष के मामले

†*८८. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हेम बरुआ :
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या 'ट्रियोर्थोक्रिसाइल फासफेट' मिले हुए दूषित आटे के फलस्वरूप आसाम और पश्चिम बंगाल में पक्षाघात का रहस्यमय रोग शीघ्रता से फैल रहा है और उनसे बहुत से व्यक्ति मरे रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : पश्चिम बंगाल के मालदा और दीनाजपुर जिलों में अप्रैल के प्रथम सप्ताह से १६ जून, १९६२ तक की अवधि में पावों में लकवा मार जाने के रोग के ४५० मामले हुए । तब से इन क्षेत्रों से रोग के कोई और मामले की खबर नहीं मिली है ।

आसाम में दारंग जिले में छोटुपुवरी में एक कैथोलिक मिशन में पक्षाघात के १८० मामलों की खबर लगी है । इस मामले में और जाँच पड़ताल की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मन्त्रीकृत फार्म

†*८६. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री भागवत झा ग्राजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री प० कुन्हन् :
श्री म० क० कुमारन् :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री दाजी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के सूरतगढ़ फार्म के नमुने पर अन्य यंत्रीकृत फार्मों की स्थापना के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने स्थापना स्थानों का चूनाव कर लिया है ; और

(ग) क्या योजना को लागू करने के लिए विदेशी सहयोग उपलब्ध किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : : (क) जी, हां ।

(ख) सूरतगढ़ में एक स्थान (जेतसरमें) में चून लिया गया है । कुछ अन्य स्थानों के बारे में भी बड़े यंत्रीकृत फार्म समिति विचार कर रही है ।

(ग) नये फार्म स्थापित करने के लिये विदेशी सहयोग का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलगाड़ियों में से खतरे की जंजीरों को हटाना

†*६०. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलगाड़ियों में से खतरे की जंजीरें निकाल ली गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो किन गाड़ियों में से ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८२/६२**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसके लगातार गलत इस्तेमाल और परिणामस्वरूप उल्टे प्रभाव, जिसमें गाड़ियों के गम्भीर रूप से अव्यवस्थित होना और यात्रियों को असुविधायें शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए ।

कोचीन में मत्स्यपालन कार्यकर्ता प्रशिक्षण संस्था

†*९१. { **श्री बसुमतारी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अप्रल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में मत्स्यपालन कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण संस्था के बारे में नार्वे के विशेषज्ञ का प्रतिवेदन इस बीच मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इमारत देना स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रतिवेदन का संक्षेप सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८३/६२**]

(ग) जी, हाँ ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोसी परियोजना के पश्चिमी तटबन्ध पर रेल मार्ग

७७. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी परियोजना के पश्चिमी तटबन्ध पर रेल चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बनेगी ; और

(ग) इस काम में कब से हाथ लगेगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग). सवाल नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी स्टेशन के प्लेटफार्म पर शैड का निर्माण

७८. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी स्टेशन पर प्रति दिन गाड़ी में चढ़ने वालों तथा उतरने वालों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या उपरोक्त जंक्शन पर यात्रियों की असुविधा दूर करने के लिये प्लेटफार्म के ऊपर शैड बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक उसकी पूर्ति की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सकरी स्टेशन पर आने वाले और वहां से जाने वाले यात्रियों की दैनिक औसत क्रमशः १०१२ और १४५० है।

(ख) और (ग). जी हाँ। एक सुझाव की जाँच की जा रही है। लेकिन अभी यह बताना संभव नहीं है कि उस पर कब तक अमल होगा।

अदरख का विकास

†७६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, आसाम और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अदरख की कृषि के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना धन आवंटित किया गया है ;

(ख) इन तीन राज्यों में तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कितना धन आवंटित किया गया था ;

(ग) राज्यवार कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना उत्पादन-लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) अदरख के विकास के लिए राज्यों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न राशियाँ आवंटित की गई हैं :—

राज्य	आवंटित राशि (लाख रु०)
१. केरल	५.४१
२. आसाम	१.००
३. हिमाचल प्रदेश	२.००

(ख) तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षों में इन राज्यों में अदरख के विकास के लिए निम्न राशि आवंटित की गई है :—

राज्य	आवंटित राशि (लाख रु०)
१. केरल	३.६२
२. आसाम	०.३१
३. हिमाचल प्रदेश	०.८२

(ग) कहा जाता है कि अब तक निम्न धन व्यय हुआ है :—

राज्य	व्यय हुई राशि (लाख रु०)
१. केरल	२.८५
२. आसाम	सूचना नहीं मिली
३. हिमाचल प्रदेश	०.६२

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में राज्यों ने निम्न लक्ष्य निर्धारित किये हैं :—

राज्य	उत्पादन (टन)
१. केरल	११,०००
२. आसाम	सूचना नहीं मिली
३. हिमाचल प्रदेश	९,८००

काजू, काली मिर्च और अदरख का विकास

†८०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू, काली मिर्च, अदरख, आदि के लिए कोई राष्ट्रीय विकास योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). हाँ। इन फसलों के बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास प्रोग्राम निम्न है :—

काजू

विभिन्न राज्यों में तीसरी योजना में काजू के विकास के लिए १.९० करोड़ रु० निर्धारित किये गये हैं। मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा राज्यों में योजनायें आरम्भ हो चुकी हैं। तीसरी योजना में और ८ लाख एकड़ भूमि में यह फसल उगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

काली मिर्च

केरल, मैसूर, पश्चिम बंगाल और आसाम राज्यों में तीसरी योजना में काली मिर्च के विकास के लिए ३५ लाख रु० निर्धारित किये गये हैं। अतिरिक्त १६,७०० एकड़ भूमि में यह फसल उगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इलायची

केरल, मैसूर और पश्चिम बंगाल राज्यों में इलायची का विकास आरम्भ हो गया है और इस कार्य के लिए १५ लाख रु० निर्धारित किये गये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में अतिरिक्त ११,२०० एकड़ भूमि में यह फसल उगाने का विचार है।

अदरख

केरल, आसाम और हिमाचल प्रदेश राज्यों में तीसरी योजना में अदरक का विकास आरम्भ हो गया है और इस कार्य के लिये राज्यों की योजनाओं में ८.४१ लाख रु० का उपबन्ध किया गया है।

पंजाब म परिवार नियोजन रुजालय

†८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल पंजाब में कितने परिवार नियोजन रुजालय (क्लिनिक्स) कार्य कर रहे हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने गाँवों में हैं और कितने नगरों में हैं ;

(ग) परिवार नियोजन सलाहकार बोर्ड के कितने सदस्य पंजाब में हैं ; और

(घ) उनके कृत्य क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). पंजाब में आजकल ११५ परिवार नियोजन रुजालय (८३ गाँवों में और ३२ नगरों में) काम कर रहे हैं ।

(ग) राज्य परिवार नियोजन सलाहकार बोर्ड में सभापति सहित १५ सदस्य हैं ।

(घ) राज्य परिवार नियोजन सलाहकार बोर्ड के काम में निम्न बातें सम्मिलित हैं : परिवार नियोजन की जानकारी जनता को कराने में राज्य सरकार को सलाह देना, कर्मचारियों को परिवार नियोजन का प्रशिक्षण देने की सुविधायें देना, माताओं तथा शिशुओं के स्वास्थ्य के सुधार की योजनायें बनाना तथा परिवार की रहन-सहन की हालतों में सुधार करना ।

वन अनुसन्धान केन्द्र देहरादून

†८२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन अनुसंधान संस्था, देहरादून को विश्वविद्यालय बनाने के बारे में निश्चय करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि कोई निश्चय नहीं किया गया है तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). यह निश्चय किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रार्थना की जाये कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत वन अनुसंधान संस्था को, वन-विज्ञान में बी० एस-सी (आनर्स) की उपाधि देने के लिये विश्वविद्यालय घोषित कर दे । शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस बारे में जुलाई १९६२ में निवेदन किया गया था । उन के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली की नजफगढ झील

†८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की नजफगढ़ झील और उस से प्रभावित गांवों से पानी निकालने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) २१-४-१९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । योजना की दूसरी अवस्था का उद्देश्य ९०० क्युसेक्स बाढ़ का पानी निकालना है । यह काम जमना तक नाले को कांट छांट और पुनर्विभाजन कर के होगा । यह कार्य हो रहा है । अब तक लगभग २८ प्रतिशत कार्य हुआ है ।

(ख) २७.७५ लाख रुपया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में यमुना का दूसरा पुल

†८४. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यमुना पर दूसरा पुल बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है और इस के कब तक पूरे होने की आशा है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पुल की नींव का कार्य हो रहा है। बाईं और दाईं दोनों ओर के गाइड बन्ध पूरे होने वाले हैं। पुल पर समूचा कार्य १५ प्रतिशत हुआ है ।

(ख) पुल और इस के बन्धों पर अब तक लगभग २० लाख रु० व्यय हो चुके हैं। यदि इस्पात गर्डर समय पर मिल जायें तो आशा है कि पुल मार्च, १९६४ तक तैयार हो जायेगा ।

चिकित्सा अधिकारियों को छुट्टियां

†८५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के चिकित्सा अधिकारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति छुट्टी की सुविधा नहीं है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन्हें सामान्य छुट्टियों के बजाये कोई अन्य सुविधा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) इस मंत्रालय के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के चिकित्सा कर्मचारियों को केन्द्रीय अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति वर्ष में भारत सरकार की सभी राजपत्रित छुट्टियां और दो विशेष छुट्टियां मिलती हैं ।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कर्मचारियों को निम्न छुट्टियां मिलती हैं :—

(१) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों को छुट्टियों की वही सुविधायें मिलती हैं जो भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं । हां, एक अपवाद यह है कि प्रतिमास के दूसरे शनिवार को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय केवल प्रातःकाल खुलते हैं । आजकल उन्हें दो विशेष छुट्टियां नहीं दी जाती हैं जो अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा कर्मचारियों को यह लाभ देने की संभावना का प्रश्न विचाराधीन है ।

(२) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

बरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों तथा रजिस्ट्रारों को तीन सप्ताह में दो रविवार को छुट्टी मिलती है क्योंकि तीसरा रविवार उन का प्रवेश-दिवस होता है । हाउस सर्जनों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है । प्रयोगशाला, एक्स-रे विभाग, आदि में अधिकारियों को, उन दिनों को छोड़ कर जबकि उन्हें बुलाया जाये, सभी रविवारों तथा राजपत्रित

---

†मूल अंग्रेजी में

छुट्टियों को छुट्टी मिलती है। इस अस्पताल के बाह्य-रोगी विभाग के चिकित्सा कर्मचारी वे ही छुट्टियां मनाते हैं जो अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के कर्मचारियों को मिलती हैं। इस के अतिरिक्त उन्हें वर्ष में दो विशेष छुट्टियां भी मिलती हैं।

(३) विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली

इस अस्पताल के बाह्य विभाग के चिकित्सा कर्मचारी वे ही छुट्टियां मनाते हैं जोकि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को मिलती हैं। इस अस्पताल के सभी चिकित्सा अधिकारियों को वर्ष में दो विशेष छुट्टियां मिलती हैं। विलिंगडन अस्पताल से सम्बद्ध अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को, सेवा की आकस्मिक आवश्यकता का ध्यान रख कर, राजपत्रित छुट्टियां दी जाती हैं। इस का अब पुनरीक्षण हो रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

यन्त्र चालित नौकायें

†८६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षय योजनाकाल में यंत्र चालित नौकाओं के निर्माण का क्या लक्ष्य है ;

(ख) वर्ष १९६१-६२ में कितनी यंत्र चालित नौकायें तैयार हुईं ; और

(ग) केरल और मद्रास राज्य में अलग अलग कितनी नौकायें बनीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में लगभग ४००० नौकाओं में यंत्र लगाने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और एकत्रित होते ही पटल पर रख दी जायेगी।

बेर के फल में सुधार

८७. **श्री तन सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेर के फल में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ;

(ख) देश में किन-किन स्थानों अथवा राज्यों में यह कार्य किया जा रहा है ;

(ग) इस पर कितना खर्च हुआ है ; और

(घ) अनुसंधान के क्या परिणाम रहे ; और

(ङ) इन परिणामों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या योजना बनाई गई और उस पर कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बेर के फल के सम्बन्ध में निम्न स्थानों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है :—

(१) राजस्थान (अजमेर)

(२) पंजाब (बहादुरगढ़)

(३) मध्य प्रदेश (गोबिन्दगढ़ और सिलारी फार्म)

(४) गुजरात (जूनागढ़)

(ग) बेर-फल के अनुसंधान के सम्बन्ध में अब तक (लगभग) १,७६,००० रुपये खर्च हुए हैं ;

(घ) अनुसंधान योजनाओं पर कार्य जारी है और वास्तविक परिणाम अभी प्राप्त होने हैं। फिर भी मध्य प्रदेश में अभी तक जो कार्य हुआ है, उस के अनुसार नार्मा, गोल और बादामी नामक तीन किस्में वहां के बेर उगाने वाले प्रदेशों के लिये उपयुक्त पाई गई हैं। इन किसमों पर फल-मक्खी के हमले की सम्भावना भी कम है।

(ङ) मध्य प्रदेश में बागबानी अनुभाग का विस्तार-स्टाफ घटिया किस्म के बेरों पर बढ़िया किस्म के बेरों की कलमें बढ़ाने के लिये इन परिणामों को काम में ला रहा है।

विभिन्न केन्द्रों में चल रहे कार्य के अन्तिम परिणाम अभी प्राप्त होने हैं और ज्यों ही यह कार्य हो जायेगा, उपयोगी परिणामों के प्रचार के लिये कदम उठाये जायेंगे।

राजस्थान में भेड़-पालन केन्द्र

८८. **श्री तन सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने भेड़-पालन केन्द्र राजस्थान में स्थापित किये गये और उन की जिलेवार संख्या क्या है ;

(ख) इन केन्द्रों की क्या मुख्य प्रवृत्तियां थीं और वे उन में कहां तक सफल हुए ;

(ग) इन पर द्वितीय योजना की अवधि में क्या व्यय किया गया ; और

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ऐसे और कितने नये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में राजस्थान में ७३ भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्र खोले गये। उन का जिलेवार ब्यौरा निम्न लिखित है :—

जिले का नाम	विस्तार केन्द्रों की संख्या
१. चित्तौड़गढ़ .	२
२. उदयपुर . .	५
३. डूंगरपुर .	१
४. भीलवाड़ा .	२
५. सिकर	८
६. टोंक	६

†मूल अंग्रेजी में

जिले का नाम	विस्तार केन्द्रों की संख्या
७. नगौर	८
८. झुनझुनू	५
९. चूरू	७
१०. जलौर	७
११. बरमेर	४
१२. अजमेर	११
१३. सिरोही	४
कुल	७३

• **(ख) कार्य**

१. केन्द्र के १० मील के अर्ध-व्यास के अन्तर्गत भेड़ों के दलों का सर्वे करना और अधिक सुधार के लिए दलों को रजिस्टर करना। यह कार्यवाही गांवों के एक ऐसे समूह में की जा रही है, जिस में ५००० भेड़ें हैं।

२. स्टाक—एड सुविधाओं को बढ़ाना—जैसे सामयिक डुबो कर रंगना, खुराक देना इत्यादि।

३. उत्पादन शक्ति के बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीकृत नसल के प्रजनन मेढ़ों की देखभाल और उनका वितरण करना।

४. विपणन के लिए वैज्ञानिक कर्तन, श्रेणीकरण और ऊन तैयार करने में भेड़-पालकों को शिक्षा देना।

५. सुधरे हुए औजारों का प्रयोग—जैसे शीयर्स हूप—पेयरिंग्स नाइवस, केस्ट्रेटरस डोजिंग औजार इत्यादि।

६. उत्तम भेडों के दलों की देखभाल करने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए भेड़-पालकों का एसोसिएशन बनाना।

७. रोगों के नियंत्रण में सहायता देना और केन्द्र में भेड़ों के स्वामियों द्वारा पाले गये भेड़ों के दलों को प्राथमिक उपचार में सहायता देना।

सफलता की प्राप्ति

(१) भेड़ों के ६५० दल रजिस्टर किये गये और उन में गहन-चुनाव किया गया।

(२) ५३ भेड़ पालन सहकारी समितियों और २८ भेड़ पालन एसोसियेशनों को रजिस्टर किया गया।

(३) अपनी भेड़ें सुधारने के लिए ब्लाक मालिकों को लगभग ४२०० स्वीकृत नसल के मेंढ़े बांटे गये।

(४) द्वितीय योजना की अवधि के अन्त में एक सेम्पल सर्वे से पता चला है कि जिन प्रदेशों में ये केन्द्र स्थापित हैं, उनके सामान्य वूल क्लिप से ५ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

(५) लगभग १,२५,००० भेड़ों को खुराक दी गई और लगभग ५०,००० भेड़ों को बधिया किया गया ।

(ग) ८,०३,२०० रुपये ।

(घ) २४ नये विस्तार केन्द्र ।

दमचरा में रक्षित वन

†८९. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमचरा क्षेत्र में रक्षित वन की सीमा अन्तिम रूप से निश्चित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका सीमांकन सीमा-खंभ लगा कर किया गया है या सीमा-रेखा खोद कर किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) हां।

(ख) सीमा-खंभ लगाकर । फिर भी, कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर खंभों के दोनों ओर खाइयां खोदी गई हैं ताकि उससे सीमा-रेखा की दिशा का ज्ञान हो सके ।

त्रिपुरा के न्यायालयों में वन अभियोग

†९०. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २२ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि त्रिपुरा में वन-अधिकारियों ने जिन व्यक्तियों से जमीन छीनी है उनमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके निर्वाह का, झूम कृषि के अलावा, और कोई साधन नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उस श्रेणी के व्यक्तियों सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करने का है; और

(ग) उस श्रेणी के व्यक्तियों को भूमि देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) हां । त्रिपुरा प्रशासन ने सुनिश्चित कर लिया है कि त्रिपुरा में ऐसे किसी व्यक्ति से भूमि नहीं छीनी गई है जिसके जीवन-निर्वाह का साधन केवल झूम-कृषि है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सोनापुरा त्रिपुरा में भूमि

†९१. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सोनापुरा में धलियाइजाला के कृषकों द्वारा, उनकी भूमि के सरकार के लेने के विरुद्ध, उठाई गई आपत्तियों पर इस बीच कोई निश्चय हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि सरकार का निश्चय प्राप्ति के पक्ष में है, तो भूमिस्वामियों को प्रति कनी प्रतिकर किस दर से दिया जायेगा; और

(घ) क्या प्रभावित कृषकों को वैकल्पिक भूमि देने का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सरकार का है ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही एक विवरण पटल पर रख दिया जायेगा।

व्यक्तियों की खाद्य सम्बन्धी आदतें

†६२. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में तथा प्रदेशों में व्यक्तियों की खाद्य सम्बन्धी आदतों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि खाया जाने वाला भोजन अधिकतर कम पौष्टिक और कम केलोरी वाला होता है; और

(ग) क्या ऐसा भोजन, अनाज तथा अनाज के अतिरिक्त, लोकप्रिय बनाने की कार्यवाही की जायेगी जिसका मूल्य कम हो और भोजन अधिक पौष्टिक हो ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) देश के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्तियों की खाद्य सम्बन्धी आदतों का सर्वेक्षण समय समय पर किया गया है।

(ख) भोजन में साधारणतया केलोरीज़ इतनी कम नहीं होतीं जितना कि उसमें रक्षात्मक तत्व कम होता है। अभाव का मुख्य कारण प्रोटीन, विटामिन ए, बी मिश्रित, सी, चूना और लोहा का कम होना है।

(ग) सस्ते सन्तुलित भोजन और रक्षात्मक भोजन, आदि को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में एक पौष्टिक-भोजन विंग बनाया गया है। इस विंग का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ, स्थानीय रूप में उपलब्ध खाद्य पदार्थों के आधार पर विभिन्न प्रदेशों के लिए सस्ते सन्तुलित भोजन की वस्तुओं का पता लगाना है।

(२) कम चिकनाई का मूंगफली का भोज्य आटा तैयार करने के दो अग्रिम संयंत्र युनीसेफ की सहायता से और गैर-सरकारी सहयोग से बम्बई और कोयम्बटूर में लगाये जा रहे हैं। इस आटे में प्रोटीन काफी होता है। ३००० टन भोज्य मूंगफली का आटा प्रति वर्ष बनाने की योजना है।

(३) टेपियोका का मेकरोनी, वनस्पति दूध, आदि जैसे सहायक भोजनों की अन्य वस्तुओं का उत्पादन तथा उपयोग की योजनायें विचाराधीन हैं।

(४) सस्ते संतुलित भोजनों तथा अपरचित खाद्य वस्तुओं से तैयार किये गये भोजनों का प्रदर्शन करने के लिये सचल विस्तार यूनिट बनाये जा रहे हैं। इसका उद्देश्य भोजन में विविधता लाना है ताकि भोजन में पौष्टिक तत्व, आदि की मात्रा बढ़ जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) विभिन्न राज्यों में विस्तृत पौष्टिक भोजन परियोजनायें आरम्भ हो गई हैं। ये योजनायें यूनिसेफ और खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से आरम्भ की गई हैं। इन का उद्देश्य रक्षात्मक खाद्य-पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग के लिये ग्रामवासियों में गहरी रुचि पैदा करना है। इसका दूसरा उद्देश्य पौष्टिक भोजन शिक्षा द्वारा इस बारे में स्वयं सहायता की भावना को प्रोत्साहन देना है।

(६) पौष्टिक भोजन की शिक्षा और सस्ते पौष्टिक तथा सन्तुलित भोजनों को लोकप्रिय बनाने के लिये पुस्तिकायें, इश्तिहार, आदि जारी किये गये हैं।

असैनिक उड्डयन म प्रयुक्त विमान

†९३. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असैनिक उड्डयन में किस प्रकार के विमानों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक प्रकार के विमान में उन की यात्री बिठाने तथा भार उठाने की कितनी क्षमता उड़ते समय की गति की है, और

(ख) संसार में उन्नत देशों में असैनिक उड्डयन में प्रयोग किये जाने वाले विमानों की तुलना में ये विमान कैसे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). भारत में राष्ट्रीकृत निगमों और गैर-सराकारी संचालकों द्वारा चलाये जाने वाले विमानों तथा भारत से एवं भारत तक चलने वाले विदेशी विमान समवायों द्वारा चलाये जाने वाले विमानों की यात्री बिठाने की क्षमता उड़ते समय की गति आदि संलग्न विवरण में दी गई है। यह देखा जायेगा कि भारतीय संचालकों द्वारा चलाये जाने वाले विमानों का असैनिक उड्डयन में उन्नत देशों के अन्य संचालकों द्वारा भी प्रयोग किया जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

उप-डाकघर, टीकमगढ़

९४. **श्री मते** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलदेवगढ़ (टीकमगढ़) में एक उप-डाकघर खोलने की अनुमति दो वर्ष पहले दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अब तक उप-डाकघर खोला नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक खोले जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). बलदेवगढ़ के मौजूदा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर को काम के बो और आमदनी के आधार पर विभागीय उप-डाकघर में परिवर्तित करना न्यायोचित नहीं है। फिर भी

†मूल अंग्रेजी में

आस पास के डाकघरों से काम के साथ-साथ कर्मचारियों को स्थानान्तरित करके प्रशासनिक आधार पर उसे विभागीय उप-डाकघर में परिवर्तित कर देने के प्रश्न पर तेजी से विचार किया जा रहा है।

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न का सम्भरण

†९५. **श्री सरकार मुरमू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिम बंगाल सरकार को खाद्यान्न का कोई संभरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना संभरण किया गया है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से अधिक खाद्यान्न मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिम बंगाल को अपेक्षित मात्रा में चावल भेजने का इरादा करती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) १ अप्रैल से मध्य जुलाई १९६२ तक की अवधि में, लगभग ३३ हजार टन चावल और १८९ हजार टन गेहूं का संभरण केन्द्रीय स्टाक से पश्चिम बंगाल को किया गया है।

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल में वितरण के लिये जितने खाद्यान्न की यथार्थ में आवश्यकता है यह केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है।

व्यापारिक फसलें

†९६. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विशेषज्ञों के इस सुझाव पर विचार किया है कि व्यापारिक फसलों के उत्पादन को केरल में खाद्य उत्पादन को घटाने की जोखिम पर भी केरल में प्रोत्साहित किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में कृषि में भावी विकास के ढांचे के सम्बंध में राज्य सरकार को मंत्रणा देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). दिसम्बर १९६० में केरल राज्य योजना संबंधी चर्चा के दौरान जिस में प्रविधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया था, केरल सरकार को सलाह दी थी कि वह रबड़, नारियल, सुपारी, काजू, मसाले आदि कुछ नकदी फसलों के उत्पादन को खाद्यान्न के ऊपर प्राथमिकता देकर उत्पादन बढ़ाने पर केन्द्रीभूत किया जाये।

गेहूं और गेहूं उत्पादों को लोकप्रिय बनाना

†९७. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल भक्षी प्रदेशों के लोगों में गेहूं और गेहूं उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). इस समय ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं चल रही है। तथापि चावल उपभोगी राज्यों में इसके प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, गेहूं का संभरण खूब किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में, चावल की मांग के अंश को गेहूं के वितरण द्वारा पूरा किया जा रहा है। समय समय पर विविध संघों और अभिकरणों ने विविध भोजन बनाने के तरीकों का प्रदर्शन करके गेहूं और गेहूं उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं और सरकार ने उन प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया है एवं सहायता की है।

टेलीफोन लाइन

†९८. **श्री प्र० के० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवानी पत्तन और बालेगीर के बीच टेलीफोन लाइन को अच्छी तरह सुनाई देने योग्य क्यों नहीं बनाया जाता;

(ख) १९६०-६१ और १९६१-६२ में यह लाइन कितने दिनों तक खराब रही; और

(ग) इन वर्षों में लाइन को ठीक करने के लिये कितनी राशि खर्च की गई?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) भवानी पत्तन और बालेगीर की बीच की लाइनों की संप्रेषण किस्म अच्छी बताई जाती है।

(ख) १९६०-६१ और १९६१-६२ में संकट में २९ दिन प्रत्येक वर्ष में खराबी हुई।

(ग) १९६०-६१ में उसे ठीक करने का व्यय ५४२ रुपये और १९६१-६२ में ६९२ रुपये था।

भवानीपटना में जनरल पोस्ट आफिस की इमारत

†९९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जिला कालाहांडी में भवानी पटना में जी० पी० ओ० इमारत का निर्माण आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं।

(ख) भूमि का कब्जा नवम्बर, १९६१ में किया गया था। प्रारम्भिक नक्शे तैयार किये जायेंगे, जिसके तुरन्त पश्चात् मामले को आगे बढ़ाया जायेगा।

वेट्टथ पुथियेगाड़ी में सार्वजनिक टेलीफोन

†१००. **श्री कोया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोजीकोड जिला में वेट्टथ पुथियेगाडी में एक सार्वजनिक टेलीफोन खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) नहीं।

(ख) एक सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था की जा रही है।

कालीकट में बड़े डाकघर की इमारत

†१०१. श्री कोया : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालोकट के बड़े डाकघर की इमारत के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) सरकार काम को कब पूरा करने की आशा करती है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) निर्माण कार्य अभी आरम्भ हुआ है ? नींव का काम हो रहा है।

(ख) मई, १९६३ में काम पूरा होने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजपथ

†१०२. श्रीमती लक्ष्मी बाई : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(१) हैदराबाद से बम्बई तक

(२) हैदराबाद से शोलापुर तक और

(३) हैदराबाद से मद्रास और बंगलौर तक ;

के तीन राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत एवं संधारण पर १९५९–६०, १९६०–६१ में वर्षवार कितना व्यय किया गया था ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : सूचना संबद्ध राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में वनों का उपयोग

†१०३. श्री दी० चं० शर्मा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में हिमाचल प्रदेश में वनों के उपयोग की एक योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना अनुमानित व्यय होगा तथा इससे कितनी अनुमानित आय होगी ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) इस योजना में मशीनी साधनों के द्वारा वनों में इमारती लकड़ी निकालना, उससे स्लीपर और 'पल्पवुड' बनाना, 'लॉगिंग राड्स' का निर्माण, और देवदारू जातीय वृक्षों का कृत्रिम पुनर्उत्पादन शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी योजना अवधि में इस योजना के लिए ६० लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। इसके चालू होने से तीसरी योजना अवधि में ११ लाख रुपये अतिरिक्त राजस्व और १९६५-६६ के पश्चात् १२.५ लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त राजस्व की आशा है।

पंजाब में फार्म की उपज

†१०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में फार्म की उपज बढ़ाने के लिये पंजाब सरकार को कोई अल्प-कालीन ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, ता ऋण का स्वरूप और राशि क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) १०३.२६ लाख रुपये का अल्प-कालीन ऋण केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब सरकार के लिये १९६०–६१ में खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उर्वरक और बीज खरीदने तथा वितरण करने के लिये मंजूर किया गया था। ऋण लेने की तिथि से लेकर १८ महीनों में लौटा जाना है और उस पर राज्य सरकार द्वारा जिस वास्तविक अवधि के लिये ऋण लिया जाएगा, उस अवधि के लिये या १८ महीनों की अवधि के लिये ३१/८ प्रतिशत वार्षिक पर ब्याज लिया जाएगा।

रेलवे पर डकैतियां

†१०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ में अब तक प्रत्येक रेलवे पर कुल कितनी डकैतियां हुई और प्रत्येक मामले में इस प्रकार कितनी हानि हुई ; और

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोदी कर्मचारियों के लिए रात्रि को कार्य करने का भत्ता

†१०६. { **श्री इ[illegible] गुप्त** :
श्री मुहम्म इलियास :
श्री यलमन्दा रेड्डी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पत्तन एवं गोदी कर्मचारी संघ के साथ रात्रि कार्य के लिये विशेष भत्ते के सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो रात्रि 'को-एफ़िशियेन्ट' का स्वीकृत आधार क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो समझौता होने से क्या चीज रोक रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). रात्रि कार्य के लिये पत्तन कर्मचारियों को अधिक भत्ता देने के प्रश्न पर दोनों संघों अर्थात् अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ व भारतीय राष्ट्रीय पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ पिछले जून में पूरी तरह चर्चा की गई थी। उन चर्चाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा उन चर्चाओं के दौरान समस्या निबटारे के बीच के हेतु किये गये प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस विषय पर निम्न निर्णय किये हैं :—

(१) १० बजे रात्रि और ६ बजे प्रातः के समय के बीच के लिये अधिक मिलेगा, चाहे इस अवधि के अन्दर कार्यकाल दूसरी पारी में आता है या तीसरी में। अधिक रियायत उस अवधि में काम किये गये प्रत्येक घंटे के लिये १० मिनट की होगी।

(२) जहाँ तक कार्यकाल के रूप में पहले से ही रियायत दी जा चुकी है, और कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

(३) पत्तन अधिकारियों को इस रियायत के बदले, जहाँ कहीं संभव हो, १० बजे रात्रि तथा ६ बजे प्रातः काल के बीच पड़ने वाली या इस समय के बीच तक आने वाली पारियों के मामले में, काम के घंटे कम करने का अधिकार है।

(४) रिसैस की अवधि रियायत में शामिल नहीं होगी।

(५) यदि किसी कर्मचारी को रात्रि के काम के लिये और कोई विशेष भत्ता दिया जाता है, उसे वह भत्ता कायम रखने या इस रियायत का लाभ उठाने का विकल्प दिया जाएगा।

(६) सहारा देने के काम वाले समुद्री जहाज चालकों को रियायत मिल सकेगी। किन्तु जो चालक जहाज पर रहते हैं उन्हें यह लाभ पाने का हक नहीं होगा जब उनको निगरानी रखने के काम पर नहीं लगाया जाएगा और जब वे केवल काल ड्यूटी पर होंगे।

(७) रात्रि कार्य के लिये रियायत के लिये किसी कर्मचारी को अतिरिक्त रकम तभी दी जाएगी जब वास्तविक घंटे काम के तथा रियायत का समय मिला कर साधारण दिन की पारी के घंटों से बढ़ जाएंगे।

(८) दर इकहरी दर होगी, जिसका अनुमान वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिकर भत्ता को प्रति घंटा २४० से विभाजन करके किया जाएगा।

(९) किये गये काम के प्रति घंटे के लिये १० मिनट की रियायत आंकने के लिये, आधे घंटे से कम की ड्यूटी गिनी नहीं जाएगी और आधे घंटे की तथा अधिक, किन्तु एक घंटे से कम ड्यूटी, पूरा घंटा मानी जाएगी।

२. सरकार ने तदनुसार आदेश जारी किये और इन नियमों को १ जुलाई, १९६२ से प्रभावी किया, जहाँ तक कोचीन, विशाखापटनम और कांडला पत्तनों के प्रशासनों के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है। निर्णय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तन न्यासों को कार्यान्विति के लिये भेज दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोकारो के समीप दामोदर नदी पर बांध

†१०७. श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो थर्मल बिजली घर के समीप दामोदर नदी पर एक बांध बनाने का फैसला कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन उद्देश्यों के लिये ; और

(ग) क्या बांध का व्यय दामोदर घाटी निगम द्वारा दिया जाएगा ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हेनुघाट पर एक बांध बनाने के लिये अस्थायी निर्णय किया जा चुका है ।

(ख) मुख्यतः बोकारो इस्पात संयंत्र की जल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ।

(ग) जी हां ।

ओलावाकोट जंक्शन पर विश्रामगृह

†१०८. श्री प० कुन्हन : क्या रेलवे मंत्री ८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ओलावाकोट जंक्शन पर दो विश्राम गृह बनाने का कार्य कब आरम्भ होगा ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : यह कार्य धन की प्राप्ति होने तथा रेलवे उपयुक्त सुविधाएं समिति द्वारा अनुमोदित होने की अवस्था में १९६३–६४ के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का विचार है ।

केरल में साइलैण्ट घाटी परियोजना

†१०९. श्री प० कुन्हन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ३ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में साइलैंट घाटी परियोजना का प्रारम्भिक अन्वेषण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). केरल सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नोग्रामण्डी-बंसपानी रेलवे लाइन का विस्तार

†११०. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोग्रामंडी-बंसपानी रेलवे लाइन का विस्तार करके उसे जैपुर-क्योंझर रोड और रूरकेला से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या खान और ईंधन मंत्रालय ने मांग की है कि पूर्व रेलवे में बंसपानी स्टेशन पर विद्यमान साइडिंग क्षमता तथा लदाई का स्थान बढ़ाने की मांग की है और क्या यह विस्तार कार्य इस वर्ष ही शुरू होने की आशा है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई लाइनें बनाने सम्बन्धी रेलवे के कार्यक्रम में ऐसा कोई कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है ।

(ख) खान तथा ईंधन मंत्रालय से ऐसी कोई विशेष माँग नहीं प्राप्त हुई है, पर उक्त स्टेशन पर बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए रेलवे वहाँ साईडिंग क्षमता तथा लदाई का स्थान बढ़ा रही है और काम आरम्भ हो गया है ।

नेरगंडी और खुर्दारोड स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन

†१११. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में नेरगंडी और खुर्दा रोड स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने की दिशा में क्या कोई प्रगति हुई है ;

(ख) कब तक काम समाप्त हो जाने की आशा है ; और

(ग) चांदनौर साइडिंग और चारबेटिया स्टेशन पर चांदनौर स्थित सभी उद्योगों के मामले में आने-जाने वाले कितने यातायात को मिला कर कुल कितने टन सामान रेलवे हर साल ढोती है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) यदि महानदी पुल के लिए समय पर गर्डर मिले, तो काम दिसम्बर, १९६४ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) १९६१-६२ में कुल इतने टन सामान ढोया गया :

	आने वाला	जाने वाला
चांदनौर साइडिंग . .	७४,९३५	६१,०५२
चारबेटिया स्टेशन . .	२,४५४	१.६१५

रेलवे द्वारा कोयले का परिवहन

†११२. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में रेलवे द्वारा कोयले के परिवहन के बारे में क्या कोई नया पुनरावलोकन किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६१–६२ में रेलवे द्वारा कुल कितना कोयला ढोया गया था और स्थिति का पुनरावलोकन करने के बाद १९६२-६३ के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे द्वारा कोयले के परिवहन के मामले पर निरन्तर पुनरावलोकन किया जाता रहा है ।

(ख) १९६१–६२ में रेलवे ने कितने टन कोयला ढोया इसके आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं । १९६२ में कोयले की ढुलाई के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य इस प्रकार है :

पश्चिमी बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्र	प्रति दिन
(क) इस्पात	१४०० वैगन
(ख) दुगदा कोयला सफाई का कारखाना	३०० वैगन
(ग) जमदोबा कोयला सफाई का कारखाना	१५० वैगन
(घ) अन्य उपभोक्ता	३६४६ वैगन
दूर स्थित कोयला क्षेत्र	
(क) कोरिया रेवा	५३० वैगन
(ख) पेंच एण्ड चन्दा	४१९ वैगन
(ग) सिंगरेनी	३८० वैगन
(घ) तालचेर	१०० वैगन

पश्चिमी बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्र से अन्य उपभोक्ताओं का लक्ष्य १–७–१९६२ से १२० वैगन प्रति दिन बढ़ा दिया गया है ।

कृषि उत्पादन

†११३. { **श्री ह० प० चटर्जी :**
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री मुहम्मद ताहिर : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विकास योजना के अधीन हर वर्ष की विभिन्न कृषि योजनाओं के अधीन कृषि उत्पादन के आंकड़ों का, जिनका दावा राज्यों ने किया है, सत्यापन कराने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: राज्य सरकारें पहले विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के अधीन खर्च के प्राक्कलन भेजती हैं, जिनके आधार पर स्टेण्डर्ड मानदण्ड को देखते हुए बढ़े हुए उत्पादन के प्राक्कलन तैयार किये जाते हैं। इसके बाद राज्य सरकारें फसलों के कटने के अनुभव पर आधारित कृषि उत्पादन के प्राक्कलन भेजती हैं । चूंकि बढ़े हुए उत्पादन में वास्तविक उत्पादन भी दिखाया जाता है, अतः बढ़ा हुआ उत्पादन कितना है, यह वास्तविक उत्पादन से पता लगता जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फरक्का बांध

११४. { श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री कार्जी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) फरक्का बांध के निर्माण के सम्बन्ध में आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन): जानकारी का एक विवरण संलग्न है :—

विवरण

(क) निर्माण उपस्करों के लिये टेण्डर आ गये हैं और आगामी कुछ महीनों में आदेश जारी कर दिये जायेंगे। परियोजना के लिये रेलवे प्राधिकार विशेष रेलवे साइडिंग बनवा रहा है और रेल, रस्सी के मार्ग, सड़क तथा नदी परिवहन द्वारा बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री के परिवहन की योजनायें विचाराधीन हैं। विस्तृत छानबीन के बाद वह स्थान निश्चित कर लिये गये हैं, जहां से पत्थर आदि खोद कर लाये जायेंगे और संयंत्र का नक्शा बन रहा है। लॉकों की विस्तृत डिजाइन जिन्हें अगले काम के मौसम में बनवाना है, बन रही हैं।

(ख) काम, १९६९–७० तक पूरा होने की योजना है।

गन्ने की किस्म में सुधार

†११५. श्री स० मो० बनर्जी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गन्ने की किस्म में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या गन्ना उत्पादकों को इस काम के लिये कोई प्रेरणा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) गन्ने की किस्म सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(१) कृषि के लिये अच्छी चीनी देने वाले नये किस्म के गन्ने को छांटने तथा किसानों को देने के लिये निरन्तर असनुन्धान हो रहा है ;

(२) यदि बोये गये किस्म के गन्ने में कोई खराबी दिखाई देती है, तो कुछ अच्छी किस्म का गन्ना उस की जगह पर देने के लिये तैयार रखा जाता है ;

(३) अनुसन्धान का परिणाम हर घर तक पहुंचाने के लिये विकास तथा विस्तार योजनायें चल रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) खेत को स्थिति के कारण फसल खराब होने की बात उचित कृषि प्रणालियों द्वारा तथा फसल के रोगों पर निमंत्रण द्वारा रोकी जा रही है ;

(ख) जी हां ।

(ग) गन्ना विकास योजनाओं के अधीन निम्नलिखित कामों के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है :

(१) छोटी सिंचाई योजनाओं के अधीन सतही कुंओं आदि के लिये २५ प्रतिशत तक ;

(२) फासफेट के उर्वरकों के लिये २५ प्रतिशत तक ;

(३) पौदों का संरक्षण :

(क) कृमिनाशकों, यात्रिक डण्टरों और स्प्रे यंत्रों के लिये ५० प्रतिशत तक

(ख) यंत्र चालित मशीनों तथा पैदों के संरक्षण के उपस्करों के लिये १०० प्रतिशत ऋण ;

(४) बीज फार्म खोलने के शेष कार्यक्रम को पूरा करने के लिये ५० नये पैसे प्रति मन तक सहायता जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन अनुमत्य था; और

(५) किसानों के खेतों में गन्ना उत्पादन के सुधरे उपायों का प्रदर्शन किया जाता है और उन्हें उर्वरक आदि खरीदने के लिये ऋण सुविधायें दी जाती हैं ।

मौसम का चार्ट

†११६. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या परिवहन तथा सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को दिल्ली से मौसम के चार्ट की अनुलिपि भेजा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों को ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में जल निस्सारण की व्यवस्था में सुधार

†११७. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बाढ़ का पानी निकालने के लिये अधिक अच्छी व्यवस्था करने के हेतु क्या उपाय किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या रिंग रोड को काट कर शकूर बस्ती के निकट एक पुलिया बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) पंजाब में सिंचाई की नहरों से बाहर पानी बहने को रोकने के लिये कोई उपाय किये जाते हैं ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली में बाढ़ का पानी निकालने के लिये अच्छी व्यवस्था करने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं :

(१) तूफान के पानी को निकालने के लिये नई नहरें बनवाना;

(२) वर्षा ऋतु के बाद और पहले तूफान के पानी को निकालने वाली पुरानी नहरों की समय समय पर मरम्मत व सफाई करके उन का संधारण;

(३) वर्षा के पानी को फैलने से रोकने की अवस्था में सुधार।

(ख) रिंग रोड पर शकूर बस्ती के निकट एक पुलिया बनाने का प्रस्ताव कार्यान्वित किया जा रहा है। पुलिया बन रही है।

(ग) दिल्ली में सिंचाई नहरों से जिन की देखभाल पंजाब सरकार करती है, पानी बह कर ऊपर न निकलने पाये इस की निरन्तर निगरानी रखी जाती है। यदि कहीं कोई टूट फूट या दरार पड़ जाती है तो उसे बन्द करने के लिये पंजाब सिंचाई विभाग द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है। पंजाब के अधिकारियों से कह दिया गया है कि इस वर्ष वर्षा ऋतु में वे नहरों में अधिक पानी न आने दें। ड्रेन संख्या ८ और ड्रेन संख्या ६, जहां से दिल्ली के अलीपुर खंड में प्रवेश करती है वह घुमाव नहर पर पानी का प्रवाह रोकने के लिये पंजाब सरकार ड्रेन संख्या ६ पर एक विनयामक बनवाने के लिये राजी हो गई है, जहां से ड्रेन संख्या ८ की घुमाव नहर ड्रेन संख्या ६ से अलग होती है। पंजाब सरकार दिल्ली में भी एक नियामक वहां बनवाने के लिये राजी हो गई है, जहां ड्रेन संख्या ८ और नजफगढ़ झील को मिलाने वाली नहर है।

पौदों के संरक्षण के उपाय

†११८. श्री म० क० गोपालन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कृष्णा जिला कपास उत्पादक संघ की ओर से कोई प्रार्थना आई है कि पौदों के संरक्षण संबंधी उपायों पर मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता ५ रु० प्रति एकड़ से बढ़ा कर १० रु० प्रति एकड़ कर दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) परन्तु भारत सरकार ने स्वयं ही यह उपबन्ध स्वीकार कर लिया है कि राज्यों में कपास विकास योजनाओं के अधीन कीटनाशकों डस्टरों, स्प्रे आदि के खर्च का ५० तक वह सहायता देगी और राज्य सरकार तथा केन्द्र बराबर बराबर भार उठायेंगे। अभी हाल में भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह अपने भाग का २५ प्रतिशत सहायता धन दे देगी और यदि राज्य सरकारें कोई अतिरिक्त सहायता देना चाहें तो दे सकती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इडुक्की विद्युत् परियोजना

†११९. { श्री अ० क० गोपालन :
        श्री इम्बीचिबावा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ४ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इडुक्की विद्युत् परियोजना पर रिपोर्ट तैयार करने का काम पूरा कर लिया है; और

(ख) क्या कुट्टियाडी विद्युत् परियोजना के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) (क) जी हां।

(ख) कुट्टियाडी विद्युत् परियोजना की रिपोर्ट अभी भी केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के सामने विचाराधीन है ।

सिगनल और दूर संचार सम्बन्धी आकस्मिक कर्मचारी वर्ग

†१२०. { श्री अ० क० गोपालन :
        श्री प० कुन्हन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-मुगलसराय सेक्शन, खड़गपुर-रूरकेला सेक्शन और आसनसोल-दुर्गापुर सेक्शन पर बिजली लगाने के काम में सिगनल तथा दूर संचार के जो आकस्मिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, वे अस्थायी वेतन क्रम (सी० पी० सी०) तथा उन अन्य सुविधाओं को पाने के हकदार हैं जो अन्य अस्थायी कर्मचारियों को दी जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ये सुविधायें उन्हें क्यों नहीं दी जातीं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्हें ८ घंटे के बजाय १२/१४ घंटे काम करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसी परियोजनाओं पर काम करने वाले आकस्मिक कर्मचारी इन सुविधाओं के अधिकारी नहीं हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उप्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी समितियां

†१२१. श्री बिशनचन्द्र सेठ : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी सहकारी समितियां चल रही हैं;

(ख) कितने राज्यों में अभी सहकारी समितियां नहीं हैं; और

(ग) हर राज्य में ऐसी समितियां हो जायें, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) भारत के रिजर्व बंक के आंकड़ों के अनुसार ३० जून, १९६० को भारत में सब प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या ३,१३,४९९ थी। ३० जून, १९६१ को अन्तिम संख्या ३,२८,२२५ थी ।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य रेलवे के कारी पहाड़ी रेलवे स्टेशन को पुनः खोलना

१२२. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के झांसी-मानिकपुर सैक्शन में महोबा और कबरई स्टेशनों के बीच जो कारी पहाड़ी नामक रेलवे स्टेशन था उसे पुनः खोलने के लिए क्या जनता की ओर से मांग की गई है;

(ख) विगत विश्व युद्ध के समय इस स्टेशन के बन्द हो जाने कारण इस क्षेत्र को जनता को रेल यात्रा की जो असुविधायें हो रही हैं उन पर क्या सरकार ने विचार किया है;

(ग) रेल यात्रा के लिए प्रवृत्ति बढ़ने के कारण कारी पहाड़ी स्टेशन के आर्थिक रूप से लाभ में चलने की सम्भावना पर क्या सरकार ने विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्टेशन को पुनः चालू करने के लिए सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ). इस सुझाव की जांच की गयी थी, लेकिन पर्याप्त औचित्य के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया गया; मुख्यतः इस कारण कि इस क्षेत्र में सड़क परिवहन का पर्याप्त विकास हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाराणसी और गोरखपुर के बीच रेलवे लाइन

†१२३. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और गोरखपुर के बीच की दूरी कम करने के लिए वाराणसी और गोरखपुर को बरास्ता आजमगढ़ जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना को कब कार्यान्वित करने का सरकार का विचार है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पानी की सप्लाई

†१२४. **श्री दी० बं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों और गांवों में पानी की सप्लाई की समस्या को संकट के तौर पर सुलझाने और जिन राज्यों में पानी की भारी कमी है वहां की जनता को सहायता देने की किसी योजना पर विचार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). देश में, खास कर देहाती इलाकों में, पानी की सप्लाई की समस्या की ओर सरकार बराबर ध्यान दे रही है । पानी सप्लाई की योजनाओं को तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऊंची प्राथमिकता दी गयी है और इस समस्या को यथाशीघ्र सुलझाने के लिए मार्गोपाय ढूंढे जा रहे हैं । लक्ष्य यह है कि यथासंभव तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सभी देहाती इलाकों में पीने के साफ पानी के सप्लाई की व्यवस्था की जाये ।

मुजफ्फरपुर जिले में रेलवे पुल का टूट जाना

†१२५. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० जून, १९६२ को बागमती नदी की बाढ़ के पानी के दबाव के कारण जिला मुजफ्फरपुर में ढांग और बैरागनिया के बीच एक रेलवे पुल गिर गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस कारण कितने जानमाल की हानि हुई ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी नहीं । बागमती नदी के बाढ़ के पानी के कारण ढांग और बैरागनिया के बीच कोई रेलवे पुल नहीं टूटा था । एक पुल के [illegible] किनारे टूट गये थे । उनकी मरम्मत पर लगभग १,९१,००० रुपया खर्च हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों को पेन्शन

†१२६. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मेन को पेन्शन योजना स्वीकार करने या न करने की छूट दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकतर रेलवे कर्मचारियों को जो इस योजना के लिए अपनी स्वीकृति देने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, अभी तक पेशन नहीं दी गये है;

(ग) क्या वे फार्म जो उन लोगों की, जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही पेन्शन के लिए अपनी सम्मति दी थी, विधवाओं द्वारा भरे जाने थे, उपलब्ध किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। पेन्शन पाने के अधिकारी १४,५६० कर्मचारियों में से जो मई, १९६२ के अन्त में सवा-निवृत्त हुए थे, १३,६४५ मामलों में पेशनें मंजूर की गयी हैं। शेष ९१५ मामलों से ६४३ मामले छः महिने से अधिक पुराने नहीं हैं।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोसी पश्चिमी नहर

१२७. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी पश्चिमी नहर से सिंचाई के लिए पानी अब निश्चित समय पर नहीं मिलने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सिंचाई के लिए पानी कब से प्राप्त होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चौथी पंचसाला योजना के आखिरी सालों में सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होगा ।

प्रसंकर मक्का के बीच

†१२८. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ४ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६६ के उत्तर के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसंकर मक्का के बीच के उत्पादन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा में विवेकानन्द प्रयोगशाला द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस विशिष्ट प्रकार के मक्के के बीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसके मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) अनुसंधान के परिणामस्वरूप, प्रसंकर मक्के की एक किस्म वी एल, ५४ निकाली गयी है। उससे श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश), कांगड़ा (पंजाब), सिक्किम, सोलन (हिमाचल प्रदेश), तराई फार्म (उत्तर प्रदेश) और ढोली बिहार) में अच्छी पैदावार हुई हैं। प्रचलित 'हिमालय' नामक उत्तरी हिमालय प्रदेश में खेतों के लिए इस किस्म को स्वीकृत किया गया है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने चालू खरीफ मौसम से प्रसंकर बीज तैयार करने का काम आरम्भ कर दिया है।

कोयले की ढुलाई के लिये अतिरिक्त लाइन निर्माणकार्य

†१२९. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की ढुलाई के लिए पर्याप्त क्षमता की व्यवस्था करने के लिए आयोजन आयोग ने रेलवे को कुछ अतिरिक्त लाइनें बनाने का काम आरम्भ करने का अधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन किन लाइनों के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किये गये हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सेक्शनों के कुछ हिस्सों में डबल लाइन बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है :

	मील
(१) बीना—भोपाल सेक्शन . . .	४८
(२) कोयला वाले क्षेत्रों में कुछ सेक्शन . .	२४
(३) वाल्टेयर-सामलकोट सेक्शन .	५०
(४) खुर्दा रोड—विजयानगरम् . . .	७०
(५) भोपाल—उज्जैन सेक्शन .	३०
(६) फुलेरा—जयपुर सेक्शन . .	२३
	२४५

†मूल अंग्रेजी में

इस के अलावा कुछ अन्य लाइन क्षमता निर्माण कार्य जैसे यार्डों को फिर से नया बनाना, क्रासिंग स्टेशनों की व्यवस्था, अतिरिक्त लूप लाइनें, लूप टर्मिनल सुविधाओं का विस्तार आदि, आरम्भ किये जायेंगे ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित सुविधाओं की व्यवस्था आरम्भ करने का विचार है ।

केन्द्रीय डाक-तार मन्त्रणा परिषद्

†१३०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय डाकतार मंत्रणा परिषद् की सिफारिशें और सुझावों को किस हद तक लागू करना संभव हुआ है; और

(ख) अब तक जो सिफारिशें मंजूर की जा चुकी हैं उन के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) केन्द्रीय डाक-तार मंत्रणा परिषद् की सिफारिशों के संबंध में जारी किये गये अन्तिम आदेशों का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]** दूसरी सिफारिशों की छान बीन अभी जारी है ।

ग्रामदान और भूदान क्षेत्रों म कृषि उत्पादन का विकास

†१३१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सामुदायिक, विकास पंचायती राज और सहकार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों के जरिये ग्रामदान क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता देने की कोई योजना कार्यान्वित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस प्रयोजन के लिये दी गयी निधियों को किस हद तक इस्तेमाल किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) और (ख) : यह मंत्रालय ग्रामदान गांवों और भूदान क्षेत्रों में सहकारी समितियों को कृषि उत्पादन के लिये वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में सब्जियों की खेती

†१३२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जियों की खती को और जोरदार बनाने के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान शाला और दिल्ली विकास विभाग का संयुक्त रूप से दिल्ली में अगस्त में प्रदर्शन खेल चालू करने का विचार है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में या उसके के आस पास सब्जियों की खेती बढ़ाने के लिये और दूसरे क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला, नई दिल्ली, १९५० से दिल्ली राज्य के १९ गांवों के एक खंड में और पिछले कुछ वर्षों से ५६ गांवों के कांझावाला खंड में विस्तार कार्य कर रहा है। अन्य बातों के साथ साथ, सब्जियां उगाने के कई प्रदर्शन काफी सफलता से किये गये हैं। उस अनुसन्धानशाला द्वारा उगाये गये नये किस्म के मटर, भिन्डी, बैंगन, मिरच, और टमाटर किसानों में बहुत लोक प्रिय हो गये हैं। दिल्ली प्रशासन उत्पादकों को सिंचाई के लिये ऋण दे कर इस मामले में और इस शाला के प्राविधिक मार्गदर्शन के अधीन सब्जियों के वितरण में भी मदद दे रहा है। उसे और अधिक जोरदार बनाया जायेगा ।

रेल दुर्घटनाएं

†१३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल दुर्घटनायें रोकने के लिये पिछले तीन महीनों में क्या प्रभावोत्पादक उपाय किये गये हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: रेल दुर्घटनाओं की संख्या यथासंभव कम से कम करने के लिये जो प्रतिरोधात्मक उपाय किये गये हैं, वे "ए रिव्यू आफ एक्सिडेन्टस् आन इंडियन गवर्नमेंट रेलवेज, १९६०–६१" के अध्याय ४ में बताये गए हैं। उस मे उल्लिखित उपायों को तत्परता से कार्यान्वित करने पर जोर दिया गया है और उस के अलावा पिछले तीन महीनों में निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किये गये हैं :—

(१) १० से कम व्हील बेस वाले मीटरगेज माल डिब्बों पर २५ मील प्रति घंटे की रफ्तार की सीमा का कठोरता से पालन करने के लिये रेलों से कहा गया है ।

(२) दक्षिण-पूर्व और मध्य रेलवे में कुछ किस्मों के नान स्टैण्डर्ड और पुराने माल डिब्बों की जिन में बेअरिंग स्प्रिंग, एक्सेल गार्ड, और हाट वाक्सेज खराब हो जाने की अधिक सभावना है, क्षमता ३ टन कम कर दी गई है। रेलों से यह भी कहा गया है कि वे इस माल डिब्बों का उपयोग यहां तक संभव हो, विभागीय और धीमी गाड़ियों ही में करें।

(३) (क) गाड़ियों में हाट बाक्सेज का बोझ कम करने के लिये रेलों को यह हिदायत दी गई है कि सभी माल के एक्सेल बाक्सों को काटनवेस्ट से बन्द कर दिये जायें और १२ महीनों के अन्दर उन का रद्दोबदल पूरा हो जाना चाहिये ।

(ख) एक्सेल बाक्स पैकिंग रोल तैयारी करने की एक ऐसी प्रणाली रखने के लिये रेलवे से कहा गया है कि वह एक हफ्ते तक नयी दिल्ली की लाइनों पर एक्सेल बाक्स बन्द करने और रोल तैयार करने की प्रक्रिया देखने के लिये एक पदाधिकारी और आवश्यक कर्मचारियों को भेजें।

†मूल अंग्रेजी में

(४) परमनेन्ट वे मैटोरियल्स शीघ्र प्राप्त करने के लिये निर्माण कार्य निदेशालय में एक विशेष सलाहकार विभाग कायम किया गया है जिस से कि किसी टूटी लाइनों को ठीक करने और लाईनों को मजबूत बनाने के काम में शीघ्रता करने में मदद मिलेगी ।

(५) रेलों को सलाह दी गई है कि याददाश्त के लिये लीवर कालर अच्छे साधन हैं और वे अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टेशन मास्टर के स्लाइड इन्स्ट्रुमेंटस में उपयोग के लिये उन्हें प्रयोग में लाने के बारे में विचार करें ।

चेचक उन्मूलन कार्यक्रम

†१३४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेचक निवारण कार्यक्रम कहां तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) देश में, खास कर उत्तर-पूर्वी भाग में, उस संबंध में, क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख) राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों से अब तक हम इस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुबन्ध में दी हुई है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

पोस्टल स्टाक डिपो, शिलांग

†१३५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शिलांग स्थित पोस्टल स्टाक डिपो को गौहाटी ले जाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या उस के वास्तविक स्थानान्तरण में देर लगायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) :** (क) पोस्टल स्टाक डिपो शिलांग से उठा कर गौहाटी ले जाने के प्रश्न पर छानबीन की गयी थी और १ सितम्बर १९६१ से उसे गौहाटी ले जाने के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश अब जारी कर दिये गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बोनगई गांव से जोगीघोपा तक रेलवे लाइन का विस्तार

†१३६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोलपाड़ा के लोगों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया है जिस में यह आग्रह किया गया है कि बोनगई गांव से जोगीघोपा तक रेलवे लाइन बढ़ायी जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि यह प्रस्तावित लाइन तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे के नयी लाइनों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं है इसलिये निकट भविष्य में इस का काम आरम्भ किये जाने की कोई संभावना नहीं है ।

परिवार नियोजन

१३७. श्री रामेश्वरानन्द : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवृद्धि को रोकने के लिये परिवार नियोजन की अपेक्षा ब्रह्मचर्य का प्रचार क्यों न किया जाये ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : भारत सरकार ब्रह्मचर्य तथा उस के पालन कर्ताओं का आदर करती है । परिवार नियोजन क्लिनिक सन्तति नियमन के लिये, जो सीमित ब्रह्मचर्य है, सुरक्षित काल का समर्थन करते हैं । पूर्ण ब्रह्मचर्य सराहनीय तो है किन्तु हो सकता है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के रूप मे यह सभी वयस्क स्त्री पुरुषों के लिये व्यावहारिक न हो ।

असैनिक अस्पतालों में पुरुष नर्स

†**१३८. श्री ब० कुन्हन्** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन लोगों को जिन्हों ने चिकित्सा संबंधी आर्मी थर्ड ग्रेड परीक्षा पास की है, असैनिक अस्पतालों में पुरुष नर्सों के तौर पर नियुक्ति के लिये योग्य समझती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के कारण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : : (क) जी नहीं ।

(ख) इंडियन आर्मी मैकिल कोर का थर्ड ग्रेड परीक्षा प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा मान्य, जनरल नर्सिंग के प्रमाणपत्र के समकक्ष नहीं समझा जाता क्योंकि उस का प्रशिक्षण का स्तर बहुत नीचा है ।

राष्ट्रीय क्षय रोग संस्था, बंगलौर

†**१३९. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय क्षयरोग संस्था, बंगलौर को संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि से १९६२-६३ में ११०,००० डालर की सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो इस रकम का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता निधि से इसी प्रकार के कुछ अन्य केन्द्र भी चालू किये जाने वाले हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब और कहां ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी नहीं । यह रकम २० जिला क्षयरोग चिकित्सालयों के लिये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दो साल की अवधि में २० जिला क्षयरोग चिकित्सालयों को आई एन एच (क्षय रोग विरोधी औषध) सप्लाई करने के लिये ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल सहायता निधि ४० जिला क्षय रोग चिकित्सालयों को एक्सरे और प्रयोगशाला उपकरण देने वाला है;

(घ) जिन २० जिला क्षय रोग चिकित्सालयों को संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल सहायता निधि द्वारा १९६२-६३ में एक्सरे और प्रयोगशाला उपकरण दिये जाने वाले हैं, उन के संबंध में आवश्यक जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य का नाम	क्षय रोग चिकित्सालय का नाम
उत्तर प्रदेश .	१. गाजियाबाद*
	२. जौनपुर*
	३. मेरठ*
	४. सीतापुर*
	५. बस्ती*
पंजाब . .	६. रोहतक*
आन्ध्र प्रदेश .	७. अनन्तपुर*
	८. वारंगल
	९. विशाखापत्तनम्
मैसूर . .	१०. चितलदुर्ग
	११. मंगलौर
	१२. टुमकुर*
मद्रास	१३. वेल्लोर*
केरल . .	१४. कन्ननूर*
	१५. कोट्टारकारा*
महाराष्ट्र .	१६. नासिक*
गुजरात . .	१७. अहमदाबाद
	१८. राजकोट*
मध्य प्रदेश .	१९. शहडोल*
	२०. धार*

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, दिल्ली

†१४०. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी शाहदरा (दिल्ली) और गाजियाबाद में रहते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ नहीं मिलता; और

---

†मूल अंग्रेजी में

*अस्थायी तौर पर चुने गये ।

(ग) इन क्षेत्रों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) बताया जाता है कि लगभग २,३०० केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी शाहदरा और दिल्ली में यमुना पार दसरी बस्तियों में रहते हैं। गाजियाबाद में, रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां ।

(ग) शाहदरा और दिल्ली की दूसरी यमुना पार बस्तियों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है। यह योजना गाजियाबाद में लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

†१४१. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमा नाथ :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भारत में सभी राज्यों में चल रहा है;

(ख) इस कार्यक्रम में भारत भर में और प्रत्येक राज्य में कुल कितने व्यक्ति नियोजित हैं;

(ग) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब समाप्त होगा ;

(घ) क्या सरकार का इस कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या सरकार ने कार्यक्रम पूरा होने पर बेरोजगार व्यक्तियों को खपाने की कोई प्रस्थापना बनाई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां । कार्यक्रम देश भर में चल रहा है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी राज्यों से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) यह आशा की जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त के समीपवर्ती कुछ क्षेत्रों और समस्या वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों को छोड़ कर देश के बड़े भागों में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मलेरिया समाप्त कर दिया जायेगा ।

(घ) जी, नहीं । यह आवश्यक नहीं है ।

(ङ) यह मुख्यतः राज्य सरकार का मामला है । इस समस्या की ओर उनका ध्यान मई, १९५९ में दिलाया गया था और अब तक प्राप्त उत्तरों से यह पता चलता है कि अधिकांश राज्य सरकारें और संघ राज्य-क्षेत्र राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पूरा होने पर फालतू कर्मचारियों को अपनी सेवाओं में रख लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे डाक सेवा, आन्ध्र का विभाजन

†१४२. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सर्किल (डाक तथा तार विभाग) में रेलवे डाक सेवा के 'वाई' डिवीजन का विभाजन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रस्तावित नये डिवीजन का सदरमुकाम आन्ध्र प्रदेश राज्य के बाहर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग) आन्ध्र सर्किल में 'वाई' डिवीजन विभाजन करने का एक प्रस्ताव था परन्तु अब ऐसा न करने का निर्णय किया गया है ।

फल और सब्जियां

†१४३. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पन्न फलों और सब्जियों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिये विपणन सर्वेक्षण करने की कोई प्रस्थापना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां । देश में डिब्बे में बन्द करने और प्रोसेसिंग के लिये उपयुक्त ताज़े फलों और सब्जियों के एकडयोग और उत्पादन का सर्वेक्षण करने की विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ने १ अप्रैल, १९६२ से निरीक्षण-कार्य की एक योजना आरम्भ की है ।

(ख) यह योजना ३१ मार्च, १९६३ तक मंजूर की गई है और तब तक प्रतिवेदन के पूरा हो जाने की आशा है ।

रेलवे के असिस्टेंट सर्जनों के वेतन-स्तर

†१४४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) और (ख) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रेलवे चिकित्सा संघ ने प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट सर्जनों के वेतन-स्तर को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट सर्जनों के बराबर मानने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). विभिन्न साधनों, जैसे रेलवे डाक्टर, भारतीय चिकित्सा संस्था, अखिल भारतीय रेलवे असिस्टेंट सर्जन संघों आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें उन्होंने यह कहा है कि डाक्टरों के वेतन-स्तर, पदोन्नति और पदस्थिति में सुधार किया जाये ताकि उन्हें अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के कर्मचारियों के समान बनाया जाये । इन अभ्यावेदनों की जांच की गयी और निम्नलिखित निर्णय किये गये :—

†मूल अंग्रेजी में

(१) असिस्टेंट सर्जनों को अस्थायी रूप से दिये गये ३३५–२०–४७५–२५–५७५–ई० बी०–२५–६५० रुपये का अधिकृत वेतन स्तर को अन्तिम समझा जाये।

(२) असिस्टेंट सर्जनों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस (१) उन रेलवे कर्मचारियों के घर पर परिवार के लिये जिनकी आय १५० रुपये मासिक या इससे अधिक है; (२) जो यात्री यात्रा के दौरान बीमार हो जायें; और (३) बाहर के उन व्यक्तियों तक जो रेलवे अस्पतालों में आन्तरिक मरीज अथवा शल्य-चिकित्सा के लिये दाखिल किये, सीमित हो।

(३) असिस्टेंट सर्जनों के निम्न स्तर पर सीमित गैर-प्रैक्टिस भत्ता दिया जाये :

(क) विशेषज्ञों, जैसे निश्चेतकों (अनस्टेटिस्ट्स), एक्स-रे विशेषज्ञ, दन्त चिकित्सकों आदि, को जो अपने व्यवसाय के स्वरूप के कारण सामान्य प्रैक्टिस नहीं कर सकते :

(१) ५०० रुपये तक प्रति मास वेतन लेने वालों को १२५ रुपये प्रति मास।

(२) ५०० रुपये से अधिक प्रति मास वेतन लेने वालों को १७५ रुपये प्रति मास।

(ख) अन्य असिस्टेंट सर्जन :

(१) ५०० रुपये महीना तक वेतन पाने वालों को ७५ रुपये प्रति मास।

(२) ५०० रुपये महीना से अधिक वेतन पाने वालों को १०० रुपये प्रति मास।

(४) ५ वर्ष के बाद असिस्टेंट सर्जन अवैतनिक गजेटेड रैंक में आ जायेंगे और फिर वे पासों, क्वार्टरों के आवंटन आदि में गजेटेड अधिकारियों को दी गई सामान्य सुविधाओं के अधिकारी होंगे।

(५) असिस्टेंट सर्जनों की पदोन्नति की संभावना में सुधार करने के लिये असिस्टेंट मेडिकल आफिसर्स की पदाली का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये।

सत्ता का विकेन्द्रीकरण

१४५. श्री सन सिंह : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े नगरों में भी सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों की भांति नगरों में भी इस प्रकार के विकेन्द्रीकरण में क्या व्यावहारिक और सैद्धान्तिक बाधायें हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर): इस बारे में एक सुझाव रखा गया है जो परीक्षणाधीन है।

(ख) इस सुझाव के अन्तिम रूप में स्वीकृत किये जाने पर ही कठिनाइयों का परीक्षण एवं समाधान किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

तांबे के तारों की चोरी

†१४६. श्री हेम राज : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ में जुलाई के अन्त तक देश के विभिन्न डाक तथा तार डिवीजनों में, डिवीजन-वार, तांबे के तारों की चोरी के कितने मामले हुए ;

(ख) चुराये गये तारों की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि चोरी की घटनायें वृद्धि पर हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

(ग) वर्ष १९६१-६२ में कुछ क्षेत्रों में वृद्धि हुई और कुछ में कमी ।

(घ) यह विधि और व्यवस्था की एक समस्या है । चोरी के बारे में सम्बंधित राज्य सरकारों को बता दिया जाता है ।

(ङ) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

१. अपराधियों को पकड़ने के लिये सर्किल प्राधिकारियों और राज्य पुलिस के प्राधिकारियों में निकट सम्पर्क ।

२. अपराध के लिये दण्ड में वृद्धि ।

३. चोरी से प्रभावित क्षेत्रों में तांबे के तारों के स्थान पर तांबा चढ़े तार लगाना ।

४. मुख्य ट्रंक मार्गों पर ऊपर की लाइनों को भूमिगत के बिलों में बदलना ।

कांगड़ा घाटी रेलवे के लिये सर्वेक्षण

†१४७. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी रेलवे के पुनः मार्ग रेखन के लिये सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इसका पुनः मार्ग रेखन पहाड़ी क्षेत्रों के घने आबादी वाले क्षेत्रों में से करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ग) क्या इसके रेलवे पुलों को सड़क-एवं-रेल पुल बनाने के लिये भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ङ) इस पुनः मार्ग निर्धारित रेलवे की निर्माण लागत को कौन वहन करेगा, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ; और

(च) इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) और (ग). जी, हां ।

(घ) अधिक आबादी वाले क्षेत्रों से इसका पुनः मार्ग रेखन करने पर लाइन की लागत लगभग १.७ करोड़ रुपये अधिक होगी । अतः ऐसी संभावना है कि पंजाब सरकार, जो लाइन की लागत को वहन करेगी इसको नहीं मानेगी । रेल-एवं-सड़क पुल बनाने के बारे में, अनुभव यह है कि छोटी लाइन पर ये सड़क और रेल पुल पृथक पृथक बनाने की अपेक्षा लाभप्रद नहीं हैं । तथापि, परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मामले पर आगे विचार किया जायेगा ।

(ङ) लाइन का पुनः मार्ग रेखन करने के लिये ज्वालामुखी शहर और गुलेर स्टेशनों के बीच सर्वेक्षण पंजाब सरकार, जो लाइन के पुनर्व्यवस्थित करने का खर्चा देगी, की प्रार्थना और खर्च पर किया गया ।

(च) सर्वेक्षण-कार्य पूरा होने और प्राक्कलन तैयार होने पर ही इसका पता चलेगा ।

भारतीय औषधियों के लिये केन्द्रीय परिषद्

†**१४८. श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय औषधियों के चतुर्मुखी विकास और प्रगति के लिये भारतीय औषधियों की एक केन्द्रीय परिषद् स्थापित करेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). एक केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् स्थापित की गई है । इसके जरिये सरकार को आयुर्वेद की उन्नति के लिये उपलब्ध सर्वोत्तम व्यक्तियों का परामर्श मिल रहा है ।

राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण

†**१४९. श्री मुरारका** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने कस्बों और गांवों में बिजली लगाई जायेगी ;

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उपरोक्त कार्य के लिये कुल कितना धन आवंटित किया गया है और अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के ३०० कस्बों और गांवों में बिजली लगायी जावेगी ।

(ख) जुलाई, १९६२ के मध्य तक ८२ गांवों में बिजली लगायी गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में ग्राम्य विद्युतीकरण के लिए १११ लाख रुपये के कुल उपबन्ध में से, वर्ष १९६१-६२ में राज्य सरकार को ११ लाख रुपये की रकम दी गयी। राज्य सरकार द्वारा अब तक किये गये व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

त्रिपुरा में फसल की हानि

†१५०. **श्री दशरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष त्रिपुरा में 'प्रास' की फसल को कीड़ों ने नष्ट कर दिया;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित हानि कितनी है; और

(ग) इस क्षति के कारण उत्पन्न हुए आपात को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

त्रिपुरा के किसान

†१५१. **श्री दशरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ मई १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से ऐसी कोई व्यवस्था की गयी है जिससे त्रिपुरा में राजस्व/बन प्राधिकारियों की पूर्वानुमति से जोतदार जोत की भूमि में लगे वृक्ष काट सकते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो जब तक त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, १९६० का विशेष उपबन्ध, जिन में जोतदारों को वृक्ष काटने के अधिकार देने की व्यवस्था है, लागू नहीं होता, सरकार जोतदारों को बिना शुल्क अपने वृक्ष काटने के लिए सुविधायें देने के लिए क्या कदम उठायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जोतदारों को बिना रायल्टी दिये आरक्षित किस्म के वृक्ष काटने की अनुमति दी जा रही है। रक्षित किस्म क वृक्षों के मामले में, रायल्टी मिल जाने पर अनुमति दी जाती है ।

(ख) मामला अभी परीक्षणाधीन है ।

रिंग रोड, दिल्ली

†१५२. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिंग रोड के निर्माण में आज तक कितनी प्रगति की गयी है; और

(ख) उस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) दिल्ली के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण का कार्य, निम्नलिखित कार्यों को छोड़-कर जिन पर कार्य किया जा रहा है, पूरा हो गया है :

१. तीन रेलवे लाइनों, अर्थात् दिल्ली--गुड़गांव, दिल्ली--रोहतक और दिल्ली--करनाल पर ऊपरी पुल तक आगमन मार्गें।

२. नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण।

३. कुछ सेक्शनों में वर्तमान भूपृष्ठ को कड़ा करना।

(ख) कुल १६८.२ लाख रुपये की अनुमानित लागत में से ३० जून, १९६२ तक १२०.५५ लाख रुपये।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिये विशेष डाक टिकट

†**१५३. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चेचक के विरुद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन के आन्दोलन को तीव्र बनाने के लिए विशेष डाक-टिकट जारी करेगी;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) ऐसी कार्यवाही करने की क्या शर्तें हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री भगवती) :** (क) विशष डाक टिकट निकालने का प्रस्ताव नहीं है परन्तु चेचक के विरुद्ध आन्दोलन को तीव्र करने के लिए उपयुक्त घोष के साथ विशेष प्रामाणिक चिह्नों की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भाखड़ा से दिल्ली को बिजली का सम्भरण

†**१५४. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की भाखड़ा परियोजना से दिल्ली को १९६२--६३ में कितनी बिजली दी जायेगी;

(ख) यह बिजली कब तक उपलब्ध होने की संभावना है; और

(ग) इस बिजली के पारेषण (ट्रान्समिशन) के लिए भाखड़ा और दिल्ली में अब तक क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). जून, १९६१ में दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम को ८,००० किलो वाट बिजली प्राप्त हो चुकी है। सितम्बर, १९६२ तक और १२,००० किलो वाट बिजली प्राप्त होने की संभावना है।

(ग) अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने के लिए दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम ने प्रायः सभी व्यवस्था कर ली है। इस बिजली के संभरण के लिए पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड अपनी पारेषण प्रणाली को १३२ किलो वाट से २२० किलो वाट करा रहा है। यह काम सितम्बर, १९६२ तक पूरा हो जाने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश के सरकारी अस्पताल

†१५६. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सरकारी अस्पतालों और दवाखानों में भर्ती होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियों के लिए कुल कितने बिस्तर और आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हैं ; और

(ख) हमारी जनसंख्या की किसी न्यूनतम संख्या के लिए अस्पताल में बिस्तर की व्यवस्था करने का उद्देश्य कहां तक पूरा किया गया है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) बताया जाता है कि देश में कुल १,८५,००० बिस्तर हैं जिन में से सरकारी अस्पतालों व दवाखानों में १,३६,६०० बिस्तर हैं ।

(ख) १९४६ में प्रति १,००० व्यक्ति पीछे ०.२४ के स्थान पर १९६० में प्रति १,००० व्यक्ति पीछे ०.४० ।

जेट और वायकाउण्ट के लिये असैनिक हवाई अड्डे

†१५७. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने असैनिक हवाई अड्डों पर जेट और वायकाउन्ट विमानों के उतरने के लिए उचित 'रन-वे' हैं ;

(ख) क्या हमारे देश में रडार की सुविधा की व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) ३८ । इन में से बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के हवाई अड्डों पर बोइंग ७०७ जैसे बड़े जेट विमानों के आने-जाने के लिए उचित 'रन-वे' हैं और मदरास हवाई अड्डे पर ऐसे विमानों के आने-जाने के लिए रन-वे की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) **हवाई अड्ड के रडार**

बम्बई और कलकत्ता के हवाई अड्डे ।

तूफान का पता लगाने वाले ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी रडार

(१) बम्बई (सान्ता क्रूज)

(२) कलकत्ता (दमदम)

(३) नई दिल्ली (सफदरजंग)

(४) मदरास

(५) नागपुर

(६) गौहाटी

(७) अगरतला

(८) मोहनबारी (रडार स्थापित किया जा रहा है)

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में बाढ़ के कारण रेलवे को हुई हानि

†१५८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में पिछले महीने विशेषकर बागमती और कोसी नदियों में आई बाढ़ के फलस्वरूप रेलवे का कितना नुकसान हुआ ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** माननीय सदस्य संभवतः जून, १९६२ में हुए नुकसान की जानकारी चाहते हैं । बागमती नदी की बाढ़ से लगभग २ लाख रुपये की हानि हुई है ।

पंजाब में पानी का इकट्ठा होना

†१५९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार पूर्व जर्मन सरकार के सहयोग से पानी के इकट्ठा होने के विरुद्ध कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अलगेशन) :** पंजाब सरकार ने राज्य में पानी के इकट्ठा होने के प्रश्न के बारे में १९५९ में पूर्व जर्मनी के एक निस्सारण विशेषज्ञ प्रोफेसर जेनर्ट से परामर्श प्राप्त किया था । प्रोफेसर जेनर्ट ने सतही निस्सारण, उथले नलकूप, नालियों की दीवारों, गहरी जड़ों वाले वृक्षों का रोपण आदि प्रविधिक बातों के सम्बन्ध में अपनी राय दी थी । पंजाब सरकार ने इस मामले में निर्णय करने से पहले इन उपायों की जांच करने के उद्देश्य से कुछ अग्रिम योजनायें आरम्भ की हैं ।

बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त रेलवे पुल

†१६१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पिछले दो महीनों में बाढ़ या वर्षा के फलस्वरूप रेलवे के कितने पुल टूट गये या क्षतिग्रस्त हुए ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें०वें० रामस्वामी):** उत्तरी सीमान्त रेलवे का केवल एक छोटी ह्यूम पाइप पुलिया को, जो रंगिया और रंगपाड़ा के बीच स्थित थी, बाढ़ के दौरान क्षति पहुंची ।

मद्रास तक कोयला पहुंचाने के लिये वैगन

†१६२. **श्री उमानाथ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य को जितना कोयला दिया गया है क्या उसे वहां पहुंचाने के लिये पर्याप्त वैगन दिये गये हैं :

(ख) जितना कोयला दिया गया है उसे ले जाने के लिये राज्य को कितने वैगन चाहियें और कितने दिये गये;

(ग) यदि आवश्यकता से कम वैगन दिये गये हो तो उसके क्या कारण हैं और वैगनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कौन से कदम उठाने का विचार है; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) पर्याप्त वैगन उपलब्ध न किये जाने के फलवरूप कोयले का परिवहन किस हद तक प्रभावित हुआ है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). मद्रास राज्य को कुछ कोयला रेल और समुद्र के रास्ते पहुंचाया जाता है और कुछ रेलों के जरिये। वैगनों की आवश्यक ता हर महीने घटती बढ़ती रहती है। जुलाई, १९६१ में स्थिति इस प्रकार थी :—

(१) रेल और समुद्र के रास्ते

कोयला नियन्त्रक द्वारा दिये गये

वैगन	लदान	विशेष
९६२ (२५-७-६२ तक)	९४७	(१) कोयला खानों ने ५ खाली वैगन लौटा दिये। (२) कोयला नियंत्रक ने १० वैगन अन्य उपभोक्ताओं को दे दिये।

(२) रेलमार्गों द्वारा

कोयला नियन्त्रक द्वारा दिये गये

वैगन	लदान	विशेष
२२५७	२२४५	इन्डेन्ट न होने से उत्पन्न अभाव

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग की इमारतें

†**१६३. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के डाक तथा तार परिमंडल द्वारा विभाग के लिये निजी मकानों को काम में लाने के लिये प्रति वर्ष कितना किराया दिया जाता है;

(ख) उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने कार्यालय हैं और उनमें कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या सभी कर्मचारियों को विभाग द्वारा मकान दिये गये हैं तथा कार्यालय विभाग की इमारतों में स्थित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो अधिकारी इस प्रश्न की ओर कितने अर्से से ध्यान दे रहे हैं और विभाग द्वारा कितने वर्षों में कर्मचारियों के लिये मकान और कार्यालयों के लिये इमारतें बनाये जाने की सम्भावना है और इस वर्ष कितनी इमारतों का निर्माण आरम्भ किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) २,११,६८७.०० रुपये।

(ख) क्रमशः ५१७ और ४,६५६।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं। १४३ कर्मचारियों को विभागीय क्वार्टर दिये गये हैं। डाक तथा तार विभाग के ५४ कार्यालय विभाग की इमारतों में स्थित हैं।

(घ) इस प्रश्न की ओर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय से ध्यान दिया जा रहा है किन्तु पर्याप्त धन न होने से प्रगति गंभीर रूप से अवरुद्ध हुई है। कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये ११९ एकक (यूनिट) और डाक तथा तार विभाग की १९ इमारतों के विस्तार को मंजूरी दे दी गयी है और इस वर्ष में कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय राजपथ ४७ पर पुल

†१९४. **श्री प० कुन्हन्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पालघाट-कोचीन फ्रन्टियर सड़क के ६/१ मील पर पुल बनाने के लिये कितना धन दिया गया है;

(ख) क्या निर्माण-कार्य आरम्भ किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो वह संभवतः कब पूरा हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पालघाट-कोचीन फ्रन्टियर सड़क के ६/१ मील पर एक पुल के निर्माण के लिये अभी कोई धन नहीं दिया गया क्योंकि यह कार्य तीसरी योजना में शामिल नहीं किया गया किन्तु उसे वर्तमान योजना में शामिल करने तथा आवश्यक धन मंजूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फिलहाल उत्पन्न नहीं होता।

हृदय रोग

†१९५. { **श्री म० ला० स्वामी** :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ने कोई ऐसी औषधि खोज निकाली है जो उन लोगों को, जिन्हें दिल की बीमारियां होती हैं, फायदा पहुंचा सकती है, और

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि दिल की बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है, क्या सरकार ने इस औषधि को बाजार में लाने की कोई कोशिश की है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज ने ऐसी औषधि बनाई है जो दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। इस औषधि का प्रारम्भिक परीक्षण तक नहीं किया गया है इसलिये उसे बाजार में लाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

आगरा में बटेश्वर घाटों का जीर्णोद्धार

†१६६. **श्री शं० ना० चतुर्वेदी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पानी बिजली आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किये जाने के लिये जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) में बटेश्वर घाटों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण की योजना की छानबीन की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना मंजूर की गयी थी और क्या इस योजना की अवधि में इसके आरम्भ किये जाने की कोई संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय पानी बिजली आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना की छानबीन की थी और यह सुझाव दिया था कि अन्तिम रूप से योजना तैयार करने से पहले और छानबीन की जानी चाहिये। राज्य सरकार ने अब यह सूचना दी है कि उस के द्वारा की गई जांच पड़ताल के परिणाम-स्वरूप उसने एक पुनरीक्षित योजना तैयार की है। इस मंत्रालय को राज्य सरकार से पुनरीक्षित योजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तीसरी योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की सूची में यह योजना शामिल नहीं की गई है।

दिल्ली के अस्पतालों में पलंग

१६७. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के रोगों के लिये कितने पलंगों की व्यवस्था है; और

(ख) निकट भविष्य में दिल्ली के प्रत्येक अस्तपाल में पलंगों की संख्या में कितनी-कितनी वृद्धि करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). दिल्ली सरकारी अस्पतल के बारे में अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०[**

दिल्ली परिवहन की बस दुर्घटना

१६८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि २२ मई, १९६२ की संध्या को नई निल्ली में सफदरजंग के निकट दिल्ली परिवहन की बस दुर्घटना की जांच का परिणाम और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** पुलिस अधिकारियों ने जांच पूरी कर ली है और २८ जूलाई, १९६२ को कोर्ट में चालान पेश कई दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्घटना से सम्बन्धित बस का ड्राइवर भारतीय दण्ड विधान की धाराओं २७९/३३७/३३८ के अन्तर्गत चार्जशीट कर दिया गया है ।

साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में बन्दरों का उत्पात

१६९. श्री भक्त दर्शन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३० मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के साउथ एवेन्यू व पास-पड़ौस के इलाकों से बन्दरों का उत्पादन मिटाने में इस बीच कहां तक सफलता मिली है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर):** बहुत खोज करने के बाद भी नई दिल्ली नगरपालिका अभी तक अपेक्षित साज सामान वाले किसी निपुण बन्दर पकड़ने वाले की सेवायें प्राप्त नहीं कर सकी है ।

दुर्गापुर नहर में बाढ़

†१७०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ की बाढ़ के कारण दुर्गापुर नहर का लॉकगेट गिर जाने के कारण जो क्षति पहुंची थी, दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों ने अभी तक उसकी मरम्मत नहीं की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात की ओर दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों का ध्यान दिलाया है;

(ग) क्या यह भी एक कारण है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल उसे अपने अधिकार में नहीं लेना चाहता; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) मरम्मत पूरी हो चुकी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने यह नहर अपने अधिकार में लेने में विलम्ब का यह कारण नहीं बताया है ।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस नहर को अपने अधीन किये जाने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार और दामोदर घाटी निगम के बीच बातचीत चल रही है ।

गुण्टूर में यात्रियों को तेनाली के लिये रेलवे टिकटों का न दिया जाना

†**१७१. श्री जसवन्त मेहता :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ जून, १९६२ को गुन्टूर मे रेल यात्रियों को तेनाली के लिए सामान्य टिकट जारी नहीं किये गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो टिकट न देने के क्या कारण थे;

(ग) कितने यात्रियों ने बिना टिकट यात्रा की; और

(घ) कितने यात्रियों से तेनाली पहुंचने पर अतिरिक्त जुर्माना लिया गया ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). चूंकि तेनाली के लिए छपे हुए टिकटों का स्टाक गुन्टर स्टेशन पर खतम हो गया था, इसलिए छपे हुए टिकट जारी नहीं किये गये थे ।

(ग) १० । इन में से पांच ने यात्रा करने से पहले टी० टी० ई० को सूचित कर दिया था ।

(घ) पांच ।

देहाती इलाकों में कारखाने

†१७२. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहाती इलाकों में डाकखानों की इमारतें तैयार करने में काफ़ी देर हुई है जब कि उस प्रयोजन के लिए नियत की गयी रकमें खर्च नहीं की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां, किसी हद तक ।

(ख) देहाती इलाकों में परियोजनाएं सामान्यतः १ लाख रुपये से कम लागत की हैं। मंडलों के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियां अभी हाल में १ लाख रुपये तक बढ़ा दी गयी हैं और उन्हें ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए राज्यों के लोक निर्माण विभागों की सेवाएं कुछ दशाओं के अधीन लेने की इजाजत दी गयी है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की एक अलग शाखा बनायी गयी है और वास्तुकला विशारदों की संख्या बढ़ा दी गयी है ।

स्टेशनों की सूची में कौरतल्लम का शामिल किया जाना

†१७३. **श्री मे० क० कुमारन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने मद्रास सरकार की यह प्रार्थना कि जिन स्टेशनों के लिए रेलवे मौसमी रियायतें दी जाती हैं उनकी सूची में कौरतल्लम स्टेशन को शामिल किया जाये, मंजूर करने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री० सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, लेकिन यह १६५६ के पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में है । अभी हाल में, २०-७-६२ को मद्रास सरकार के सूचना और प्रचार निदेशक ने इस विषय पर फिर विचार करने के लिए कहा है । लेकिन अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं भेजा गया है ।

(ख) रियायती वापसी टिकट केवल कुछ पहाड़ी स्टेशनों के लिए ही जारी किये जाते हैं और ऐसे रियायती वापसी टिकट दूसरे स्टेशनों के लिए नहीं दिये जाते । फिर गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ के कारण अतिरिक्त स्थानों के लिए रियायतें देने के बारे में विचार नहीं किया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में डाक तार घर

†१७४. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम सर्किल में तीसरी योजना की अवधि के पहले साल में कितने डाकखाने, तारघर और टेलीफोन एक्सचेन्ज खोले गये हैं;

(ख) दुलियाजान, आसाम, में जहां १९५९ से ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक नयी बस्ती बसायी गयी है, कोई डाक और तारघर क्यों नहीं खोला गया है;

(ग) क्या अब उसे खोलने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो दुलियाजान में डाकखाना खोलने की निर्धारित तारीख क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क)

डाक-खाने	१३७
तारघर .	२
टेलीफोन एक्सचेन्ज .	३

(ख) से (घ). १-८-६२ को दुलियाजान में एक छोटा डाकखाना खोला जाने वाला था। यह पहले इसलिए नहीं खोला जा सका कि उपयुक्त जगह उपलब्ध नहीं थी। तारघर की सुविधा की कोई मांग नहीं है लेकिन उस मामले की छानबीन की जा रही है।

कावेरी नदी बोर्ड

†१७५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास सरकार ने यह सुझाव दिया है कि कावेरी नदी बोर्ड कायम करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव इसलिए आवश्यक नहीं है उस नदी के पानी का पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है ?

†सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : मद्रास सरकार ने यह राय जाहिर की है कि कावेरी नदी बोर्ड बनाने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि दोनों ही राज्यों ने कावेरी बेसिन की संभावनाओं का पूरा पूरा फायदा उठा लिया है और दोनों राज्यों के बीच कोई मतभेद प्रत्यक्ष बातचीत के जरिये दूर किया जा सकता है जैसा की १९२४ के मद्रास मैसूर समझौते में उसके लिए व्यवस्था की गयी है।

रेलवे संरक्षण बल के अफसर द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़

†१७६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून के एक रेलवे पुलिस अफसर ने एक हफ्ते तक अमृतसर की एक लड़की को रोक रखा था और उसके साथ छेड़ छाड़ की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). पुलिस अभी इस मामले की आंच पड़ताल कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वन विकास

†१७७. श्री गो० महन्ती : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित वन विकास कार्यक्रम के तौर पर बागान स्थापित करने के लिए नर्सरी बनाने और प्रारम्भिक कार्य करने के लिए १९६१–६२ में जो ८·३१ लाख रुपये और १९६२–६३ में ५१ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी उस में से उड़ीसा के लिए कितनी रकम दी गयी थी; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो कुल एक लाख एकड़ जमीन का विकास करने की योजना थी उस में से कितनी एकड़ जमीन का विकास इन दो वर्षों में किया जा चुका है ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) १९६१–६२ में "जल्दी बढ़ने वाले किस्मों के बागानों के लिए" उड़ीसा को ५०,००० रुपया मंजूर किया गया था। १९६२–६३ के लिए, ४,२०,७०० रुपये की रकम मंजूर की जा चुकी है।

(ख) १९६१–६२ में १७ नर्सरी बनायी गयी हैं। कोई बागान लगाने का काम शुरू नहीं किया गया है। १९६२–६३ में, ३,०६,७०० रुपये की अनुमानित लागत से २,२०० एकड़ जमीन में बागान लगाने का राज्य सरकार का विचार है।

भद्रक स्टेशन पर बुक किये गये माल से वसूल किया गया माल भाड़ा

†१७८. श्री गो० महन्ती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०, १९६१ और १९६२ की जनवरी-जून छमाहियों में उड़ीसा में भद्रक स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर कितना मालभाड़ा वसूल किया गया ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : १९६०, १९६१ और १९६२ की (जनवरी-जून) छमाहियों मे भद्रक स्टेशन पर जो मालभाड़ा वसूल किया गया उनकी रकमें इस प्रकार हैं :—

जनवरी से जून, १९६०	६,६२,०८६
जनवरी से जून, १९६१	६,०७,७७३
जनवरी से जून, १९६२	८,६७,८१२

डाकियों का स्थायीकरण

†१७९. श्री गो० महन्ती : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसे कितने पोस्टमन हैं जो २० साल, १५ साल और १० साल पहले नियुक्त किये गये थे और जिन्हें अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है; और

(ख) उन्हें इतने लम्बे समय तक अस्थायी रखने के क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांवों में बिजली लगाना

†१८०. **श्री काशीराम गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि के लिए निर्धारित, गाँवों में बिजली लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये कुल कितने मूल्य के साजसामान की जरूरत है ।

(ख) कितना साजसामान विदेशों से मंगाना होगा और क्या उसके लिए विदेशी मुद्रा दी गयी है ;

(ग) देश में कितने मूल्य का साजसामान प्राप्त होगा और वह किस प्रकार का होगा ;

(घ) क्या आयात किये जाने वाले साजसामान का कुछ हिस्सा पहले ही प्राप्त हो चुका है; यदि हाँ तो यह आयात किये गये साजसामान का मूल्य कितना है ; और

(ङ) आयात किये जाने वाले साजसामान की मुख्य मुख्य चीजें क्या हैं और वे किन देशों से खरीदी जायेंगी या खरीदी जा चुकी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ङ) संघीय राज्य क्षेत्रों सहित राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं और यथाशीघ्र वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उत्तर कनारा में नया रोग

†१८१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक ८ जुलाई, १९६२ के "सण्डे स्टेट्समैन" में तथा अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक भयंकर रोग जिसका निदान अभी बाकी है और जिसे अभी तक रहस्यपूर्ण रोग समझा जाता है लेकिन जो मैंगनीज के धूएं के जहर के कारण फैलता हुआ बताया जाता है, उत्तरी कनारा के एक हिस्से में बहुत जोर से फैला हुआ है ; और

(ख) क्या इस रोग के कारण और उसके परिणामों का निरीक्षण करने और उसके सम्भव उपचारों की सिफारिश करने के लिये कोई छानबीन करने का सरकार का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हाँ ।

(ख) मैंगनीज का विषयों एक औद्यागिक कठिनाई है और उसके प्रभावों के सम्बन्ध में अभी पूरी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है । इस रोग के लिये किसी खास उपाय के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है, सिवाय इसके कि रोगी को उससे बचाया जाये और उसकी उचित देखभाल की जाये ।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने मैंगनीज विष के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है ।

मनीपुर में टेलीग्राफ लाइन

†१८२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६२ वर्षों में मनीपुर में टेलीग्राफ लाइनें वर्ष में कितने दिन तक खराब रहीं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त अवधि में तार तथा साधारण डाक के द्वारा इम्फाल तारघर में कितनी साधारण और एक्सप्रेस तारें आईं और कितनी वहां से भेजी गईं; और

(ग) इस सम्बन्ध में मनीपुर की जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गई और की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : १९६०–६२ में गौहाटी–इम्फाल तार सर्किट पर अन्तर्बाधाओं की संख्या इस प्रकार थी :

१९६०–६१ . . .	१०८
१९६१–६२ . . .	९९

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

		वर्ष में	
		१९६०–६१	१९६१–६२
एक्सप्रेस और साधारण दोनों प्रकार की भेजी गई तारों की संख्या	(१) तार पर . .	३२८१७	३५५१०
	(२) डाक द्वारा . .	१९६	२१२
एक्सप्रेस और साधारण दोनों प्रकार की प्राप्त तारों की संख्या	(१) तार पर . .	२६३६५	२९०८३
	(२) डाक द्वारा . .	२७६	३११

(ग) इम्फाल-शिलाँग बेतार द्वारा सम्बन्ध के काम करने के घंटे, जुलाई १९६१ से ३ घंटों से बढ़ा कर प्रतिदिन १४ घंटे कर दिये गये हैं और कलकत्ता तथा उससे पूरे तार यातायात को भेजने के लिये कलकत्ता तक बेतार सम्पर्क का प्रतिदिन एक घंटे के लिये उपलब्ध कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त गौहाटी तक बेतार तार सम्पर्क अब प्रतिदिन २ घंटों के लिये चलता है ।

मनीपुर में लीमाखोंग बिजली योजना

†१८३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की बाढ़ों से लीमाखोंग बिजली योजना को कितनी हानि हुई है ;

(ख) उक्त बिजली योजना की मरम्मत के लिये कितनी राशि और समय खर्च होने का अनुमान है ;

(ग) इसका मनीपुर की बिजली सम्भरण योजना पर कैसे कुप्रभाव पड़ता है ; और

(घ) क्या बिजली योजना को हुई भारी हानि का वास्तविक कारण खोजने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच करवाई जाएगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) पुराना बिजली घर इसका बाँध, नाली और कर्मचारियों के क्वार्टर पूर्णतया बह गये हैं। नये बिजलीघर का बाँध जो लगभग ५० प्रतिशत पूरा हुआ था विद्यूत् नाली के साथ साथ नष्ट हो गया है। लगभग २ लाख रुपये की हानि का अनुमान है। (१) इनके अनुमान अभी तक पूरे नहीं हुए।

(ग) इम्फाल नगर तथा समीपवर्ती बस्तियों अर्थात् मंतरी बूक्को, चिंग मोइरिंग को बिजली का सम्भरण थाड़े समय के लिये बन्द करना पड़ा था। इम्फाल में उपलब्ध डीजल बिजली सन्यन्त्र को चला कर तथा थुबल और मोइरिंग के बिजली घरों से कुछ फालतू बिजली को इधर भेज कर यह पुनः चालू कर दी गई है।

(घ) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के महानिदेशक से केन्द्रीय जल तथा विद्यूत् आयोग ने प्रार्थना की है कि वह हानि के कारणों की जाँच करें।

जापानी सहायता से नमूने के फार्म

†१८४. { **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री दशरथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापानी किसानों की सहायता के साथ स्थापित किये जाने वाले नमूने के फार्मों में कितने भारतीय किसानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा कितनी अवधि के लिये ; और

(ख) प्रशिक्षणार्थियों को किस प्रकार चुना जाएगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). बिहार, गुजरात, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में जापानी सहायता के साथ स्थापित किये जाने वाले चार नमूने के प्रदर्शन फार्मों में भारतीय किसानों के प्रशिक्षण की याजना अभी अन्तिम रूप में तै नहीं हुई है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों की मृत्यु

†१८६. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आई० ए० सी० के विमान चालक केप्टन बी० के० अरोड़ा १६ जुलाई, १९६२ को मर गये जबकि वह काबुल से अमृतसर के लिये भाड़ाकृत डकोटा चला रहा था जब लाहौर के समीप विमान के सामने के शीशे से एक गिद्ध टकरा गया और उसका व्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)**: वास्तविकता यह है कि आई० ए० सी० का डकोटा विमान वी० टी०—ए० यु० एस० जब रविवार, १५ जुलाई, १९६२

†मूल अंग्रेजी में

को काबुल से अमृतसर, एक भाड़ाकृत उड़ान से वापिस लौट रहा था, लाहौर से लगभग ५० मील दूर, एक गिद्ध से टक्कर खा गया, जिसने विमान चालक की सामने देखने की खिड़की के शीशे को तोड़ दिया और वह गिद्ध काक-पिट में घुस गया और उससे सह-विमान चालक बी० के० अरोड़ा को सर पर गहरी चोटें आई। विमान के कमाण्डर ने विमान को लाहौर में सुरक्षित उतारने का प्रबन्ध किया। घायल विमान चालक को तुरन्त मेयो हस्पताल ले जाया गया, किन्तु डाक्टरी सहायता के बावजुद वह मर गया।

२. पाकिस्तानी अधिकारियों ने दुर्घटना की जाँच की है। असैनिक विमान विभाग के एक अधिकारी ने पर्यवेक्षक के रूप में, जांच में भाग लिया। अब जाँच की अन्तिम रिपोर्ट की पाकिस्तानी असैनिक विमान प्राधिकारियों से प्रतीक्षा की जा रही है।

केरल में डाक व तार कर्मचारियों की कमी

†१८७. **श्री प० कुन्हन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि केरल डाक व तार मण्डल में कर्मचारियों का अभाव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हाँ, कुछ कमी है।

(ख) निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(१) क्लर्कों/सार्टरों की सीधी भरती के लिये परीक्षा १ जुलाई, ६२ को हो चुकी है ?

(२) पिछली भरती के अतिरिक्त अनुमोदित अभ्यर्थी सम्बद्ध मण्डल को आवंटित किये जा चुके हैं और सम्बद्ध मंडलीय अधिकारी नियुक्ति से पहले आवश्यक प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी करने का काम कर रहे हैं।

(३) कुछ अभ्यर्थी नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

रेलवे यात्री भाड़ों में वृद्धि

†१८८. **श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्प दूरी यात्रा के दूसरे और तीसरे दर्जे के यात्री भाड़ों में विशेषकर तीन से दस मील के बीच, उनके बजट भाषण में किये गये प्रस्तावों के प्रतिकूल, १० प्रतिशत से अधिक बढ़ाये गये हैं ;

(ख) किस सूत्र के द्वारा ये वृद्धियाँ की गई हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

बीज उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम

†१८९. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बीज उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम को ठोस तथा समान आधार पर लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० अ० म० थामस)** : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग

†१६०. **डा० क० ल० राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के सदस्यों के कितने पद अभी खाली हैं और कितने समय से ;

(ख) यदि समय लम्बा है, तो क्या काम खराब होता है ; और

(ग) क्या पदों को शीघ्र भरने के लिए कार्रवाई की जाएगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगशन)** : (क) आयोग के जल कक्ष में दो सदस्यों के पद खाली हैं। एक पद १७ दिसम्बर, १९६१ को खाली हुआ और दूसरा १० जुलाई, १९६२ को खाली हुआ। आयोग के विद्युत् कक्ष में सदस्य का एक पद १ अप्रैल, १९६१ से खाली है।

(ख) इस काम की देखभाल सभापति तथा अन्य सदस्यों द्वारा, अपने निजी काम के अतिरिक्त की जा रही है और काम में खराबी नहीं होने दी जाती।

(ग) रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरने की कार्रवाई की जा रही है।

फतेहाबाद को रेलवे लाइन से मिलाना

१६१. **श्री बागड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तहसील फतेहाबाद जिला हिसार (पंजाब) में सिवाय भट्टू गांव के कोई रेलवे स्टेशन नहीं है और फतेहाबाद को रेलवे लाइन से मिलाने की इलाके के लोगों की बड़ी इच्छा है ; और

(ख) क्या सरकार फतेहाबाद कस्बे में रेलवे लाइन ले जाने के लिए विचार कर रही है और कब तक इस कस्बे को रेलवे से मिला देने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर 'हां' में और दूसरे भाग का 'ना' में है।

(ख) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डाकखानों में धन का हेर फेर

१६२. **श्री बागड़ी** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन का कोई हेरफेर उत्तर प्रदेश के डाक व तार घरों में पिछले तीन साल में पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस कदर रकम का और उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया है क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हानि और धोखाधड़ी के सभी मामलों में जितनी रकम का हेरफेर किया गया है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	रुपये
१९५८–५९ . .	१,४६,३४७.६८
१९५९–६० . . .	१,३६,४२७.१४
१९६०–६१	८२,२६२.८०

तेरह विभागीय कर्मचारियों और तेरह बाहरी व्यक्तियों पर अदालतों में मुकदमा चलाया गया। तेरह विभागीय कर्मचारियों को नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। लापरवाही से काम करने के लिए जिम्मेदार १६० विभागीय कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी और उनसे ८१,९८४.६१ न० पै० की रक़म वसूल की गई। उन कर्मचारियों से और भी रक़म वसूल होने की आशा है जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ तो की जा चुकी है किन्तु अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है।

लेखा परीक्षा के आंकड़े

	१९५८–५९		१९५९–६०		१९६०–६१	
	संख्या	रु०	संख्या	रु०	संख्या	रु०
बचत बैंक	१४	४८,१२२.८२	४०	३६,६२९.६९	१७	४,३६६.४०
नक़दी पत्र	२	१४,०००.००	—	३,४००.००	—	—
मनीआर्डर	७७	३१,७२२.३०	११८	३४,०६०.४१	५७	२४,९५६.६८
बीमाकृत वस्तुएं	४१	२२,७०३.२९	९०	३२,३३२.२६	६८	२६,७३०.६४
विविध	१०३	२९,७९९.२७	१०९	३०,००४.७८	११३	२६,२०९.०८
कुल जोड़	२३७	१,४६,३४७.६८	३५७	१,३६,४२७.१४	२५५	८२,२६२.८०

चीनी का उत्पादन

१९३. श्री बागड़ी : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस साल कितनी चीनी की भारतवर्ष में पैदावार हुई ;

(ख) क्या इससे पिछले साल की अपेक्षा इस साल चीनी ज्यादा बनी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का चीनी पर से कंट्रोल उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). इस वर्ष २२ जुलाई, १९६२ तक चीनी का उत्पादन २६.२ लाख टन हुआ जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में २९.० लाख टन हुआ था। ३१–१०–१९६२ तक के कुल उत्पादन की गत वर्ष के उत्पादन से बढ़ने की संभावना नहीं है।

(ग) २८ सितम्बर, १९६१ को चीनी क वितरण, मूल्य तथा वहन पर से नियंत्रण उठा लिए गए थे ।

टिकट कलेक्टर और रेलवे मजिस्ट्रेट के बीच झगड़ा

१९४. श्री रा० स तिवारी : क्या रेलवे मंत्री टिकट कलैक्टर और रेलवे मजिस्ट्रेट के बीच झगड़े के बारे में २५ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय जांच का क्या परिणाम हुआ ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : रेलवे प्रशासन अभी इस मामले की जांच कर रहा है ।

नलकपों द्वारा सिंचाई

†१९५. श्री काशी राम गुप्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी नलकूप की प्रति घंटा कितनी यूनतम जल विकास क्षमता (गैलनों) में कृषि सम्बन्धी सिंचाई कार्यों के लिये लाभदायक माना जाता है ;

(ख) ऐसे नलकूप की औसतन कुल लागत कितनी होती है ;

(ग) ऐसा नलकूप चलाने का कितना व्यय होता है और उसके लिए कितनी विद्युत् की आवश्यकता होती है, ये दोनों बातें आठ घंटों के औसत काम के दिन के आधार पर ; और

(घ) उपरोक्त (क) में पूछी गई क्षमता वाले नलकूप से आठ घंटे के काम के दिन में कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है ।

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) नलकूप सिंचाई के आर्थिक पहलू न केवल इसकी जल विकास क्षमता से निर्धारित किये जाते हैं किन्तु इसकी गहराई से भी किये जाते हैं, जिसका निर्माण और चलाने की लागत पर, इसे चलाने के लिये विद्युत् स्रोत से अर्थात् क्या यह जल विद्युत् शक्ति है, स्टीम से तैयार बिजली डीजल, से तैयार बिजली या डीजल इंजन, सिंचाईकृत क्षेत्र में फसल बोने के ढांचे और सिंचाई दरें जो किसानों से उचित रूप में ली जा सकती हैं । क्षेत्र-क्षेत्र ये पहलू भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिये इस बात के बिना कि नलकूप किस क्षेत्र में लगाया जाना है, लाभप्रद नलकूप का न्यूनतम जल निकाय क्षमता निर्धारित करना संभव नहीं है । तथापि जिन राज्यों में बड़े क्षेत्रों की सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है, उनके अनुभव से, कहा जा सकता है कि न्यूनतम निकाय का अग्रेतर गुजरात में प्रति घंटा २५००० गैलन और बिहार में प्रति घंटा ३३००० गैलन के बीच है ।

(ख) औसत लागत ६५००० रुपये से ९०,००० रुपये के बीच होती है ।

(ग) औसत संचालन व्यय डीजल इंजन द्वारा चालित नलकूप के लिये १२७०० रुपये से जलविद्युत शक्ति द्वारा चलाये जाने वाले नलकूप के लिये ७७५० रुपये, क्रमशः ५००० घंटों और ४००० घंटों के लिये अग्रेतर होती है । गुजरात में डीजल इंजन के लिये अश्वशक्ति और बिहार में

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बिजली मोटर के लिये १५ अश्वशक्ति की आवश्यकता होगी। यदि नलकूप दिन में केवल आठ घंटों के लिये चलाया जाता है तो वह लाभप्रद नहीं होगा।

(घ) सिंचित क्षेत्र २०० एकड़ से ४०० एकड़ के बीच है।

बारक नदी, आसाम पर मनाधार बांध

†१९६. **श्री न० रं० तस्कर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारक नदी, जिला कछार, आसाम में मैनाधार में प्रस्तावित मिट्टी से बांध के सम्बन्ध में आवश्यक जांच पूरी की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) किस तिथि तक बांध का काम पूरा हो जाएगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) बारक बांध सम्बधी जांच जारी है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) बांध निर्माण करने की संभाव्यता जांच पूरी होने के पश्चात् ही मालूम होगी।

रुद्रमपुर में तार तथा सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायें

†१९७. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुद्रमपुर, कोठागुडियम, खम्मम जिला में तार व सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने का फैसला किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं की व्यवस्था कब की जाएगी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां।

(ख) जून, १९६३ या यदि संभव हो सका तो पहले।

रामागुंदम और गोदावरी खत्ती के बीच रेलवे साईडिंग

†१९८. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामागुंदम और गोदावरी खती के बीच रेलवे साइडिंग पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इस काम के कब पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यह यातायात के लिये कब खोला जायेगा ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रामागुंदम और गोदावरी खती के बीच साइडिंग को पूरा करने में रेलवे की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ। काम की प्रगति इस कारण रुकी हुई है क्योंकि कोयला खान द्वारा बनाये जा रहे कुछ पुल पूरे नहीं हो पाये हैं। ज्योंहि पुल और मिट्टी डालने के काम पूरे हो जायेंगे, रेलवे साइडिंग बना देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). नवम्बर, १९६२ तक साइडिंग मुकम्मल हो जाने की आशा है और दिसम्बर, १९६२ में यातायात के लिय खोली जान की संभावना है।

तीसरे दर्जे के यात्रियों पर दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध

†**१९९. श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा/मद्रास डाक और हैदराबाद हावड़ा ऐक्सप्रैस गाड़ियों पर तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रतिबन्ध क्या हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये हावड़ा / मद्रास डाक गाड़ियों द्वारा वर्तमान अन्तर प्रतिबन्ध संलग्न विवरण में दिया गया है। इस समय इस गाड़ी द्वारा और अधिक प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस समय हैदराबाद / हावड़ा ऐक्सप्रैस गाड़ियों द्वारा अन्तर प्रतिबन्ध लगान का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई विजयवाड़ा जनता एक्सप्रेस

†**२००. श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरास्ता वाडी और हैदराबाद, बम्बई / विजयवाडा जनता एक्सप्रैस चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस के कब तक चालू किये जाने की संभावना है।

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). बम्बई और विजयवाडा के बीच बरास्ता वाडो और सिकन्दराबाद एक जनता एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का निकट भविष्य में कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली डिवीजन में स्थायी लाइनों के सहायक निरीक्षकों को स्थायी बनाना

†२०१. { **श्री बूटा सिंह** :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में दिल्ली डिवीजन में स्थायी लाइनों के सहायक निरीक्षकों को कई वर्षों से स्थायी नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब स्थायी बनाये जाने की आशा है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जी नहीं। उन्हें जून, १९५९ में स्थायी बनाया गया था। शीघ्र ही फिर उन्हें स्थायी बनाया जाने वाला है।

चालू वर्षा ऋतु में रेलवे लाइनों को क्षति

†**२०२. श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपि करेंग कि :

(क) चालू बर्षा ऋतु में रेलवे लाइनों को कितनी क्षति हुई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लाइनों के टूट जाने से कितने राजस्व की हानि हुई ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) चालू वर्षा ऋतु में अभी तक (१ जून, १९६२ के बाद) रेलवे लाइनों की (पुलों सहित) अनुमानतः ११.०० लाख रु० की क्षति हुई ।

(ख) गाड़ियों के आवागमन में बाधा पड़ने के कारण राजस्व में होने वाले घाटे का पता इस समय लगा सकना संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांशतया आय में अस्थायी रूप से कुछ कमी हो जाती है और यातायात पुनः शुरू हो जाने पर बाद में वह पूरी हो जाती है ।

फार्म आयोजन

†२०३. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री राम रतन गुप्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में फार्म आयोजन के विशेषज्ञों को निरन्तर प्रभावी मार्ग दर्शन कराने के लिय दो फार्म आयोजन परियोजनायें आरम्भ करने का क्या कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी हां । भारत की अवस्था के अनुकूल काम आने योग्य फार्म आयोजना संबंधी प्रविधियों की अनेकानेक प्रणालियों संबंधी पहलुओं पर अनुसन्धान करने के लिये फार्म आयोजन के बारे में दो अग्रिम अनुसन्धान परियोजनायें, एक उत्तर में और एक दक्षिण में, शुरू करने का विचार है । आशा है कि इन दोनों परियोजनाओं में प्राप्त होन वाला अनुभव पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के लिये फार्म आयोजन के मार्ग दर्शन के हेतु उपयोगी होगा ।

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये क्षेत्र का प्रतिनिधि फार्मिंग अवस्थाओं वाला एक गांव चुन लिया जायेगा । हर गांव में साधनों, फसल के स्वरूप आदि की दृष्टि से भिन्न भिन्न स्थिति वाले दस किसानों का एक समूह छांट लिया जायेगा और इन किसानों के लिये योजनायें बनाई जायेंगी । हर किसान की प्रबन्ध क्षमता, साधनों की उपलब्धता, निजी पसन्द और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रख कर अलग-अलग प्रविधि को प्रयोग में लाने वाली दो या तीन वैकल्पिक योजनायें बनाई जायेंगी। कार्यान्वित योजनाओं संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने के लिये और इन की लागत तथा उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये फार्म अभिलेख रजिस्टर रखे जायेंगे । परियोजना का अनुभव पड़ोसी राज्यों को फार्म आयोजन के काम में मार्ग दर्शन के लिये सहायक होगा । परियोजना द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़े फार्म आयोजन प्रशिक्षण के लिये भी उपयोगी सामग्री का काम देंगे ।

"इण्डियन शिपर" में आग दुर्घटना

†२०४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ६ मई, १९६२ को जब "इंडियन शिपर" में आग लगी उस समय इस पर कुल कितना टन सामान था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आग लगने का कारण क्या था; और

(ग) क्या एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क), (ख) और (ग). यह जहाज इस महीने के अन्त तक कलकत्ता आने वाला है। उसके आने पर कलकत्ते का समुद्री वाणिज्य विभाग एक आरम्भिक जांच करेगा। उस जांच के पूर्ण होने पर ही यह पता लगेगा कि कितने सामान को क्षति पहुंची और आग लगने का कारण क्या था।

सेतु समुद्र योजना

†२०५. **श्री उमानाथ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के चीफ इंजीनियर ने सेतुसमुद्र योजना के बारे में कोई आरम्भिक रिपोर्ट तैयार की है ;

(ख) क्या वह रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिहवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिसार में टेलीफोन कनेक्शन

२०६. **श्री बागड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिसार शहर में कितने नये टेलीफोन कनैक्शन की दरख्वास्तें जेरे तजवीज हैं; और

(ख) ऐसी दरख्वास्तें कब से जेरे गौर हैं और इन को कनैक्शन देने में क्यों देरी की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) १०७। इन में से ३७ टेलीफोन कनैक्शन देने के लिये आदेश पत्र जारी किये जा चुके हैं और उन्हें शीघ्र ही लगा दिया जायेगा।

(ख) सब से पुराने आवेदन-पत्र की तारीख ११ जुलाई, १९६१ है। मौजूदा एक्सचेंज का विस्तार होने के बाद और अधिक टेलीफोन कनैक्शन दिये जायेंगे।

हिसार का मुख्य डाकघर

२०७. **श्री बागड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हिसार के मुख्य डाकघर की बिल्डिंग बहुत पुरानी है और मौजूदा स्टाफ के लिये नाकाफी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस की जगह नई बिल्डिंग बनाने का इरादा रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

† मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) यह प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्थिति में है। भवन निर्माण का काम औपचारिकतायें पूरी होने जैसे कि प्रारम्भिक नक्शे, प्रारम्भिक प्राक्कलन आदि तैयार करने के बाद ही जिनमें कि कुछ समय लग जायेगा, हाथ में लिया जायेगा।

दिल्ली-फाजिल्का मार्ग

२०८. **श्री बागड़ी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली-फाजिल्का राजपथ को चौड़ा और सीधा बनाने का काम रोक दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त मार्ग पर सिरसा और हिसार के बीच ट्रकों और बसों का काफी यातायात है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मार्ग को चौड़ा और सीधा बनाने के कार्य को चालू रखने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

†२०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) फाइलेरिया उन्मूलन का अभी कोई कार्यक्रम है ही नहीं। फाइलेरिया नियन्त्रण का एक अग्रिम राष्ट्रीय कार्यक्रम अवश्य है जो कि कुछ राज्यों में लोक स्वास्थ्य की एक समस्या है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम द्वारा की गयी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये और फाइलेरिया पर नियन्त्रण करने के उपायों का सुझाव देने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने एक समिति बनाई थी। उस समिति की उपपत्तियों तथा उसके द्वारा की गयी सिफारिशों का एक संक्षिप्त टिप्पण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

रिपोर्ट की प्रतियाँ राज्य सरकारों के पास कार्यान्वित करने के लिये भेज दी गयी हैं।

जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं :

(१) फाइलेरिया प्रशिक्षण केन्द्र, एरणाकुलम् (जो अब कोजीकोट में चला गया है) की ही तरह के तीन और केन्द्र जैसाकि समिति ने सिफारिश की है, भारत सरकार

†मूल अंग्रेजी में

स्थापित करेगी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में सारा खर्च केन्द्रीय सरकार करेगी। दो केन्द्र, एक उत्तर प्रदेश में और एक आन्ध्र प्रदेश में, चालू वित्तीय वर्ष में और तीसरा केन्द्र (इसका स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है) अगले वर्ष खोलने का विचार है।

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य सरकारें विशेष ब्यूरो, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों, फाइलेरिया क्लीनिकों तथा पुनर्गठित एककों की स्थापना पर जो अतिरिक्त संचालन व्यय करेगी उसका ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देगी। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकारें संचालन व्यय (कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा अन्य आकस्मिक व्यय) उतना ही करती रहेंगी, जितना इस समय करती हैं और समिति की सिफारिशों के अनुसार विशेष ब्यूरो, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रों, फाइलेरिया क्लीनिकों तथा पुनर्गठित एककों की स्थापना से होने वाले अतिरिक्त खर्च का भी ५० प्रतिशत धन भी खर्च करेंगी। केन्द्रीय सरकार उन्हें मुफ्त में सामग्री, उपस्कर तथा इल्ली नाशक तेल देती रहेगी और अतिरिक्त संचालन व्यय का ५० प्रतिशत खर्च भी देगी।

(३) केरल राज्य में अग्रिम परियोजना कार्यान्वित की जायेगी और उसका सारा खर्च केन्द्रीय सरकार देगी।

पूना बंगलौर राजमार्ग पर बाढ़ का पानी

†२१०. **श्री मोहसिन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग हर साल मालप्रभा नदी में बाढ़ आने से उसका पानी बेलगाँव जिले में मुगत-खान के निकट राष्ट्रीय राजपथ (पूना बंगलौर सड़क) पर आ जाता है और यातायात रुक जाता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वर्षा ऋतु में कई बार इस प्रकार आवागमन रुक जाने से जनता को बड़ी असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल को ऊंचा करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पूना-बंगलौर राजपथ पर मालप्रभा के पुल पर पानी आ जाता है। आम सालों में साल में चार बार एक-एक दिन के लिए यातायात रुकता है। पर असाधारण बाढ़ वाले साल में अधिक से अधिक चार दिन तक यातायात रुका है।

(ख) और (ग). जनता की कठिनाई को देखते हुए इस पुल के स्थान पर एक ऊंचा पुल बनाने का विचार है पर इसकी प्राथमिकता पीछे है क्योंकि इस राजपथ पर कई स्थानों पर कोई पुल हैं ही नहीं। वर्तमान समस्या यह है कि धन की कमी के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथों के कुल २७ बड़े पुलों के लिये उपबन्ध कर पाना सम्भव नहीं हो सका है। जिन पुलों के लिये उपबन्ध नहीं है उनके लिये अधिक धन प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। मालप्रभा नदी पर ऊंचा पुल बनाने के प्रश्न पर उपलब्ध धन को देखते हुए पुनः विचार किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

अस्पतालों में कैजुअलिटी और एमरजेन्सी डिपार्टमेंट

†२११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बड़े-बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों के कैजूअलिटी डिपार्टमेंटों के कार्य संचालन का अध्ययन करने के लिये और कैजूअलिटी तथा एमरजेन्सी डिपार्टमेंट का काम सुधारने और इनमें कार्यकुशलता लाने के लिये एक बोर्ड बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) बड़े-बड़े शहरों के अस्पतालों के वर्तमान एमरजेन्सी तथा केजूअलिटी डिपार्टमेंट की कार्यपद्धति का पुनरावलोकन करने के लिये इस बीच एक समिति बना दी गई है, देखिए भारत सरकार के २३ जून, १९६२ के गजट में प्रकाशित ६ जून, १९६२ का भारत सरकार का संकल्प संख्या एफ० ७–३/६२––एच० १ ।

समिति में निम्नलिखित लोग हैं :—

१.	डा० एन० जुंगन वाला, डिप्टी-डाइरेक्टर जनरल, हेल्थ सर्विसेज, नई दिल्ली	अध्यक्ष
२.	श्री ए० एस० बघेल, डिप्टी सेक्रेटरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
३.	ब्रिगेडियर, पी० टी० जोसेफ कन्सल्टेण्ट सर्जन, डाइरेक्टोरेट जनरल आफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, नई दिल्ली ।	सदस्य
४.	कर्नल आर० डी० अय्यर कन्सलटैण्ट सर्जन एण्ड मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ।	सदस्य
५.	डा० जेकब चडी, प्रिंसिपल एण्ड प्रोफेसर आफ न्यूरो सर्जरी क्रिस्चियन मेडीकल कालेज, वेल्लोर ।	सदस्य
६.	डा० एम० जे० एच० राइटर डिप्टी असिस्टेंट डाइरेक्टर जनरल, हेल्थ सर्वि-सेज, नई दिल्ली ।	सदस्य सचिव

समिति को ऐसे सदस्य सम्मिलित करने का अधिकार है, जिसे वह आवश्यक समझें ।

समिति के निर्देश पद निम्नलिखित हैं :—

(१) दिल्ली तथा अन्य बड़े-बड़े शहरों में अस्पतालों में वर्तमान एमरजेन्सी और कैजूअलिटी सेवा का मूल्यांकन करना ।

(२) भारत सरकार के विचारार्थ उनके सुधार के लिये सिफारिश करना ।

समिति वेल्लौर, मद्रास, बंगलौर और दिल्ली के बड़े-बड़े अस्पतालों को देख चुकी है और शीघ्र ही कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ आदि बड़े-बड़े शहरों का दौरा करने वाली है । ऐसे दौरों में समिति राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, टेलीफोन और पुलिस अधिकारियों, और गैर-सरकारी व्यक्तियों, चिकित्सा विशेषज्ञों तथा स्थानीय अस्पतालों के अधिकारियों से मिलती है । समिति ने राज्य के ए० एम० ओ०, मेडिकल कालेजों और मेडीकल संघों के नाम एक प्रश्नावली भी भेजी है । साथ ही उसने इस विषय पर अखबार के विज्ञापन के माध्यम से विशेषज्ञों, तथा मेडिकल और गैर मैडीकल संघों आदि से सुझाव भी माँगे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, १९५४

†२१२. **श्री हेम राज** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम, १९५४ के संशोधन के सम्बन्ध में दिनाँक ७ दिसम्बर, १९६१ के अताराँकित प्रश्न संख्या १४५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समिति ने खाद्यमान सम्बन्धी उपसमिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है तथा अपने अन्तिम निर्णय कर लिये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम में संशोधन करने के बारे में उन्होंने क्या परामर्श दिये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में ही दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण के कितने ही मामले समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) केन्द्रीय खाद्यमान समिति ने उप-समिति के प्रतिवेदन पर अभी विचार नहीं किया है। परन्तु योजना आयोग द्वारा नियुक्त तदर्थ उप-समिति ने खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम, १९५४ में संशोधन करने के विभिन्न सुझाव दिये हैं। उपसमिति ने इसके साथ ही साथ यह भी सिफारिश की है निम्नलिखित संशोधन किये जायें :—

(१) केन्द्रीय खाद्यमान समिति में भारतीय मान संस्था, नगर निगम आदि का प्रति-निधित्व ;

(२) दूकानदार द्वारा लाइसेंस फीस के साथ-साथ प्रत्याभुति जमा करना तथा लाइसेंस की शर्तों को पूरा न करने पर उसका जब्त किया जाना ;

(३) अधिनियम की धारा १६ के अधीन अपराधियों को कठोर दण्ड ;

(४) पहले अपराध पर न्यूनतम ५०० रुपये का जुर्माना ;

(५) केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की क्रियान्विति सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) हाल में ही समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि सोडे की बोतल में छिपकली, बर्फ की सिल्ली में चूहा, दूध की बोतल में कीड़ा तथा बीयर की बोतल में झींगुर पाया गया है।

(घ) समाचारों को उपयुक्त पदाधिकारियों के पास भेज दिया गया है जिससे वे ऐसी घटनाओं का भविष्य में न होने देने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

आगरा छावनी के निकट खेरिया रोड पर लेवल क्रासिंग

२१३. **श्री अचल सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा छावनी स्टेशन के निकट खेरिया रोड पर लेवल क्रासिंग पर जनता को पर्याप्त यातायात असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस असुविधा को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं। यह समपार सड़क यातायात के लिये आम तौर पर खुला रखा जाता है। केवल गाड़ियों के आने-जाने और शंटिंग के लिये इसे बन्द किया जाता है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

जमुना नदी पर आगरा में पुल

२१४. श्री अचल सिंह : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४ में तत्कालीन परिवहन तथा संचार मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि आगरा में बढ़ते हुये यातायात को ध्यान में रखते हुये जमुना नदी पर राजपथ पर पुल बनाया जायेगा। ; और

(ख) इस पुल के निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय म नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) : जी, हां। पुल के लिये जगह चुन ली गई है। पुल को मिलाने वाली सड़कों के निर्माण के लिये भूमि लेने का काम पहिले ही पूरा हो गया है। प्रस्तावित पुल को मिलाने वाली सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग की बाहरी सड़क का काम भी देंगी। पुल निर्माण कार्य तथा इससे संबंधित प्रारम्भिक सर्वेक्षण और कुछ आंकड़े इकट्ठा करने का काम भी पूरा हो गया है। धन उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल नहीं किया जा सका। फिर भी इस परियोजना को चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना काल में शामिल किये जाने की आशा है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : श्रीमन् मैं भारतीय तार अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अधीन भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २६ मई, १९६२ की एस० ओ० संख्या १६२१।

(दो) दिनांक ७ जुलाई, १९६२ की एस० ओ० संख्या २०७८।

(तीन) दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९४३।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २६३/६२]

दिल्ली में बिजली संकट, देश म बाढ़ की स्थिति और कृष्णा गोदावरी आयोग के प्रतिवेदन क बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिल्ली में बिजली के संकट और कलकत्ते में बिजली की स्थिति के बारे में वक्तव्य।
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३—२४]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

(२) देश में बाढ़ स्थिति के बारे में वक्तव्य । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६५/६२—२]**

(३) कृष्णा–गोदावरी आयोग की रिपोर्ट के बारे में वक्तव्य ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : दिल्ली में बिजली संकट के बारे में चर्चा करने के लिये समय दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मुझे इसके बारे में सूचना दी जाय तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को बांट दी जायें ताकि वे इस पढ़ लें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : ताकि हम इस बारे में प्रश्न भी पूछ सकें । हर रोज यही संकट सामने आता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी प्रतियां सदस्यों को बांटी जायें ।

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं, नौवहन विकास निधि समिति के प्रमाणित लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: श्रीमान् मैं (१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अधीन त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ८(६)—एम० वी०/६१]

(ख) दिनांक २६ मई, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४(२)—एम० वी०/६१

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० १८९/६२ और एल० टी० २१२/६२]

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली क्रमशः १२ अप्रैल, १९६२ और २४ मई, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/१३०/५६–६१/पी० आर० (टी०) और संख्या एफ० १२/४१/६१–परिवहन

(ख) अण्डेमान और निकोबार द्वीपसमूह मोटर गाड़ी नियम, १९३९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ अप्रैल, १९६२ के अण्डेमान और निकोबार गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ६६/६२/एफ० ६८—१७६/६१—पब

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० २६७/६२ और एल० टी० २६८/६२]

†मूल अंग्रेजी में

वणिक-नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा १६ की उपधारा (६) के अधीन नौवहन विकास निधि समिति की ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्रतिवेदन और प्रमाणित लेखे और तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६९/६२]

कोचीन में दूसरे शिपयार्ड के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३८५ पर श्री एस० सी० सामन्त द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के ३ मई, १९६२ के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य ।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]

दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं और दिल्ली विकास प्राधिकार के प्रमाणित लेखे

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं:—

(एक) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अधीन दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१६५ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार (योजना के अनुमोदन का प्रकाशन) विनियम, १९६२ ।

(दो) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २५ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार वर्ष १९५९–६० के प्रमाणित लेखे और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० २७१/६२—और एल० टी० २७२/६२]

केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर संकल्प और कोयला खान बचाव केन्द्र समिति धनबाद का वार्षिक प्रतिवेदन

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : मैं श्री हाथी की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) असम और पश्चिमी बंगाल में मजूरी में अन्तरिम वृद्धि करने के लिये चाय बागान उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर दिनांक ७ जुलाई, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्लू० बी०–३/३४/६२ ।

(दो) त्रिपुरा में मजूरी में अन्तरिम वृद्धि देने के लिये चाय बागान उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर दिनांक १९ जुलाई, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्लू० बी०–३/४३/६२ ।

(तीन) वर्ष १९६१–६२ के लिय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनवाद का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये । संख्या क्रमशः एल० टी० २७३/६२; एल० टी० २७४/६२; और एल० टी० २७५/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और आय-व्ययक प्राक्कलन

†सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय म राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

(दो) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष १९६२–६३ के आय-व्ययक प्राक्कलन ।

[पुस्तकालय म रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० २७६/६२ और एल० टी० २७७/६२]

भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० के अधीन अधिसूचनाएं

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ८२ जे की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २००४ में प्रकाशित रेलवे दुर्घटनायें (प्रतिकर) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति उसके शुद्धि पत्र सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७८/६२]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं और पशुओं के प्रतिनिवारण अधिनियम, १९६०

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : मैं (१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६२ ।

(ख) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६२ ।

(ग) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७८ में प्रकाशित चावल और धान (असम) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६२ ।

(घ) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७९ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६२ ।

(ङ) दिनांक १८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) दिनांक २४ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२३ में प्रकाशित (उत्तर प्रदेश) धान और चावल (लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७९/६२]

(२) पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २००५ में प्रकाशित पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

[पुस्पतकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८०/६२]

भारतीय वायुयान अधिनियम १९३४ के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं भारतीय वायुयान अधिनियम, १९३४ की धारा १४क के अन्तर्गत दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७२ में प्रकाशित भारतीय वायुयान (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २८१/६२]

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय परिचर्या परिषद्

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि भारतीय परिचर्या परिषद्, एक्ट, १९४७ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ण) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय परिचय परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चूने ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय परिचर्या परिषद् एक्ट, १९४७ की धारा ३ की उपधारा (१) के खंड (ण) के अनुसरण मे लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय परिचर्या परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

तीसरा प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति की तीसरी रिपोर्ट से, जो ६ अगस्त, १९६२ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति की तीसरी रिपोर्ट से, जो ६ अगस्त, १९६२ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में ६ अगस्त को प्रस्तुत किये गये विधेयक अर्थात् कृषि उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं के विकास संबंधी मामलों, को संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : (मन्दसौर): कल इस विधेयक की खंडवार चर्चा हुई थी । इस सिलसिले में मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं और आपका इस बारे में निर्णय चाहता हूं । कल जो खंडवार चर्चा हुई थी, वह प्रक्रिया नियम के नियम ७५ के विरुद्ध थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल जो कुछ हो गया और जिन परिस्थितियों में हुआ वह ठीक था । इस बारे में मुझे कोई निर्णय नहीं देना है । यदि भविष्य में कोई अवसर आयेगा तो मैं अपना निर्णय दूंगा । क्योंकि हर मामले पर निर्णय उसकी गुणिता के आधार पर दिया जाता है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इस विधेयक का द्वितीय वाचन बहुत जल्दी में किया गया हैं । हमारी सब की यही शिकायत है कि हम इसके लिये तैयार नहीं थे । प्रारम्भिक प्रक्रमों में विधेयक की उचित आलोचना नहीं की जा सकी क्योंकि वित्तीय ज्ञापन बहुत देर से उपलब्ध कराया गया था । इस समय इस विधेयक के बारे में मुझे केवल यही आपत्ति है और सरकार से निवेदन है कि सरकार को विधेयक के खंड ३ पर पुनर्विचार करना चाहिये जिसमें समस्त सदस्यों के नामांकन का उपबन्ध है, नामांकन संसद् पर छोड़ दिया जाना चाहिये । अतः मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि वह इस विधेयक पर विचार करे और नामांकन का उपबन्ध संसद् पर छोड़ दें ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : इस विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भी लागू किया जाना चाहिये । की धारणा है कि इस विधेयक कुछ लोगों के पारित हो जाने तथा निगम के बन जाने से अच्छा नहीं होगा । लेकिन मेरा विचार इसके

---

†मूल अंग्रेजी में

विपरीत है। मेरी आशा है कि इस निगम के बन जाने से देश की सहकारिता आन्दोलन के विस्तार और उसे दृढ़ करने में मदद मिलेगी । निगम के समस्त सदस्य सरकार द्वारा नामांकित नहीं किये जाने चाहियें । कुछ गैर-सरकारी अभिकरणों विशेषकर सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को निगम में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : विधेयक के कुछ खंड अच्छे नहीं हैं। खंड ६ के उपबन्ध देश की समस्त विधान योजना के विरुद्ध है क्योंकि सरकार द्वारा सदस्यों के हटाये जाने के किसी आधार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त खंड २१ निगम के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध है। सरकार के लिये निगम को अपनी इच्छानुसार तोड़ने की शक्ति का अपने हाथ में लेना उचित नहीं होगा। इसलिये यह अधिक अच्छा होगा कि उन उपबन्धों पर पुर्नविचार किया जाये ।

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्री (श्री सु० कु० डे)** : माननीय सदस्य श्री त्रिवेदी का कहना है कि वित्तीय ज्ञापन देर से दिया गया है । वास्तव में देखा जाये तो इस विधेयक के सम्बन्ध में किसी वित्तीय ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बोर्ड को कोई विशेष राशि देने का विचार नहीं है । मंत्रालय के आवंटन का कुछ भाग सहकारिता विकास बोर्ड के माध्यम से प्राप्त होता है। अतः मंत्रालय को यह बताना संभव नहीं है कि संसद् उसके लिये प्रतिवर्ष कितना धन निर्धारित करे ।

श्री त्रिवेदी का कहना है कि यह मामला एक प्रकार से सरकार अथवा सत्तारूढ़ दल की अपनी चीज है; यह बात भी गलत है । मैं बता चुका हूं कि यह प्रस्तावित संगठन सहकारिता आन्दोलन गैर-सरकारी प्रतिनिधियों और विभिन्न मंत्रालयों के बीच निकट सहयोग उत्पन्न करने के लिये होगा ।

इस बोर्ड के सदस्यों को कोई होनेरेरियम नहीं दिया जाता उन्हें तो केवल आने जाने का भत्ता ही दिया जाता है । अतः सदस्यों पर कोई और खर्च नहीं किया जाता ।

बोर्ड के कार्यकारण में नामांकन प्रथा ही ठीक रहेगी क्योंकि निर्वाचन के सिद्धांत से दलबन्दी तथा अन्य बुराइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या इस विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू किया जा सकता है ।

जहां तक विधेयक की अवांछित खंडों की बात है उनको दूर किया गया है और आगे भी किया जायेगा ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक १९६२

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में आसाम राइफल्स विधेयक पर चर्चा होगी।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि आसाम राइफल्स अधिनियम, १९४१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक साधारण विधेयक है। इस अधिनियम का मुख्य प्रयोजन इसको आसाम के अलावा समस्त भारत में भी लागू करता है। वैसे तो आसाम राइफल्स आजकल मनीपुर तथा कुछ ऐसे भागों में कार्य कर रही है जो आसाम के अंग नहीं हैं। अतः सम्पूर्ण भाग में इसे लागू करना ठीक है। यह स्वाभाविक बात है कि आसाम राइफल्स उत्तर पूर्व में ही कार्य करती है।

द्वितीय संशोधन के द्वारा आसाम राइफल्स के सैनिकों को कुछ शक्तियां और उन्मुक्तियां भी प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। यह नागालैंड पर लागू नहीं होती क्योंकि नागालैंड में अलग से फौज है। जिन भागों में यह लागू नहीं होता अब वहां भी यह लागू किया जायेगा।

इस विधेयक के बारे में कुछ संशोधन भी आये हैं किन्तु उनमें से एक को भी मैं स्वीकार नहीं करता क्योंकि ये संशोधन उन व्यक्तियों की सुरक्षा पर आघात पहुंचाते हैं जो उनको दी गई हैं।

हम वहां दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं कर सकते क्योंकि उससे कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। यही कारण है कि खंड ३ में विशेष व्यवस्था की गई है कि जिसका उपयोग सामान्य प्रक्रिया से विमुख होने पर किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : नेफा में तैनात राइफल मैनों को पुलिस पदाधिकारियों के अधिकार देने के लिये जो यह संशोधन रखा गया है वह तो ठीक है। लेकिन आसाम राइफल्स के कमान्डेंट और असिस्टेंट कमान्डैंट को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने के परिणाम बुरे हो सकते हैं। सरकार को यह बताना चाहिये कि वे अधिकार क्यों दिये गये हैं। नागालैंड और नेफा के निवासियों के मन में इस प्रकार की शक्तियों से डर उत्पन्न होगा। आसाम राइफल्स के नौजवानों में यह भावना व्याप्त है कि उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिलती जो कि सेना के उन नौजवानों को मिलती हैं जो कि वहां जाते हैं। जब कि आसाम राइफल्स के नौजवान सीमा पर आकर कार्य करते हैं।

नागालैंड और नेफा में जब तक पुलिस स्थापित नहीं हो जाती तब तक वहां खोज और गिरफ्तारी का काम जारी रहना चाहिये। अतः अब सरकार को यह विचार करना चाहिये कि क्या उस क्षेत्र में पुलिस बल की स्थापना हो जाने पर भी वे शक्तियां कायम रहेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में इस बात पर विचार करना है कि क्या विभिन्न सशस्त्र सेना जो सरकार ने नियुक्त किए हैं उन के नियंत्रण के लिए समन्वित विधान होना चाहिए। आसाम राइफल्स में नियुक्तियां आसाम राइफल्स अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार के अधिकार में हैं। इस से विधान के प्रशासन में काफी कठिनाई होती है। सशस्त्र सेना पर मूल अधिकारों के लागू होने को संविधान का अनुच्छेद ३३ रोकता है।

संविधान के अनुच्छेद १३६ के अनुसार सशस्त्र सेना से सम्बन्धित विधान के अन्तर्गत किसी आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। इस से झगड़ा उत्पन्न होता है। कुछ वकील इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं क्योंकि असिस्टेंट कमान्डैंट और कमान्डैंट मैजिस्ट्रेट होते हैं। अतः सरकार को उन व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए जिन के अन्तर्गत पुलिस बल बनाया जाता है। पुलिस बल को भारत की सशस्त्र सेना नहीं कहना चाहिये। यह वर्गीकरण बदलना चाहिए। संशोधन का ध्येय वांछनीय नहीं है। कमांन्डैंट और असिस्टेंट कमान्डैंट को विधान के प्रशासन में ट्रेनिंग नहीं होती। इस का नतीजा खराब निकलता है।

मुझे इस व्यवस्था पर आपत्ति है कि सरकार किसी भी कमान्डैंट और असिस्टेंट कमान्डेंट को मैजिस्ट्रेट बना सकती है। इस व्यवस्था से पक्षपात को प्रोत्साहन मिलेगा। कमान्डेंट और असिस्टेंट कमान्डैंट द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में भी अपील नहीं हो सकती।

ऐसी व्यवस्था को हटा देना चाहिए। पदाधिकारी अपने निर्णनय देते समय पक्ष करेंगे। माननीय मंत्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

†श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : आसाम राइफल्स ने नेफा और अन्य पूर्व क्षेत्रों में जहां भी अशांति हुई वहां बहुत प्रशंसनीय काम किया।

कमांडैंट और असिस्टेंट कमांडैंट को सेवाओं में अनुशासन रखने के लिए तो शक्तियां होनी चाहिएं, परन्तु असैनिक और फौजदारी के मामलों के सम्बन्ध में शक्तियां नहीं होनी चाहिएं।

आसाम राइफल्स के जवानों को वे अधिकार या सुविधाएं नहीं दी जाती जो इस क्षेत्र में काम करने वाले पुलिस को दी जाती थीं। इस प्रकार से जवानों के मस्तिष्क में आन्दोलन हो जाता है।

जिन क्षेत्रों में आसाम राइफल्ज के जवान काम करते हैं वहां पर कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट को मुकदमों का निर्णनय करने की शक्ति देना उचित नहीं होगा। आसाम राइफल्ज के मामले में भी सैनिक नियम लागू होने चाहिए ताकि वे भी भारत के अन्य नागरिकों के तुल्य होंगे।

†श्री अ० चं० गुह (बरसात) : आसाम राइफल्ज के सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उनको पर्याप्त शक्तियां भी दनी चाहिऐ ताकि अच्छी तरह से काम कर सकें।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

आसाम राइफल्ज़ अधिनियम १९४१ में प्राप्त हुआ। उस समय पूर्व सीमान्त क्षेत्र में युद्ध जैसी परिस्थितियां थीं। अतः उस अधिनियम को देखना चाहिए कि सामान्य परिस्थितियों वाली शक्तियां आसाम राइफल्ज़ को देनी चाहिएं ताकि अधिनियम को वैसे ही रहने दिया जाए।

इस समय भी आसाम सीमा पर स्थिति शान्तिमय नहीं है। उस सीमा पर पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण प्रायः होते रहते हैं। अतः आसाम राइफल्ज़ को नई शक्तियां देदी जाएं ताकि वे कार्य अच्छा प्रकार कर सकें।

आसाम राइफल को अधिक शक्तियां देने का मैं समर्थन करता हूं। कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट को शक्तियां जो दी जा रही हैं, उन का भी समर्थन करता हूं तभी वे अनुशासन से काम कर सकते हैं।

धारा १२ के अन्तर्गत बनाए गये नियमों को सभा पटल पर रखने की प्रथा का सरकार द्वारा पालन किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : सेना इसलिये शक्तिशाली होती है क्योंकि वह आत्मनिर्भर है क्योंकि उसके अनुशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिये सेना कमांडरों को अनुशासन-हीनता के ममालों में जांच की शक्ति दी जा रही है।

आसाम राइफल्स पुलिस बल ही है। इस समय जब कि हमारी सीमाओं पर स्थिति इतनी अच्छी नहीं है आसाम राइफल्स की शक्ति को बढ़ाना चाहिये। आसाम राइफल्स का विशेष उत्तरदायित्व होने के कारण उनको पुलिस की शक्तियां दी जानी चाहिये।

आसाम राइफल्स के अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने में कोई हर्ज नहीं। इससे सिपाहियों पर नियन्त्रण रहेगा। वे नागरिकों पर अत्याचार नहीं कर सकेंगे। उन्हें इस बात का डर रहेगा कि यदि उन्होंने कोई गलत बात की तो उन्हें शीघ्र ही उसकी सजा मिल जाएगी।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : श्री त्रिवेदी जी ने कहा है कि जब दो सिपाहियों में झगड़ा हो तो सेना विधान के अधीन उसे जो अपील का लाभ होता है उस की जहां व्यवस्था नहीं है। वह उस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं।

†**श्री त्यागी** : आसाम राइफल्स अधिनियम में अपील करने की व्यवस्था है। अनुशासन तभी रह सकता है जब अनुशासन सम्बन्धी शक्तियां आसाम राइफल्स के पास हों।

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : आसाम राइफल्स ने इस देश में विशेष कर हमारी सीमा की सुरक्षा में बहुत प्रशंसनीय काम किया है। वे फौज और पुलिस दोनों का काम करते हैं। उनके कार्य अच्छा करने के आधार पर ही उनकी शक्ति को आसाम की सीमा के बाहर बढ़ाया जा रहा है।

आसाम राइफल्स को विशेष परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अतः उन्हें जो शक्तियां दी जा रही हैं वे इस बात के लिये हैं कि उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अधिक शक्तियां देने से वे पुलिस का विरोध नहीं करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट को मैजिस्ट्रेट की शक्तियां देने के सम्बन्ध में कहा गया है कि इस तरह से पक्षपात को प्रोत्साहन मिलेगा। पक्षपात तो प्रत्येक सम्बन्ध में आ जाता है। सेना के अधिकारियों में यह कम होता है। वे देश की सुरक्षा और सिपाहियों से न्याय करने का ध्यान रखते हैं। इससे पक्षपात बहुत कम हो जाएगा।

चूंकि आसाम राइफल्स को बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, अतः उन्हें उसके अनुसार ही विशेषाधिकार दिए जाएं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम बनाए जाएं वे सभा पटल पर रखे जाएं ताकि यदि हम चाहें तो उन पर चर्चा कर सकें।

श्री यशपाल सिंह (केराना) : अध्यक्ष महोदय, जो यह बिल हमारे सामने आया है उस की स्पिरिट में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जब हम जुडीशिअरी और एग्जिक्यूटिव हर जगह अलग करने जा रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि आसाम राइफल्स के मामले में हम एक्सेप्शन करें। दूसरे यह भी है कि नागालैंड की जनता, जिसके रिप्रेजेन्टेटिव्ज यहां पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और जो बाकायदा भारत का अंग है, उसके अन्दर एक पुलिस आफिसर को जुडीशिअरी के अख्त्यारात दे देना कुछ भला मालूम नहीं होता।

मैं यह चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की रक्षा हो और देश के हर एक मनुष्य के अन्दर यह भावना पैदा हो कि उसके अधिकार सुरक्षित हैं। नागालैंड जो लाखों की तादाद में हमारे लोग हैं उन्हें यह मौका मिलना चाहिये कि वे यह सोचें कि इन्साफ उन्हें मिलेगा और अधिकार उन के उनको मिलेंगे। ऐसी हालत में यह समझ में नहीं आता कि हम क्यों एक पुलिस के आफिसर या आर्मी के आफिसर को यह अधिकार दे दें कि वह जब भी जी चाहे गोलियां भी चला सके। इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि वहां की जनता का सहयोग पाने के लिये और नागालैंड का विश्वास सुरक्षित रखने के लिये हम वहां की जुडीशिअरी और एग्जिक्यूटिव को अलग अलग रखें। नागालैंड में इस वक्त हमारे विश्वसपात्र लोगों की, बफादार लोगों की, तादाद ज्यादा है। उन के प्रेम और विश्वास को सुरक्षित रखने के लिये भी यह जरूरी है कि हम वहां पर जुडीशिअरी और एग्जिक्यूटिव को अलग अलग रक्खें।

इस मामले में मेरी दरख्वास्त है कि जहां तक आसाम की और नागालैंड की हिफाजत का ताल्लुक है, उस सवाल में हम सब लोग एक हैं, लेकिन जो जनता हमारी है उस में हमें विश्वास पैदा करना पड़ेगा। साथ ही यह भी है कि जब हमें एक बहुत बड़े शत्रु के खिलाफ लड़ना है तो छोटे छोटे मसायल को गुडविल से, प्रेम से, सद्भावना से हम को तय करना पड़ेगा। इस लिये आवश्यक है कि वहां के हर एक मनुष्य में यह स्पिरिट पैदा की जाय कि जो राष्ट्र विरोधी तत्वों हों उन को वहां के लोग खत्म कर सकें। लेकिन इन्साफ करने के अधिकार को कभी भी फौज या पुलिस के आदमी को नहीं दिया जा सकता। दोनों के अलग अलग दिल दिमाग हैं, उनकी अलग अलग ट्रेनिंग है, दोनों के अलग अलग संस्कार हैं। इस लिये इस आदरणीय सदन से मेरी दरख्वास्त यह है कि पुलिस की या फौज को जुडीशिअरी के अख्त्यार न दिये जायें।

जहां तक इस विधेयक की स्पिरिट का ताल्लुक है, मैं सहमत हूं और मुझ से पहले जो माननीय सदस्यों ने कहा है उससे भी मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन एक मैजिस्ट्रेट के अख्त्यार मैजिस्ट्रेट के पास रहने चाहिये और पुलिस के अख्त्यार पुलिस के पास रहने चाहियें।

†**श्री जो० ना० हजारिका** (डिब्रूगढ़) : मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। क्योंकि हम आसाम राइफल्स की कार्यवाहियों को आसाम में सीमान्त क्षेत्रों में ही आसाम राइफल्स की सेवाएं नहीं बढ़ाई जाएंगी, परन्तु और कई क्षेत्रों में भी बढ़ाई जायेंगी।

आसाम राइफल्स सेना और पुलिस दोनों का काम करती हैं। अतः इस विधेयक में वर्णित शक्तियां देना उचित है। इससे आसाम राइफल्स का अनुशासन अच्छा हो जायेगा और उनकी शक्ति बढ़ जाएगी।

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)** : सब से पहले सरकार की ओर से सदन को आसाम राइफल्स द्वारा किए गए काम की प्रशंसा के लिये धन्यवाद करता हूं। आसाम राइफल्स को जब इस प्रशंसा के बारे में पता लगेगा वे भी उसे उसी भावना से समझेंगे जिस भावना से उनकी प्रशंसा यहां की गई है। निःसन्देह यह सदन हर तरीके से वर्तमान अधिनियम में परिवर्तन करने या वैसे उनकी सहायता करेगा ताकि वे अपना कठिन काम अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। कुछ सदस्यों ने सन्देह से जो बातें कही हैं उन का कारण इस विधेयक द्वारा की जाने वाले परिवर्तनों को न समझना है। दूसरा खण्ड अत्यावश्यक है। आसाम राइफल्स के जवान आज नागालैंड और नेफा में काम कर रहे हैं और कल सम्भवतः अन्य क्षेत्रों में करेंगे। अतः यह अत्यावश्यक है कि अधिनियम सारे देश पर लागू होना चाहिये। धारा १० में परिवर्तन की आवश्यकता इसलिये हुई है क्योंकि आजकल कार्यवाई कमांडेंड या असिस्टेंट कमांडेंट द्वारा स्वयं नहीं की जाती। पुराने समय में कोई कार्यवाही बिना कमांडेंट या असिस्टेंट कमांडेंट की निगरानी के नहीं होती था। आजकल कई स्थानों पर साधारण सदस्य फैल गए हैं और वे कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट के बिना कार्यवाही करते हैं। अतः उन्हें अपने उत्तरदायित्व पर कुछ आदेशों का पालन करना पड़ता है। वर्तमान अधिनियम के अधीन साधारण सिपाही को जिसे बहुत उत्तरदायित्व का काम करना पड़ता है कोई संरक्षण नहीं था।

अतः यह आवश्यक है कि कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट को जो उन्मुक्ति दी गई है वही उन्मुक्ति साधारण सिपाही को भी दी जानी चाहिये। मुझे कोई सन्देह नहीं कि जब इसे समझा जाए तो इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

हम उन्हें कौन सी सुविधाएं देना चाहते हैं। भारतीय साक्षी अधिनियम की धारा १२५ के अधीन विशेषाधिकार दिए गए हैं और पुलिस अधिनियन की धारा ४२ और ४३ जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी कमांडेंट और असिस्टेंट कयांडेंट पर लागू की गई। धारा १२५ के अनुसार किसी भी राइफलमैन से जानकारी के साधन के बारे नहीं पूछ सकते। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब अशान्त क्षेत्रों में उन्हें गोपनीय जानकारी से सम्बन्ध पड़ता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जानकारी के साधन के बारे में बताया जाए। साक्षी अधिनियम की धारा १२५ के अन्तर्गत एक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उसे जानकारी का साधन बताने के लिये मजबूर नहीं कर सकता था और उन्मुक्ति साधारण सिपाही (राइफलमैन) पर भी लागू होती है क्योंकि उसे नागालैंड जैसे अशान्त क्षेत्र में जानकारी से काम पड़ता है। कमांडेंट को जो उन्मुक्ति थी अब 'राइफलमैन' को भी वही उन्मुक्ति दी जा रही है।

उपधारा (४) के अन्तर्गत हम पुलिस अधिनियम की धारा (४२) और (४३) की उन्मुक्ति भी "राइफलमैन" पर लागू कर रहे हैं। इससे समय-सीमा नियत हो जाता है जिसके अन्दर मुकद्दमा चलाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह सब कुछ करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि अब आसाम राइफल्स की कार्यवाही इतने विशाल क्षेत्र में है कि कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट के लिये स्वयं प्रत्येक स्थान पर नहीं हो सकता और कई क्षेत्रों में साधारण 'राइफलमैन' को कमांडेंट का काम करना पड़ता है। कामों में परिवर्तन होने के कारण जो उन्मुक्तियां "कमांडेंट' और 'सब-कमांडेंट' को उपलब्ध थीं वे साधारण सिपाहियों पर भी लागू कर दी गई हैं।

धारा १०–ए में यह व्यवस्था की गई है कि 'कमांडेंट' और "असिस्टेंट कमांडेंट' जो न्याय निर्णय कर सकते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाएंगी। अधिनियम के विरुद्ध जो सेना के सदस्य कार्यवाही करें उन पर मुकदमा चलाए जाने को सेना के बाहर किए गए अपराधों से भिन्न समझना चाहिये। जो अपराध सेना के बाहर किए जाएं उन पर साधारण न्यायालयों में कार्यवाई हो सकती है। दूसरी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आने वाले अपराधों के सम्बन्ध में साधारण न्यायालय काम करेंगे। ये न्यायनिर्णयनय अधिनियम की धारायें ६ और ७ के अन्तर्गत किए गए अपराधों के सम्बन्ध में हैं, जहां कि सेना के सदस्य अनुशासनहीनता के लिये अपराधी हों। जब साधारण सिपाही आदेश मानने से इन्कार कर देता है, तो उसे उमर कैद तक की सजा मिल सकती है। ऐसे अपराधों का न्यायनिर्णयनय 'कमांडेंट' और 'सबकमांडेंट' करते हैं,। अतः हमने उसे प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की शक्ति दे दी है।

कुछ संशोधनों का अभिप्राय उन्हें न्यायालय बनाने और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मुकद्दमा सुनने के योग्य बनाना है। इसे लागू करना असम्भव होगा, क्योंकि उन्हें न्यायालयों की आवश्यक बातों का अनुसरण करना पड़ता है और उन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू होनी चाहिये।

अतः सदन से विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव की सिफारिश करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि आसाम राइफल्स अधिनियम, १९४१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सदन विधेयक के खण्डों पर चर्चा आरम्भ करेगा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : चूंकि साधारण प्रक्रिया के नियमों के नियम ७५ के अन्तर्गत खंडशः विचार उसी दिन नहीं हो सकता, जिस दिन विचार प्रस्ताव किया गया हो, अध्यक्ष को यह कहना चाहिये कि वह नियम ७५ के होते हुए भी वे खंडशः विचार की अपवाद के रूप में आज्ञा दे रहे हैं, नियम ८८ के अन्तर्गत।

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले तो माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि अध्यक्ष को स्वयं खंडशः विचार आरम्भ करने का अधिकार है। चूंकि मैंने यह शुरू कर दिया है, इसलिये कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि नियम ७५ के अन्तर्गत खंडशः विचार उसी दिन नहीं हो सकता, जिस दिन आप चर्चा हुई हो। नियम, ७५ का उन्होंने जो निर्वाचन किया है, वह ठीक नहीं है। यदि 'उसी दिन' शब्दों से कोई शंका उत्पन्न होती हो, तो नियम ८८ उसे दूर कर देता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २ (धारा १ का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३ (धारा १० क स्थान पर नई धारा रखना)

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : मैं अपने संशोधन संख्या ५ और ६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मेरा निवेदन है कि नई धारा १० के उपखण्ड (२) और उपखंड (३) में असंगति है, क्योंकि शब्द 'सक्षम' का अर्थ यह है कि वह प्राधिकार न केवल शक्तियों के मामले में सक्षम हो, बल्कि क्षेत्राधिकार के मामले में भी । उपखंड (३) में कहा गया है कि वह व्यक्ति न्यायालय या जांच प्राधिकार के सामने एक अधिपत्र या आदेश प्रस्तुत करेगा कि जो कुछ उसने किया है, वह उसने एक सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किये गये अधिपत्र या आदेश के अनुसरण में किया है । किन्तु उपखंड (३) में आगे कहा गया है कि 'क्षेत्राधिकार में त्रुटि होते हुए भी' जिसका अर्थ यह है कि वह सक्षम प्राधिकार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक राइफलमैन का सम्बन्ध है, उसका कोई दोष नहीं है । यदि उसने इस धारणा से उस आज्ञा का पालन किया है कि उसके वरिष्ट अधिकारी को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार है, तो उसे कोई दंड नहीं मिलना चाहिये, अधिपत्र में गलती होने के कारण या प्राधिकार के समक्ष न होने के कारण उसे कोई दंड नहीं मिलना चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : आप ने बिल्कुल ठीक कहा है । एक विख्यात उपबन्ध है कि उन पदाधिकारियों और व्यक्तियों को उन्मुक्ति दी जाती है, जिन्हें ऊंचे प्राधिकारियों के आदेशानुसार काम करना पड़ता है और जो अधिपत्र या आदेश पर आपत्ति नहीं उठा सकते । यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी राइफलमैन को किसी के घरेलू सामान या कृषि उपकरणों को अधिग्रहीत रखने का आदेश देता है, तो उसे उस आदेश का पालन करना पड़ता है । किन्तु जब उसे न्यायालय में धर लिया जाता है, तो उसे बिल्कुल उन्मुक्त कर दिया जाता है । इसीलिये न्यायिक पदाधिकारी अधिनियम बना हुआ है, जिसके अनुसार उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर चले जाने पर उन्मुक्ति प्राप्त होती है । श्री पटेल के संशोधनों की वास्तव में आवश्यकता नहीं है । इसी तरह 'सद्भाव' शब्द रखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई दुर्भाव से काम करेगा तो उसके पास उन्मुक्ति का संरक्षण नहीं रहेगा ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : मूल अधिनियम के खंड १० के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में, मैं, यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार का अनुभवहीन कमांडेंट या सहायक कमांडेंट को पहली श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अधिकार देना चाहती है । ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि उन्हें दंडाधिकारीय कामों का कोई अनुभव नहीं होगा । दूसरी बात यह है कि उसी व्यक्ति को पुलिस और दंडाधिकारीय शक्तियां देना उचित नहीं होगा । वर्तमान उपबन्ध सरकार को ऐसा करने से नहीं रोकता । सरकार इस सम्बन्ध में एक निश्चित आश्वासन दे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** ये शक्तियां केवल इसलिये प्रदान की जा रही हैं कि अनुशासन हीनता के मामलों तथा अधिनियम में उल्लिखित अन्य मामलों का न्यायाधिकरण किया जा सके। यह समझना गलत होगा कि उन पदाधिकारियों से भिन्न पदाधिकारी जिनके नीचे वे काम करते हैं, इन मामलों का न्यायाधिकरण अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि अधिनियम जो शक्तियां प्रदान करता है उन पदाधिकारियों को, दोष सिद्ध करने और दंड देने की, वे उचित हैं। सेना विधि न्यायालयों में जो पदाधिकारी दंड देते हैं, वे प्रशिक्षित वकील या मजिस्ट्रेट नहीं होते और वे मृत्युदंड तक दे सकते हैं। मेरे विचार में कोई आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं अपने संशोधन वापस लेना चाहूंगा।

संशोधन संख्या ५ और ६ सदन की अनुमति से वापस ले लिये गये

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री अ० कु० सेन :** प्रधान मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रत्यर्पण विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सदन प्रत्यर्पण विधेयक पर विचार आरंभ करेगा।

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) :** प्रधान मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भगौड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

इस विधेयक को पिछली संसद् ने प्रवर समिति को सौंपा था। संयुक्त समिति के सुझावों के अनुसार इसमें कुछ संशोधन किये गये हैं ये संशोधन बुनियादी नहीं हैं केवल उन अपराधों को छोड़ कर जो राष्ट्रमंडलीय देशों से सम्बन्धित थे। संयुक्त समिति के विचार में राजद्रोह के अपराध को प्रत्यर्पण अपराधों की सूची में से निकाल देना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

विधि आयोग ने अनुभव किया है कि इस देश की प्रत्यर्पण विधि में तुरन्त संशोधन करने की आवश्यकता है। अभी तक हम पर प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो अधिनियम अर्थात् प्रत्यर्पण अधिनियम और भगोड़े अपराधी अधिनियम लागू होते थे। अब यह हमारे देश पर लागू नहीं है। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि एक नया कानून बनाया जाये।

यह अधिनियम इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राष्ट्र अपराधियों के प्रत्यर्पण एक में दूसरे की सहायता करें। साथ में यह संरक्षण भी होना चाहिये कि किसी का प्रत्यर्पण केवल राजनैतिक आधारों पर न किया जाये। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है।

यद्यपि अपराध एक ही प्रकार के हैं, अधिनियम में दो अलग प्रकार की प्रक्रियाओं का उपबन्ध है, एक प्रक्रिया राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्बन्ध में और दूसरी अन्य देशों के सम्बन्ध में है। इनमें अन्तर यह है कि पूर्वोक्त मामले में इस अधिनियम के क्षेत्र में इस प्रयोजन से आने वाले मान्य राष्ट्रमंडलीय देश द्वारा जारी किये गये अधिपत्र की केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार के लिये यह अधिसूचित करना आवश्यक है कि अध्याय ३ के क्षेत्राधिकार में कौन से राष्ट्रमंडलीय देश आते हैं। ऐसा किये जाने के बाद अधिपत्र केन्द्रीय सरकार के पुष्टिकरण से लागू होगा और अध्याय में उल्लिखित जांच के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा उसका परिपालन होगा।

राष्ट्रमंडल से बाहर के देशों के सम्बन्धों में पूर्व न्यायनिर्णय तथा पूर्व प्रत्यक्ष मामले का होना आवश्यक है तथा उसके बाद ही सम्बद्ध मजिस्ट्रेट अधिपत्र जारी कर सकता है।

यह विषय लगभग अविवादास्पद है। हमने खंड ३१ मे काफी व्यवस्था कर दी है। भागे हुए अपराधी को किसी भी देश को वापिस नहीं दिया जायेगा, यदि यह सिद्ध हो जाय कि उसका अपराध राजनीतिक है। खंड ३१ (क) (ख) (ग) में स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है कि किसी को राजनीतिक अपराधों के कारण प्रत्यर्पण नहीं किया जायेगा। ३१(घ) में यह व्यवस्था यदि किसी व्यक्ति को कोई सजा दी गयी है और वह जेल में है तो जब तक उसकी सजा रिहाई अथवा अवधि समाप्त होने के कारण समाप्त नहीं हो जाती, उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। ३१(ङ) में व्यवस्था है कि दंडाधिकारी ने जेल भेजा है तो उसके १५ दिनों के बाद प्रत्यर्पण का प्रश्न उत्पन्न होगा। मतलब यह कि उसे उच्च न्यायालय में पहुंचने का पूरा अवसर दिया जाय।

मेरा निवेदन यह है कि इस क्षेत्र के लिए दो अधिनियम थे जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाप्त हो गये। अतः इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है कि इस विषय का नया कानून बनाया जाये। विधेयक का सुधार करने के लिए संयुक्त समिति के सुझावों को ले लिया गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता केन्द्रीय) : इस विधेयक को पारित करने मे शीघ्रता न की जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक को उस पर १५ अक्तूबर १९६२ तक राय जानने के लिए, परिचालित किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्यर्पण एक ऐसी चीज है कि इस सम्बन्ध में व्यापक प्रकार की विधि को पारित करने से पहले सरकार को इस विषय पर विधि आयोग के विचारों को जानना चाहिए था। सदन को बताया जाना चाहिए कि क्या आयोग को इस विषय पर किसी प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था इसे प्रवर समिति के पास भेजने पर भी सरकार बड़ी कठिनता से सहमत हुई थी। प्रवर समिति ने, अच्छा काम किया है। जो विधेयक प्रस्तुत है इसे सरल, सीधा अथवा अविवादास्पद नहीं कहा जा सकता, जैसा कि विधि मंत्री ने कहा है। कई बातें हैं जिनसे बहुत से सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं। इसलिए तो मेरा सुझाव है कि इस पर और अधिक विचार किया जाना चाहिए।

विधि आयोग का विचार है कि प्रत्यर्पण विधेयक को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। विधि आयोग ने अपने पांचवें प्रतिवेदन मे यह बात विशेष रूप से कही है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि हमें इस प्रकार के प्रत्यर्पण कानून को पारित करते समय राजनीतिक पीड़ितों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों की उन्मुक्ति का अधिक से अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। राजनीतिक अपराधों के सम्बन्ध में प्रत्यर्पण कानून नहीं लागू किया जाना चाहिए। इस सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में उसे स्वीकार किया गया है। हमे इस बात को इसलिए भी स्वीकार करना है क्योंकि हमें अपने गुलामी के दिन याद हैं। हमे इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि ब्रिटिश राज के दिनों में राजनीतिक अपराधियों के रूप में हमें क्या क्या दुःख उठाने पड़े थे। अतः मेरा निवेदन है कि इस मामले मे सरकार को काफी स्पष्ट तनिक स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक का अध्याय ३ को बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिए तथा राष्ट्रमंडलीय देशों तथा अन्य देशों से जो भेदभाव किया जाता है उसे भी हटाया जाना चाहिए। इससे कई बार अपराधों की दो अलग अलग सूचियां बनानी पड़ती थीं। इस बारे में प्रवर समिति के मत को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। यहां तक कि कलकत्ता के दैनिक 'स्टेट्समैन' ने भी अपने २६ जून, १९६२ के अंक में इस भेदभाव को हटा देने की बात कही। उसने कहा कि इस मामले मे हमें सबको एक जैसा समझना चाहिए।

मेरा यह भी कहना है कि दूसरी अनुसूची में सर्वत्र लागू होने वाला उपबन्ध जो कि प्रत्यर्पण योग्य अपराधों की अनुसूची के विस्तार के बारे में है, अनावश्यक है। मैं भी अनुरोध करूंगा कि विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। इसे पारित करने से पूर्व विधि विशारदों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरा मत यह है कि मामला सरल नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैंने विधेयक पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और श्री ही० ना० मुकर्जी का भाषण भी ध्यान से सुना है। उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से इस विधान की कमियों को बताया है। मेरा मत यह है कि इस कानून को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे अपने पड़ोसी देशों से सम्बन्ध अच्छे हों। उन देशों की सद्भावना और सूझ बूझ से ही इस मामले में काम चल सकता है। पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है। राष्ट्रमंडलीय देश होता हुआ भी उसने हमारी इच्छाओं की कभी चिन्ता नहीं की। भूपत डाकू पाकिस्तान भाग गया, उसे आज तक वापिस नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

खंड २(३) में प्रत्यर्पण सन्धि की जो परिभाषा की गयी है वह बहुत ही अजीब है। उसमें निश्चित रूप में कोई बात ही नहीं कही गयी। इस पर जो कई प्रकार की प्रतिक्रियायें हुई हैं उसकी ओर सरकार का ध्यान श्री ही० ना० मुकर्जी ने आकृष्ट करवाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात की पूरी जांच करे और इस बात का पता लगाये कि भारत में ब्रिटिश सरकार के समय की की गयी सन्धियां तथा दायित्व हम पर कहां तक लागू हैं और उसे किस सीमा तक उन्हें मान्यता देनी चाहिए।

इसी प्रकार राष्ट्रमंडलीय देशों तथा अन्य देशों से भेदभाव का प्रश्न है, मेरे विचार में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन हमारा राष्ट्रमंडलीय देश है और हमारे उससे सम्बन्ध भी मैत्रीपूर्ण हैं परन्तु फिर भी फीजो को हमें वापस न कर उसे ब्रिटिश नागरिकता दे दी।

खंड ३१ (क) में जो व्यवस्था की गयी है कि राजनीतिक अपराधों वाले भगोड़े अपराधियो को सौंप दिया जाय, वह स्वागत योग्य बात है। परन्तु इस सम्बन्ध में हमें बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक अपराधों तथा देशद्रोह सम्बन्धी अपराधों की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए।

इसी प्रकार खंड ३१ (ख) में की गयी व्यवस्था भी उचित मालूम नहीं होती। मेरा मत यह है कि इसमें उपबन्धित दण्डनीय अपराधों के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए समय सीमा का लागू करना उचित बात नहीं है। मेरे विचार में इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था शायद किसी भी देश के विधान में नहीं है। दण्डनीय अपराधों मे राष्ट्रमंडलीय देशों तथा अन्य देशों का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसका कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार दूसरी अनुसूची की मद संख्या १८ के अन्तर्गत समूचे प्राधिकार के प्राप्त करने की जो चेष्टा की गयी है, वह वांछनीय नहीं कही जा सकती।

विधेयक के बहुत से उपबन्धों में काफी दोष है। सन्देह नहीं कि इसका प्रारूप बहुत जल्दी में तैयार किया गया है। इस पर बड़ी सावधानी से विचार करने की जरूरत है क्योंकि इसका सम्बन्ध लोगों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से है। मैं श्री मुकर्जी का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को जनमत के लिये परिचालित किया जाय। सदन में इस पर विचार करने पूर्व सरकार को इस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार कर लेना चाहिए।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : श्री ही० ना० मुकर्जी चाहते हैं कि यह विधान अपने आप में पूर्ण हो। पूर्ण तो कोई विधान होता नहीं। हम अपने अनुभव से सीखते और विधान में सुधार करते चलते हैं। इसलिये इसे पूर्ण बनाने की मुहार मचाना व्यर्थ है।

इस विधेयक की राय जानने के लिये परिचालित करने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश लोग समझ ही नहीं पायेंगे कि इसमें है क्या।

माननीय सदस्य यह भूल गये हैं कि इस विधेयक का सार पारस्परिकता में है। राज्यों के साथ हमारे संबंध पारस्परिकता पर आधारित होंगे। हम अन्य देशों के अपराधियों के साथ वही वर्ताव करेंगे जो वे हमारे देश के अपराधियों के साथ करेंगे। इसलिये किसी देश के साथ कोई विशेष पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रजी में

पारस्परिकता का आधार एक बड़ा स्वस्थ आधार है ।

१५ अगस्त, १६४७ से पहले जिन देशों के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधियां थीं, उनकी सूची बड़ी लम्बी है । इस बीच उनमें से कई देशों की सरकारों की प्रणाली तक बदल चुकी है । उनके उद्देश्य और मूल्यमान बदल चुके हैं । उनमे से कुछ की दंड संहितायें भी बदल चुकी हैं ।

फिर उन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां बनाये रखना कहां तक हमारे देश के हित में है ? विधि मंत्रालय इस मामले में सतर्कता नहीं बरत रहा है ।

चैकोस्लोवाकिया के साथ भी हमारी प्रत्यर्पण संधी है । पर वहां तो अपराध की परिभाषा ही बदल गई है । क्यूबा, स्पेन और थाईलैंड, इत्यादि का राजनीतिक प्रणाली बिलकुल ही बदल चुकी है ।

मैं पूछता हूं कि विधि मंत्री पुरानी परम्पराओं से ही चिपके रहना चाहते हैं या परिस्थिति के अनुसार चलना चाहते हैं ? उनको उन देशों की प्रत्यर्पण संबंधी विधियों का अध्ययन करना चाहिये और उसके संबंध में सभा पटल पर जल्द से जल्द एक विवरण रखना चाहिये । उस विवरण में बतलाया जाना चाहिये कि उन देशों में बनी नयी विधियों का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

प्रोफेसर मुकर्जी राष्ट्रमण्डलीय सबंधों में विश्वास नहीं करते, पर मैं करता हूं । मैं चाहता हूं कि राष्ट्रमंडलीय देशों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाये । और उनके साथ हमारे संबंध भी रहने चाहिये ।

हमने किसी भी देश के अपराधियों को अपने यहां शरण नहीं दी है । लेकिन हमारे यहां के अनेकों अपराधी पाकिस्तान में शरण पाये हुये हैं । भूपत का मामला तो समाचारपत्रों में आ चुका है । कई लोग भारत में अपराध करके पाकिस्तान भाग जाते हैं । इंगलैंड ने फिजो को शरण ही नहीं दे रखी, बल्कि उसे इंगलैंड की नागरिकता तक दे दी है ।

इसीलिये मैं कहता हूं कि पहले की प्रत्यर्पण संधियां अब बेमानी हो चुकी हैं । आशा है कि इस प्रत्यर्पण विधेयक के पारित होने पर पारस्परिकता के आधार पर संधियां होने पर कुछ परिवर्तन आयेगा । भारतीय जनता को इस बात का बड़ा दुःख है कि भारत में अपराध करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रमण्डलीय देश भी शरण दे देते हैं ।

द्वितीय अनुसूची बड़ी विस्तृत और व्यापक है । उसमें अपहरण, डकैती, इत्यादि जैसे सभी असामाजिक अपराधों को सम्मिलित किया गया है । महिलाओं और बालिकाओं के अनैतिक पण्य की समस्या सारे संसार के सामने है । इसे भी द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, और यह अच्छी बात है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने खण्ड ३१, विशेषकर ३१ (क) पर आपत्ति की है । खंड ३१ के सभी उपखण्ड मानवीयता से संबंधित हैं । वे इस बात की गारंटी के रूप में हैं कि प्रत्यर्पण अधिनियम को गलत ढंग से लागू नहीं किया जायेगा ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुये]

प्रत्यर्पण से बहुत पहले किये गये अपराधों के लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । इस व्यवस्था से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा होगी । विधेयक के खंड ३१(क) में व्यवस्था है कि यदि अपराध राजनीतिक हो, तो अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं किया जायेगा । राजनीतिक अपराध को स्पष्ट रूप से पारिभाषित न करना ही अच्छा है ।

[श्री दी० चं० शर्मा]

इसमें सुधार की गुंजाइश है और हम अनुभव प्राप्त करने के साथ साथ इसमें सुधार करते जायेंगे। आशा है कि सभा इसका अनुमोदन करेगी।

†**श्री गौरी शंकर** (फतेहपुर) : मैं श्री मुकर्जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

१५ अगस्त, १९४७ से पहले जिन देशों के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधियां थीं, अब उनमें से अनेक की परिस्थितियां बिलकुल बदल चुकी हैं। इसलिये इस विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित करना जरूरी है।

श्री दी० चं० शर्मा ने सही कहा है कि इसका आधार पारस्परिकता है, लेकिन हम ऐसे देशों के साथ पारस्परिक संबंध नहीं रख सकते, जिनका व्यवहार हमारे साथ मैत्रीपूर्ण नहीं है।

ऐसे अनेक असामाजिक अपराध हैं, जिनको इस विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है। विदेशी मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करने की कार्यवाही को रोका जाना चाहिये।

यह भी सही है कि यदि खण्ड ३१ की व्यवस्थाओं को इसी रूप में रहने दिया जायेगा, तो बाद में हानि होने की संभावना है। इसलिये इस विधेयक में भारी परिवर्तन करने पड़ेंगे। उसके लिये जनता की राय जानना जरूरी है।

यदि हम इसमें जल्दबाजी करेंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति बिलकुल बदल चुकी है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि हमारी पारस्परिकता उन्हीं देशों के साथ रहे, जिनके साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। हमें इस पहलू पर विचार करना पड़ेगा।

मैं इसीलिये इस विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधाना) : यह एक अत्यन्त आवश्यक विधेयक है। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। श्री ही० ना० मुकर्जी और अन्य माननीय सदस्यों ने इसके बारे में जो कठिनाइयां बतलाई हैं, वे मेरी समझ में नहीं आईं। शांति और व्यवस्था के लिये ऐसी संधियां अत्यावश्यक हैं। उदाहरण के लिये यदि पाकिस्तान और भारत के बीच ऐसी संधि नहीं होगी, तो एक देश के अपराधी भागकर दूसरे देश में पहुंच जायेंगे, और तब दोनों देशों में शांति नहीं रह सकेगा।

विभिन्न देशों के बीच ऐसी प्रत्यर्पण संधियां होनी चाहियें कि यदि एक देश के अपराधी भागकर दूसरे देश में जायें, तो उनका प्रत्यर्पण कर दिया जायेगा, उनको उनके देश को सौंप दिया जायेगा।

देश में आंतरिक शांति रखना सबसे अधिक महत्पूर्ण है। इसीलिये हमने इस विधान की आवश्यकता महसूस की थी और उसे तीन विभिन्न अधिनियमों द्वारा कार्यान्वित किया था। अब चूंकि परिस्थिति काफी बदल चुकी है, इसीलिये नये विधान की जरूरत पड़ी र।

विधि का स्वरूप प्राकृतिक न्याय के आधार पर परिस्थितियों के साथ साथ बदलता चलता है। परिवर्तनशीलता एक बुनियादी चीज है।

मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसे राय जानने के लिये परिचालित करना अनावश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मा० श्री अणे** (नागपुर) : इस विधेयक द्वारा कोई नयी विधि नहीं बनाई जा रही है। पहले से मौजूद विधियों को समेकित किया जा रहा है।

इस विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित करने या प्रवर समिति को सौंपने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि इस विधेयक पर गम्भीरता से विचार किया जाये। अब स्वतंत्र देश को एक समेकित प्रत्यर्पण विधेयक की नितांत आवश्यकता है। १९४७ के बाद से अब परिस्थितियां बिलकुल बदल चुकी हैं। अब हम संसार के सभी देशों के अधिक नजदीकी सम्पर्क में आ गये हैं। इसलिये अन्य देशों के अपराधियों को हमारे यहां और हमारे देश के अपराधियों को अन्य देशों में जाने की अधिक सुविधायें हो गई हैं। इसलिये एक सर्वथा अद्यतम प्रत्यर्पण विधान की बड़ी आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अपना अस्तित्व बनाये रखने के इच्छुक देश के लिये प्रत्यर्पण विधि बिलकुल जरूरी है। इसलिये हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रमण्लीय देशों और अन्य देशों में कोई विभेद किया जाये। मैं चाहता हूं कि सभी देशों के साथ हमारे संबंध समानता और मैत्री पर आधारित रहे। राष्ट्रमण्डल के देशों के साथ हमारा हाल का अनुभव कोई खास अच्छा नहीं रहा र।

प्रत्यर्पण विधि की वास्तविक सफलता अन्य राष्ट्रों के साथ प्रत्यर्पण संधियां करने में ही है। ये संधियां हमें पारस्परिकता के आधार पर करनी पड़ेंगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री यमुना प्रसाद मण्डल (जयनगर) : सभापति महोदय, सदन के महान नेता ने जो बिल यहां पेश किया है, सचमुच में यह बड़ी दूरदर्शिता का द्योतक है। दूरदर्शिता तथा विश्वबन्धुत्व की भावना का यह तकाजा था कि इस तरह के किसी बिल को यहां लाया जाता और उसको पास करवाया जाता। बहुत ही उपयुक्त समय पर इस बिल को इस सदन में उपस्थित किया गया है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारा निकटस्थ मित्र देश नेपाल है। उसकी सीमा हमारे देश से सटे हुये हैं, उस देश की सीमायें, हमारे देश से मिलती हैं। देखने में आता है कि वहां के लोग दिन दहाड़े खून खराबी करते हैं और इधर आकर छिप जाते हैं। कोई कानून ऐसा नहीं है कि जल्दी ही आप ऐसे अपराधियों को उस देश को सौंप सकें। हमारे संबंध नेपाल से बहुत अच्छे हैं। हमारी महत्वपूर्ण नदी घाटी योजनायें वहां उस देश में चल रही हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो उसका असर जरूर पड़ता है। ऐसा भी सुना जाता है कि एकाध अपराधी इधर से भी अपराध करने उधर चला जाता है और कई तरह के अपराध करके वापिस आ जाते हैं। इस वास्ते यह बहुत जरूरी था कि इस तरह के बिल को सदन के सामने पेश किया जाता और पास किया जाता।

हमारे देश के महान नेता ने जो यह बिल पेश किया है, इसे सारे देश की हार्दिक सहमति मिलनी चाहिये। इस बिल को लाने की आवश्यकता इसलिये और भी महसूस की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि भारत एक गणतंत्र बनने के साथ साथ भागे हुये अपराधी अधिनियम, १८८१ उस पर लागू होना बाद हो गया है। ये बातें इस विधेयक के आबजैक्टस एण्ड रीजंज में लिखी हुई हैं। यह एक स्पेसिफिक केस है। इसको देखते हुये भी यह जरूरी हो जाता है कि इसे बिल को पास किया जाये और सारे देश का इस बिल को हार्दिक समर्थन प्राप्त हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यमुना प्रसाद भण्डल]

मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं जहां पर नेपाल और भारत की सीमायें एक दूसरे को छूती हैं और एक देश के लिये दूसरे देश के अपराधियों को जोकि दफा ३०२ (खून और दफा ३९५ में वर्णित अपराध भी करते हैं, सौंपना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते हमारे देश के महान नेता ने जो बिल पेश किया है, उसे हमें एक मत से पास कर देना चाहिये।

यह भी कहा जाता है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाये और उक्त समिति रिपोर्ट देने के लिये कहा जाये। लेकिन हमारे महान नेता ने तो इसमें पहले ही लिख दिया कि विधेयक एक सयुक्त समिति को सौंपा गया था और उसने अपना प्रतिवेदन भी दिया था।

इसलिये यह अब जरूरी नहीं है कि इसको किसी सिलैक्ट कमेटी के पास भेजा जाये।

इस में जो धारा ३१ रखी गई है, वह बड़ी सुन्दर है। अगर कोई देशभक्त अपने देश में कोई राजनीतिक काम करता है या अपने देश की स्वतंत्रता के लिये लड़ता है और वह यहां आकर शरण लेता है तो उसको प्रत्यर्पण नहीं किया जाये। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक ढंग अपराधी को प्रत्यर्पण नहीं किया जायेगा। इसकी बहुत सी धारायें समीचीन हैं, समय के अनुसार हैं। जिस तरह से विश्व के कई देशों में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही हैं, उस स्वतंत्रता के अभियान में अगर देश-भक्त लोग किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेते है तो वह एक जायज काम होता है।

इन सब बातों को देखते हुये इस महान सदन को अब बिना इस पर कोई ज्यादा वक्त लिये इस बिल का पूरा समर्थन करना चाहिये और इसीलिये मैं भी इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : माननीय सदस्यों ने इस पर मुख्य आपत्ति यह उठाई है कि ये संधियां १९४७ से पहले की गई थीं और तब से अब तक परिस्थिति काफी बदल चुकी है। लेकिन मुझे इस आपत्ति में कोई सार नहीं दिखता क्योंकि खंड३(३) में व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार इन संधियों में अपेक्षित रूपभेद कर सकती है। इसलिये इस अधिक दिनों तक विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है।

खंड१२(१) में व्यवस्था हैं कि यदि भारत सरकार की इच्छा न हो, तो किसी राष्ट्रमंडलीय देश पर इसे लागू करना आवश्यक नहीं होगा।

मेरा ख्याल है कि इस तरह श्री मुकर्जी और श्री हेम बरूआ की आपत्तियां कट जाती है।

द्वितीय अनुसूची में चोरी और अपहरण भी शामिल है।

प्रत्यर्पण अधिनियम की व्यवस्थायें संसार के सभी देशों द्वारा अपनाई जानी चाहियें।

मैं इस विधयक का समर्थन करती हूं।

†**श्री लहरी सिंह** (रोहतक) : यह तो निर्विवाद है कि इस प्रत्यर्पण विधेयक को पारित जाना चाहिये। लेकिन राष्ट्रमंडलीय देशों के भागकर आये हुये अपराधियों और अन्य देशों के अपराधियों में विभेद किया जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था खण्ड ११ में मौजुद है। लेकिन इस प्रकार का विभेद राजनीतिक प्रकार का होगा। ऐसा विभेद नहीं किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ७ की व्यवस्थायें स्पष्ट नहीं हैं । एक ओर तो कहा गया है कि विधेयक राष्ट्रमण्डलीय देशों के अतिरिक्त अन्य देशों पर लागू होगा और दूसरी ओर मजिस्ट्रेट को राष्ट्रमण्डलीय देशों के अपराधियों के मामलों में साक्ष्य लेने की शक्ति दी गई है ।

मेरा अनुरोध है कि खंड ११ में जिस विधेयक की व्यवस्था की गई है, उसे हटा देना चाहिये ।

खंड ३१ में जो अस्पष्टता है वह दूर की जानी चाहिये । यह खंड राजनैतिक अपराधों से सम्बन्धित है, व्यक्ति को न्यायालय को सन्तुष्ट करने के लिये साक्ष्य देने की अनुमति दी जानी चाहिये । इस संबंध में जो अस्पष्टता ह वह दूर की जानी चाहिये ।

†**श्री कुं० कृ० वर्मा** (सुल्तानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो आज इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत है, इसकी आवश्यकता थी । इसमें कोई शक नहीं कि जो पुराने कानून बने थे उनका निफाज रहना मुश्किल है, और, जैसा कि इस बिल में बताया गया हैं, हाइएस्ट ला कोर्टस से भी वह चीज आबसोलीट हो गयी है और लागू नहीं समझी जा सकती । ऐसी हालत में यह कहना कि इस बिल को जल्दी लाया गया है या इसको पबलिक की राय जानने के लिये सरकुलेट किया जाना चाहिये ठीक नहीं हैं । मैं समझता हूं कि इसमें देर कहना ठीक नहीं है और ज्यादा उचित यही होगा कि इस बिल को हम पास करें । इसमें अगर कोई संशोधन या सुधार करना है तो हम इस समय वैसा कर सकते हैं । लेकिन इसमें देरी करना उचित नहीं है ।

दूसरो चीज डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कही गयी । यह कहा गया कि हम कामन वैल्थ कन्ट्रीज और दूसरे कंट्रीज के बीच डिस्क्रिमिनेशन करते है। एक ही जर्म हैं लेकिन हम दूसरे दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं । जितने पूर्व वक्ता बोले है उन्होंने यह स्वीकार किया हैं कि एक्स्ट्रेडीशन ऐक्ट का एक आधार लेन देन, रेसीप्रोसिटी या गिव एंड टेक ही हो सकता है । जब यह बात स्वीकार की जाती है तो मेरी समझ में दूसरे देशों के संबंध में जो कानून बनाया जाये उसमें रेसीप्रोसिटी के सिवा और कोई आधार नहीं रखा जा सकता । ऐसी हालत में हमको कामनवैल्थ देशों के नागरिकों को और दूसरे देशों के नागरिकों को जिनसे हमारी ट्रीटी होगी वे ही सुविधायें देनी होंगी जो कि हम चाहते है कि हमारे देश के नागरिकों को उन देशों में मिलें । इस बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । और इस बात पर यह कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है । क्या यहां के लोग यह चाहते है कि हमरे देश के नागरिकों को अन्य देशों में न्यायसंगत सुविधायें मिलें । अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को न्यायसंगत सुविधायें मिलें तब तो हम भिन्न भिन्न तरह के कानून बना सकते हैं । लेकिन अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हमको यकसां कानुन बनाना चाहिये । इसलिये यह बात उचित है कि हम इस मामले में कामन वैल्थ कंट्रीज के लिये एक तरह से सोचें और जो दूसरे फारिन कंट्रीज हैं उनके लिये दूसरे तरीके से सोचें ।

मैं समझता हूं कि क्लाज २ के सब क्लाज डी में जो डेफीनीशन दी गयी है एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी की उसके आधार पर शक जाहिर किये जाते हैं और डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जाती हैं । उसमें जो कुछ कहा गया हैं उसका आशय है :

> "प्रत्यर्पण संधि उस संधि को कहते है जो भारत तथा विदेशों के बीच भागे हुये अपराधियों के प्रत्यर्पण के संबंध में १५ अगस्त से पहिले की गयी थी और जिसे मानने के लिये भारत बाध्य है ।"

हम लोगों के लिये एक सेफगार्ड तो इसी डफीनीशन में मौजूद हैं और हमेशा यह देखना होगा कि वह ट्रीटी इंडिया पर बाइंडिग हैं या नहीं । लेकिन एक मजीद सेफगार्ड और इस बिल में रखा गया है कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कुं० कृ० वर्मा]

सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गयी हैं कि वह अपने नोटीफाइड आर्डर में इसकी व्यवस्था कर सकती हैं। क्लाज ३ की धारा २ और ३ में जो कुछ कहा गया हैं उसका आशय यह है :

(२) तथापि केन्द्रीय सरकार उसी अथवा अन्य अधिसूचित आदेश द्वारा आदेश में उल्लिखित क्षेत्र में, इसे अमल में लाने से रोक सकती है।

(३) यदि अधिसूचित आदेश किसी ऐसे देश से संबंध रखता है जिसके साथ पृथक संधि हुई है तो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम में ऐसे रूपभेद और परिवर्तन कर सकती हैं जो संधि को लागू करने के लिये आवश्यक होंगे।

इसमें मैं यह समझता हूं कि जो शुबहात सेक्शन २ क्लाज डी के बाबत उठाये गये है उन का हल सेक्शन ३ में काफी दिया हुआ है। इसके होते हुये मैं नहीं समझता कि उन शुबहात को कोई आवश्यकता है और न कोई वजह हो सकती है और न हो वह आधार हो सकता है इस बात के लिये कि यह बिल पबलिक ओपीनियन एलिसिट करने के लिये घुमाया जाय।

इसके अलावा एक बात और भी कही गई। शर्मा जी ने शायद उसको कहा कि ट्रीटी स्टेट की एक लौंग लिस्ट है और यह कि जब वह ऐक्सट्रेडीशन ट्रीटी की गई थी उस वक्त में वहां की गवर्नमेंट का सेट अप वहां की गवर्नमेंट का ढांचा दूसरा था जबकि इस वक्त वह तमाम बदल गया है। ठीक है बदल गया हैं। वहां भी बदल गया है और यहां भी बदल गया है। लेकिन किसी देश का स्ट्रक्चर बदल गया हो और गवर्नमेंट वहा की बदल गयी हो इस हम लोगों से क्या संबंध ? हमें तो यह देखना है कि अगर उनके साथ में कोई ट्रीटी हुई हैं और वह औनर करने जा रहे है तो हम भी औनर कर सकते हैं। सवाल यह है कि जो एक्सट्रेडीशन ट्रीटी उनके साथ में हुई हैं वह कुछ रसी-प्रोक्ल चीज हैं कि नहीं। अगर वहां पर हमरा कोई सिटीजन किसी मुसीबत में मुब्तिला होता है, कोई औफेंस करता हैं अथवा कोई बात करता हैं तो उस ऐक्सट्रडेईन ट्रीटी के मुताबिक अगर वहां की गवर्नमेंट एकदम से बदल गयी हो बिलकुल चेंज हो गयी हो लेकिन वह उसको औनर करती है और उसके मुताबिक वह चलती हैं और हमारे सिटीजन को वह सुविधायें, राइट्स और प्रिवलेजेज देती हैं तो क्या हर्ज हैं उसका करेक्टर बदला करे। हम वह सुविधा और वह प्रिविलेजेज उनके सिटीजंस को यहां देने के लिये तैयार है। और जैसे कि अभी बताया गया कि सैक्शन ३ मे इसका काफी प्राविजन किया गया हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब बातों पर सोच विचार कर सकती हैं। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता हू कि वह लौंग लिस्ट होने से या वहां की गवर्नमेंट का करेक्टर चेंज होने की वजह से कोई फर्क इस बात में आता हैं। मेरी समझ में यह कोई सिगनीफिकेंस की चीज नहीं है कोई बहुत एम्पार्टेंस की चीज नहीं है और उसकी वजह से यह नहीं कहा जा सकता है कि इस बिल के पास करने में कोई दिक्कत है या इसको सरकुलेट करना जरूरी है।

माननीय बरूआ जी ने सक्शन ३१ क्लाज बी इसको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने यह बात बतलाई कि क्रिमिनल ऐक्ट का प्रोसीक्यूशन कहां बार्ड होता है ? उसके लिये तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब चाहे उस औफेंस के लिये कोई भी शख्स ट्राई किया जा सकता है। यह कहां है कि ऐसे औफेंसेज का ट्रायल बार्ड है ? अब इसके बार में मुझे बड़े अदब के साथ कहना पड़ता है कि अभी अभी हमी ने यह आसाम राइफल्स अमेंडमेंट बिल पास किया है। इसमें क्लाज ३ के अनुसार जो हम लोगों ने नया सेक्शन १० बनाया है उसका आशय इस प्रकार है :—

(४) किसी अन्य विधि में, किसी बात के रहते हुये भी यदि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उपनियम के अमल में आने के प्रयोजन से, किसी

कमान्डेंट या सहायक कमांडेंट के विरुद्ध कोई कानुनी कार्यवाही की जायेगी, वह उस कार्यवाही होने के तीन महीने के अन्दर हो की जा सकेगी।"

अभी हम हो लोगों ने एक ला यहां पर पास किया है कि अगर वह थ्री मंथ्स ऐक्सपायर हो जायं तो आप उसका ट्रायल नहीं कर सकते हैं। आपज कोई भी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। इस किस्म की चीजें और देशों में भी हो सकती हैं और मैं वह नहीं समझता हूं कि बरूवा जी ने सभी देशों के ऐक्ट्स को स्टडी किया है और उसकी बिना पर उन्होंने यह रिमार्कस किये। ऐसी चीजें हो सकती है जिनमें कि मैं समझता हूं कि किसी क्रिमिन ऐक्ट का ट्रायल बार्ड हो और अगर यहां इसमें वह प्राविजन रक्खा गया है तो हमार जो ला गिवर्स है और जिन्होंने कि इस बिल को फ्रम किया है वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कोई छोटा सा भी लैकुना नहीं छोड़ा और इस प्राविजन को भी उन्होंने इसमें रक्खा।

अभी एक माननीय वक्ता ने सक्शन ७ और सक्शन ११ में कनफिलक्ट बताया है तथापि चैप्टर ३ जो कौमनवेल्थ के फ्युगिटिव क्रिमिनल्स होंगे उनके लिये एक दूसरा प्रोसीज्योर दिया गया है। चप्टर ३ में फ्युगटिव क्रिमिनल्स वगैरह के लिये जब अलग सेजएक प्रोसीज्योर दिया हुआ है तो सैक्शन ७ का प्रोसीज्योर तो उस प्रोसीज्योर के खिलाफ है। चेप्टर २ में जो क्लाज १४ मे है उसमें वह चोज दो हुई है कि फ्युगटिव क्रिमिनल्स जो वहः के होंगे उनके लिय कोई वारंट वगैरह आता है तो इनडोर्समेंट हो जाहै से उनको गिरफ्तार वगैरह किया जा सकता है। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि इस सक्शन ७ के क्लाज २ और सैक्शन ११ में कोई कनफिलक्ट नहीं है, बल्कि सेक्शन ११ पोजीशन को और क्लरीफाई करता है जोकि इस बिल का प्रिंसिपल है कि कौमनवेल्थ कंट्रोज के जो फ्युगटिव क्रिमिनल्स होंगे उनके साथ में क्या व्यवहार होगा उनके खिलाफ किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे जिन कौमनवेल्थ कंट्रीज के साथ हमारी ट्रीटी नहीं हैं या फौरन कंट्रीज क हैं मैं उनके साथ क्या प्रोसीज्योर होगा किस तरीके से हम ट्रीटी करेंगे वह दोनों प्रोसीज्योर बिलकुल अलग अलग बतलाये गये हैं। सक्शन ७ से यदि किसी चोज का डाउट पदा होता था तो सेक्शन ११ उसको और क्लेरीफाई करता है और उसको कंट्रोल करता हैं बजाय इसके कि उनमें कोई कनफिलक्ट हो। एसी दशा में मैं समझता हूं कि जो शुबहात उठाये गये हैं या जो कंट्राडिक्शस दिखलाये गये हैं दरअसल वह काई कंट्रडिकंशस नहीं है और उस बारे में काई शूबहा करने की जरूरत नहीं है। हमारा बिल सेल्फ सफिलिएन्ट है और कम्पलीट इन इटेसल्फ है और इस के पास करने में मेरी समझ में काई दिक्कत नहीं हानी चाहिये। जैसा कि अभी एक वक्ता ने वताया है, यह जरूर है कि जिस वक्त सेन्ट्रल गवर्नमेंट सक्शन ३ के मुताबिक अपने आर्डर्ज पास करे, उस वक्त काफी एहतियात ली जाये और ऐसा नहीं हाना चहिये कि उन आर्डर्ज की वजह से हम किसी दिक्कत में पड़ जायें, किसी फारेन स्टेट या कामनवैल्थ कंट्री से हमारे ताल्लूकात खराब हो जायें या हमारे सिटिजन्ज को, अगर वे किसी ऐसी बात में मूबतिला हों, कोई दिक्कत हो, या उन को किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। मैं समझता हूं हम यह कानून सिर्फ यहाँ पर रहने वाल दूसरे कंट्रीज के सिटिजन्ज के लिये ही नहीं बना रहे हैं, यह खाली उन्हीं से सम्बन्ध नहीं रखता है, बल्कि जैसा कि बताया गया ह, इस में गिव एन्ड टेक का मामला आता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे सिटिजन्ज का भी सम्बन्ध इस से है और उन के राइट्स और प्रविलेजिज का प्राटक्ट करने के लिये यह जरूरी है कि इस बिल को जल्द से जल्द पास किया जाये, ताकि उन का काई तकलीफ न हाने पाये।

†**श्री अ० कु० सेन :** मूझे इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि श्री ही० ना० मूकर्जी ने साम्यवादी दल की ओर से बालते हुए इस प्रस्ताव का विराध किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक जनमत

†मूल अंग्रेजीमें

जानने के लिये परिचालित किया जाये। यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया था श्री ही० ना० मुकर्जी उस के सदस्य थे। संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सर्व सम्मत था। संयुक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर ही विधेयक में परिवर्तन किये गये। समिति ने यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रमंडलीय देशों के लिये अपराधों की एक पृथक सूची नहीं होनी चाहिये। उस सूची में देश द्रोह एवं जलदस्युता के अपराध शामिल थे। संयुक्त समिति में इस विधेयक को भेजते समय भी मेरा व्यक्तिगत मत था कि प्रत्यर्पण सूची में देशद्रोह का अपराध नहीं होना चाहिये क्योंकि इस शब्द के बहुत व्यापक अर्थ हाते हैं। इसलिये पृथक सूचियाँ बिल्कुल हटा दी गयीं और इन में देशद्रोह और जलदस्युता का काई उल्लेख नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अपराधों के समान होने पर भी राष्ट्रमंडलीय देशों और अन्य देशों के बीच प्रक्रिया संबंधी अन्तर रहेगा। इस का कारण ऐतिहासिक स्थितियाँ हैं। सभी राष्ट्रमंडलीय देशों में यह प्रथा है कि सर्वप्रथम प्रत्यर्पण के लिये प्रार्थी देश द्वारा जारी किये गये वारन्ट का पृष्टाँकन किया जाता है, जब कि राँष्ट्रमंडलेतर देशों में कोई वारन्ट जारी नहीं किया जाता है। उन देशों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचना दिये जाने पर मजिस्ट्रेट जाँच आरम्भ करता है। और उपरिदृष्टि से मामला सिद्ध हो जाने पर मजिस्ट्रेट वारन्ट जारी कर देता है। इस पर भी केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। तथापि अधिनियम में इस प्रकार का कोई अन्तर नहीं रखा गया है। अपराध वही है तथा उन की जाँच करना एक संविहित आवश्यकता है। तथा दोनों ही मामलों में आदेश देने के पूर्व मजिस्ट्रेट इस बात की तसल्ली कर लेता है कि प्रत्यर्पण अपराध सिद्ध हो चुका है और यह अपराध उस अनुसूची के अन्दर आता है जो कि सभी देशों के लिये एक ही है।

तथापि यह आवश्यक है कि अपराध होने पर प्रत्यर्पण हो ही जायें। इस बात का उल्लेख संधि में किया जायेगा। इस के अतिरिक्त एक और भी परित्राण रखा गया है वह यह है कि इस अधिनियम को राष्ट्रमंडलीय अथवा अराष्ट्रमंडलीय देशों में लागू पर करने पर भारत सरकार को यह शक्ति दी गयी है कि वह इस का उपयोग आवश्यकतानूसार रूपभेद एवं परिवर्तन के साथ इसे लागु कर सकती है। खंद ३ उपखंड ३ग में यह कहा गया है। खंड १२(२) में भी यही बात कही गयी है। अतः इस संबंध में पहिली आवश्यकता संधि की है। सरकार को यह शक्ति दी गयी है कि वह इस अधिनियम के अनूसार संधि को लागू करने का प्रयोजन से इच्छानूसार रूप भेद कर सकती है। यही बात राष्ट्र-मंडलीय देशों के लिये भी लागू होती है।

एक अग्रेतर परित्राण यह रखा गया है कि एक मामले में जो राजनयिक प्रतिनिधि के द्वारा सूचना दिये जाने पर और दूसरे मामले में किसी भी राष्ट्रमंडलीय देश द्वारा वारंट जारी होने पर जाँच आरम्भ हो जायेगी। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन सभी संभव परित्राण रखे गये हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादिता को समाप्त करने के लिये जेनेवा में एक अभिसमय हुआ था, वह अभिसमय अभी लागू है। यद्यपि आतंकवादिता अनूसूची में नहीं है तथापि इस अपराध के आधार पर प्रत्यर्पण किया जा सकता है। इस संबंध में मैं यहकहना चाहता हूं कि अब हम इस अभिसमय से बाध्य नहीं हैं। यह भारत और किसी देश के बीच प्रत्यर्पण व्यवस्था में स्वतः ही लागू नहीं होगा। संधि में इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि अनूसूची के कौन प्रत्यर्पण के अन्तर्गत आयेंगे। अनूसूची में आतंकवादिता शामिल नहीं है। अतः यह किसी संधि के द्वारा लागु नहीं किया जा सकता है। भगोड़ा अपराधी शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिये किया गया

है जो अनुसूची में उल्लिखित किसी अपराध के कारण दोष सिद्ध ठहराया गया हो। इस आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति का तब तक प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह अनुसूची में उल्लिखित किसी अपराध के आधार पर दोषी न हों।

जेनेवा अभिसमय के मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कभी लागू हुआ ही नहीं। यह १९३७ में हुआ था जिस समय यूरोप में कई बड़ी बड़ी हत्यायें हुई। फलस्वरूप १९३७में जेनेवा में एक अभिसमय किया गया और भारत ने भी उस में हस्ताक्षर किये। इस के सम्बन्ध में रूस से प्रकाशित "राज्य तथा विधि संस्था" के शीर्षक के अधीन वहाँ की विज्ञान अकादमी के प्रकाशन में कहा गया है कि २४ देशों के प्रतिनिधियों ने जिन में रूस भी शामिल था जेनेवा में आतंकवाद को दंडनीय ठहराने के एक अभिसमय पर हस्ताक्षर किये। उसमें आगे यह भी कहा गया है कि हस्ताक्षर करने वाले देशों ने आतंकवादी कार्यवाहियों के अपराधियों को दंड देनेका बचन दिया तथापि भविष्य की घटनाओं से यह बात सिद्ध हुई कि साम्राज्यवादी देशों ने साम्राज्यवाद के प्रसार के लिये आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ा, इस अभिसमय की न तो पुष्टि ही की गयी और न ही यह कभी लागू हुआ।

अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विधेयक के साथ संयुक्त समिति की सर्वसम्मत सिफारिश संलग्न है, अतः मैं इस बात का कोई कारण नहीं देखता कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने के प्रस्ताव का विरोध किया जाये। चर्चा से यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार के विधान के सम्बन्ध में अधिकांश सदस्य एकमत हों। मतभेद केवल इस बात पर है कि क्या राष्ट्रमंडलीय और राष्ट्रमंडलेतर देशों के बीच इस प्रकार का विभेद किया जाये। इस संबंध में मैं यह बता चुका हूं कि मूल विधि एक ही है यदि भेद है तो केवल प्रक्रिया के संबंध में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री ही० ना० मुकर्जी का संशोधन संख्या मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि भगोड़े आदमियों के प्रत्यर्पण संबंध विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को उस पर १५ अक्टूबर, १९६२ तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भगोड़े अपराधियोंके प्रत्यर्पण संबंधी विधि का समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

पहिले मैं खंड २ से ६ का सभा क सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है।

"कि खंड २ से ६ विधेयक का अंग बने।"

स्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ७ (मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रक्रिया)

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन सभा के सम्मुख प्रस्तुत है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने देश की विधि से अपराधी हो किन्तु वह जिस देश में रहता है वहाँ की विधि से अपराधी नहीं ठहरता हो तो उसके विरुद्ध प्रत्यर्पण की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं श्री टाँटिया को यह बताना चाहता हूं कि प्रत्यर्पण केवल उन्हीं अपराधों पर होगा जो कि अनुसूची में दिये गये हैं । अनुसूची में केवल वही अपराध दिये गये हैं जो कि भारतीय दंड संतिहा की परिभाषा के अधीन भी अपराध हैं । अतः प्रत्यर्पण केवल उन्हीं अपराधों के कारण हो सकता है । (१) जो दूसरी अनुसूची में दिये गये हों और (२) जो प्रत्यर्पण संधि के अधीन आते हों । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री रामेश्वर टाँटिया को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ।

संशोधन संख्या १ सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८ से ३७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

पहिली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रधान मंत्री की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । मेरा मत है कि विधेयक को जल्दबाजी से पारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

इस विधेयक द्वारा राष्ट्रमंडलीय देशों के पक्ष में कुछ भेदभाव किया जा रहा है जो किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता है । भले ही यह भेदभाव प्रक्रिया संबंधी ही हो तथापि इस का कोई औचित्य नहीं है । राष्ट्रमंडलीय देशों के संबंध में इस में यह विहित किया गया है कि न्यायिक प्रशासन के अधिकारी केवल यह देखेंगे कि वारंट वैध दृष्टि से ठीक है या नहीं और सभी आवश्यक बातों की पूर्ति हुई है या नहीं केवल इतना होने पर ही प्रत्यर्पण कर दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि राष्ट्रमंडलीय देशों में पाकिस्तान भी शामिल है जहां कि लोकतन्त्रात्मक अधिकार कुचले जा रहे हैं और फलस्वरूप कई लोगों को वहां से भागने को मजबूर होना पड़ा है। उस देश में लोकतन्त्रात्मक परिवर्तन लाने का गंभीर एवं वास्तविक प्रयत्न किया जा रहा है।

इस विधेयक में राजनीतिक अपराधों की नितान्त उपेक्षा की गयी है। इस संबंध में हमारा यह कर्तव्य है कि हम संसार को यह बतायें कि हम ऐसे सभी लोगों को राजनैतिक शरण देंगे जो अन्य देशों में, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रमंडलीय देशों को सम्मिलित कर के यातना सह रहे हैं। सरकार को चाहिये कि इस बात का परित्राण रखा जाये कि राजनैतिक अपराध इस विधेयक के चंगुल में नहीं आ सकें। वस्तुतः १९३७ में हम ने जेनेवा अभिसमय में जो हस्ताक्षर कर दिये थे वह केवल इस कारण कि उस समय हम पराधीन राष्ट्र थे तथापि मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि १९४७ के पूर्व भारत द्वारा अन्य देशों के साथ किये गये समझौतों के संबंध में क्या किया जायेगा। यह भी ध्यान रखने की बात है कि १९३७ के अभिसमय में केवल भारत ने ही हस्ताक्षर किये थे। इंगलैंड ने इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान दूसरी अनुसूची पर दिलाना चाहता हूं जिसे पारित करने के पूर्व बहुत सावधानी से विचार कर लेना जरूरी हो गया है। इस से सरकार को दूसरी अनुसूची में और अधिक अपराधों को शामिल करने की शक्ति दे दी गई है। यह उपबन्ध अस्पष्ट और बहुत व्यापक है अतः सरकार को इसे पारित करने के पूर्व बहुत सोच विचार कर लेना आवश्यक है। तथापि सरकार उसे सामान्य निर्वाचन के पूर्व पहले ही सत्र में ला कर इसे शीघ्रता से पारित करना चाहती है।

इस संबंध में सरकारी पक्ष की ओर से जो भाषण दिये गये हैं उन से यह ज्ञात होता है कि सरकारी पक्ष के सदस्यों को प्रत्यर्पण के सिद्धान्तों की भी जानकारी नहीं है।

यह अच्छा होता कि यदि भारत अपनी प्रत्यर्पण विधि बनाता। साथ ही मेरा सुझाव यह है कि इस संबंध में विधि आयोग की सलाह ले ली जाती तो बहुत अच्छा रहता। तथापि ऐसा कुछ नहीं किया गया। यद्यपि इस में कुछ अच्छी बातें भी रखी गयी हैं तथापि मेरे विचार से यह विधेयक इतनी जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिये जितनी जल्दबाजी में यह किया जा रहा है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : मैं अपने से पूर्व वक्ता के प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि राष्ट्रमंडल में ही ऐसे बहुत से देश हैं जिन की विधियों का हमें कोई पता नहीं है। १९५० के पश्चात् से हिन्दुस्तान से बहुत भगोड़े गये हैं जिन में धोखेबाज, ठग और अनेक प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं। पाकिस्तान ने हमें उन्हें नहीं सौंपा है। पता नहीं हम ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं जिस से हमें उस देश के भगोड़ों को उन्हें ही सौंप देना होगा।

पाकिस्तान के साथ अपने वर्तमान संबंधों को देखते हुए हमारे लिये इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी करना ठीक नहीं था और हमें विशषेतः दूसरी अनुसूची के सम्बन्ध में बहुत अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये।

श्री टांटिया का संशोधन बहुत समीचीन था तथापि उन्होंने उसे वापस ले लिया।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मेरे विचार से विधेयक के पारित करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है। इस विधेयक के लिये एक संयुक्त समिति नियुक्त की गयी थी। उस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

ने पिछले सत्र के दौरान अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रकार एक विवादास्पद विषय को एकमत बनाने के लिये जो भी प्रयत्न संभव हो सकता था वह किया गया।

साम्यवादी दल के एक सदस्य ने कांग्रेस दल के सदस्यों के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया है ऐसा करना वांछनीय नहीं है। जिन कांग्रेसी सदस्यों ने इस विधेयक की चर्चा में भाग लिया उन्होंने इस पर अपनी सामर्थ्ययानुसार पूरा अध्ययन और परिश्रम किया। मेरा विचार से इस पर किसी को भी अपना निर्णय देने का अधिकार नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा की बैठक बुधवार, ८ अगस्त, १९६२/१७ श्रावण, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

† मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२

१६ श्रावण १८८४ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१२५—१४७
तारांकित प्रश्न संख्या	
४९ दिल्ली के लिये वृहद् योजना	१२५—१२७
५० टिड्डियों का आक्रमण	१२७—१३०
५१ ट्रंक काल की बुकिंग में "क्यू" व्यवस्था का उपकरण	१३०—१३१
५२ फसल का बीमा	१३१—१३३
५३ खाद्यान्नों के मूल्य	१३३—१३६
५४ ग्रेट ब्रिटेन की विमान यात्रा के टिकट	१३६—१३७
५५ बम्बई पत्तन का आधुनिकीकरण	१३७—१३८
५६ दिल्ली जल सम्भरण	१३८—१४१
८७ रेलवे दुर्घटनायें	१४२—१४७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
१ अमरीका से दूषित आटा	१४७—१४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या	
५७ दामोदर घाटी निगम की नौपरिवहन नहर	१४९
५८ खाद्य उत्पादन	१४९—१५०
५९ राष्ट्रीय चक्की प्रयोगशाला	१५१
६० बंगाल-बिहार क्षेत्र से कोयला ले जाने के लिये वैगन	१५१—१५२
६१ सोन बांध परियोजना	१५२
६२ कोसी परियोजना से बिजली	१५२

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

६३	डाक तथा तार चुनाव बोर्ड	१५३
६४	विदेशी पर्यटकों के लिये होटल आवास और इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों में स्थान . .	१५३–५४
६५	रावी और यमुना पर बांध	१५४
६६	टेलीफोन कालों पर "क्रेडिट कार्ड" सुविधायें . . .	१५४
६७	भूमि अर्जन	१५४–५५
६८	वनस्पति में रंग मिलाना	१५५
६९	डाक तथा तार कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां . .	१५५–५६
७०	व्यास बांध के लिये विदेशी मुद्रा	१५६
७१	उड़ीसा डाक तथा तार सर्किल . .	१५६–५७
७२	इंजैक्शन की शीशियों में धूल आदि	१५७
७३	यात्रा पर प्रतिबन्ध का एयर इण्डियन के राजस्व पर प्रभाव .	१५७–५८
७४	खाद्य अपमिश्रण	१५८–५९
७५	गन्ने का मूल्य : : : :	१५९
७६	सूटोफुकुरी आसाम में विषाक्त भोजन के मामले . .	१६०
७७	मद्रास हवाई अड्डे पर बी० ओ० ए० सी० के जेट विमान की दुर्घटना	१६०
७८	रामगंगा परियोजना . . .	१६०–६१
७९	सड़क बोर्ड	१६१
८०	टिड्डी दल . . .	१६२–६३
८१	परिवहन उपक्रम	१६३–६४
८२	कृषि उत्पादन . . .	१६४
८३	कोयले का परिवहन . . .	१६४–६५
८४	खम्भात विद्युत् परियोजना . . .	१६५
८५	वनस्पति में रंग मिलाना . : . . .	१६५
८६	ऊपरी सिलेरू परियोजना	१६६
८८	आसाम और पश्चिम बंगाल में खाद्य में विष के मामले . .	१६६
८९	यन्त्रीकृत फार्म . . : . .	१६७
९०	रेलगाड़ियों में से खतरे की जंजीरों को हटाना . . .	१६७–६८
९१	कोचीन में मत्स्यपालन कार्यकर्ता प्रशिक्षण संस्था .	१६८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७७	कोसी परियोजना के पश्चिमी तटबन्ध पर रेल मार्ग	१६८
७८	पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी स्टेशन के प्लेटफार्म पर शेड का निर्माण	१६८–६९
७९	अदरख का विकास	१६९–७०
८०	काजू, काली मिर्च और अदरख का विकास	१७०
८१	पंजाब में परिवार नियोजन कार्यालय	१७०–७१
८२	वन अनुसन्धान केन्द्र, देहरादून	१७१
८३	दिल्ली की नजफगढ़ झील	१७१
८४	दिल्ली में यमुना का दूसरा पुल	१७२
८५	चिकित्सा अधिकारियों को छुट्टियां	१७२–७३
८६	यन्त्र चालित नौकायें	१७३
८७	बेर के फल में सुधार	१७३–७४
८८	राजस्थान में भेड़-पालन केन्द्र	१७४––७६
८९	दमचरा में रक्षित वन	१७६
९०	त्रिपुरा के न्यायालयों में वन अभियोग	१७६
९१	सोनापुरा, त्रिपुरा में भूमि	१७६–७७
९२	व्यक्तियों की खाद्य सम्बन्धी आदतें	१७७–७८
९३	असैनिक उड्डयन में प्रयुक्त विमान	१७८
९४	उप-डाकघर टीकमगढ़	१७८–७९
९५	पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का सम्भरण	१७९
९६	व्यापारिक फसलें	१७९
९७	गेहूं और गेहूं उत्पादों को लोकप्रिय बनाना	१७९–८०
९८	टेलीफोन लाइन	१८०
९९	भवानीपटना में जनरल पोस्ट आफिस की इमारत	१८०
१००	बेट्टथ पुट्टथयंगाड़ी में सार्वजनिक टेलीफोन	१८०–८१
१०१	कालीकट में बड़े डाकघर की इमारत	१८१
१०२	राष्ट्रीय राजपथ	१८१
१०३	हिमाचल प्रदेश में वनों का उपयोग	१८१–८२
१०४	पंजाब में फार्म की उपज	१८२
१०५	रेलवे पर डकैतियां	१८२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी]

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०६	गोदी कर्मचारियों को रात्रि को काम करने का भत्ता	१८२—८३
१०७	बोकारो के समीप दामोदर नदी पर बांध . . .	१८४
१०८	ओलावाकोट जंक्शन पर विश्राम गृह . . .	१८४
१०९	केरल में साइलेंट घाटी परियोजना	१८४
११०	नोआमण्डी बंसपानी रेलवे लाइन का विस्तार . .	१८५
१११	नेरगंडी और खुर्दारोड स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन . .	१८५
११२	रेलवे द्वारा कोयले का परिवहन	१८५—८६
११३	कृषि उत्पादन	१८६
११४	फरक्का बांध	१८७
११५	गन्ने की किस्म में सुधार	१८७—८८
११६	मौसम का चार्ट	१८८
११७	दिल्ली में जल निस्सारण की व्यवस्था में सुधार . .	१८८—८९
११८	पौदों के संरक्षण के उपाय	१८९
११९	इडुक्की विद्युत् परियोजना	१९०
१२०	सिगनल और दूर संचार सम्बन्धी आकस्मिक कर्मचारी वर्ग .	१९०
१२१	सहकारी समितियां	१९१
१२२	मध्य रेलवे के कारी पहाड़ी रेलवे स्टेशन को पुनः खोलना .	१९१
१२३	वाराणसी और गोरखपुर के बीच रेलवे लाइन . . .	१९२
१२४	पानी की सप्लाई	१९२
१२५	मुजफ्फरपुर जिले में रेलवे पुल का टूट जाना . . .	१९२
१२६	रेलवे कर्मचारियों को पेन्शन	१९३
१२७	कोसी पश्चिम नहर	१९३
१२८	प्रसंकर मक्का के बीज	१९३—९४
१२९	कोयले के ढुलाई के लिये अतिरिक्त लाइन . . .	१९४—९५
१३०	केन्द्रीय डाकतार मन्त्रणा परिषद्	१९५
१३१	ग्राम दान और भूदान क्षेत्रों में कृषि उत्पादन का विकास . .	१९५
१३२	दिल्ली में सब्जियों की खेती	१९५—९६
१३३	रेल दुर्घटनायें	१९६—९७
१३४	चेचक उन्मूलन कार्यक्रम . . .	१९७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३५	पोस्टल स्टाक डिपो, शिलांग	१६७
१३६	बोनगई गांव में जोगी घोपा तक रेलवे लाइन का विस्तार	१६७-६८
१३७	परिवार नियोजन	१६८
१३८	असैनिक अस्पतालों में पुरुष नर्स	१६८
१३६	राष्ट्रीय क्षयरोग संस्था, बंगलौर	१६८-६६
१४०	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, दिल्ली	१६६-२००
१४१	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	२००
१४२	रेलवे डाक सेवा, आन्ध्र का विभाजन	२०१
१४३	फल और सब्जियां	२०१
१४४	रेलवे के असिस्टेंट सर्जनों के वेतन स्तर	२०१-०२
१४५	सत्ता का विकेन्द्रीकरण	२०२
१४६	तांबे के तारों की चोरी	२०३
१४७	कांगड़ा घाटी रेलवे के लिये सर्वेक्षण	२०३-०४
१४८	भारतीय औषधियों के लिये केन्द्रीय परिषद्	२०४
१४६	राजस्थान में ग्राम्य विद्युतीकरण	२०४-०५
१५०	त्रिपुरा में फसल को हानि	२०५
१५१	त्रिपुरा के किसान	२०५
१५२	रिंग रोड, दिल्ली	२०५-०६
१५३	विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिये विशेष डाक टिकट	२०६
१५४	भाखड़ा से दिल्ली को बिजली का सम्भरण	२०६
१५६	देश के सरकारी अस्पताल	२०७
१५७	असैनिक हवाई अड्डे	२०७
१५८	बिहार में बाढ़ के कारण रेलवे को हुई हानि	२०८
१५६	पंजाब में पानी का इकट्ठा होना	२०८
१६१	बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त रेलवे पुल	२०८
१६२	मद्रास तक कोयला पहुंचाने के लिये वैगन	२०८-०६
१६३	उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग को इमारतें	२०६-१०
१६४	राष्ट्रीय राजपथ ४७ पर पुल	२१०
१६५	हृदय रोग	२१०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६६	आगरा में बटेश्वर घाटों का जीर्णोद्धार . . .	२११
१६७	दिल्ली में अस्पतालों में पलंग	२११
१६८	दिल्ली परिवहन की बस दुर्घटना	२११-१२
१६९	साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में बन्दरों का उत्पात . .	११२
१७०	दुर्गापुर नहर में बाढ़	२१२
१७१	गुन्टूर में यात्रियों को नेनाली के लिये रेलवे टिकटों का न दिया जाना	२१२-१३
१७२	देहाती इलाकों में डाकखाने	२१३
१७३	स्टेशनों की सूची में कौरतल्लम का शामिल किया जाना .	२१३
१७४	आसाम में डाक-तार घर	२१४
१७५	कावेरी नदी बोर्ड	२१४
१७६	रेलवे संरक्षण बल के अफसर द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ . .	२१४
१७७	वन विकास	२१५
१७८	भद्रक स्टेशन पर बुक किये गये माल से वसूल किया गया माल भाड़ा.	२१५
१७९	डाकियों का स्थायीकरण .	२१५
१८०	गांवों में बिजली लगाना . .	२१६
१८१	उत्तर कनारा में नया रोग .	२१६
१८२	मनीपुर में टेलीग्राफ लाइन . .	२१६-१७
१८३	मनीपुर में लीमाखोंग बिजली योजना .	२१७-१८
१८४	जापानी सहायता से नमूने के फार्म	२१८
१८६	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान चालकों की मृत्यु .	२१८-१९
१८७	केरल में डाक व तार कर्मचारियों की कमी .	२१९
१८८	रेलवे यात्री भाड़ों में वृद्धि . . .	२१९
१८९	बीज उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम .	२१९-२०
१९०	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग	२२०
१९१	फतेहाबाद को रेलवे लाइन से मिलाना	२२०
१९२	डाकखानो में धन का हेर फेर . . .	२२०-२१
१९३	चीनी का उत्पादन	२२१-२२
१९४	टिकट कलक्टर और रेलवे मजिस्ट्रेट के बीच झगड़ा . .	२२२
१९५	नलकूपों द्वारा सिंचाई . . .	२२२-२३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१९६ बारक नदी आसाम पर मैनाधार बांध . . . २२३
१९७ रुद्रमपुर तार तथा सार्वजनिक टेलीफोन सुविधायें . . २२३
१९८ रामागुंदम और गोदावरी खनी के बीच रेलवे साइडिंग . . २२३–२४
१९९ तीसरे दर्जे के यात्रियों पर दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध २२४
२०० बम्बई-विजयवाड़ा जनता एक्सप्रेस २२४
२०१ दिल्ली डिवीजन में स्थायी लाइनों के सहायक निरीक्षकों को स्थायी बनाना २२४
२०२ चालू वर्षा ऋतु में रेलवे लाइनों को क्षति . २२४-२५
२०३ फार्म आयोजन २२५
२०४ "इण्डियन शिपर" में आग दुर्घटना . . . २२५–२६
२०५ सेतुसमुद्र योजना २२६
२०६ हिसार में टेलीफोन कनेक्शन २२६
२०७ हिसार का मुख्य डाकघर . . . २२६–२७
२०८ दिल्ली फाजिल्का मार्ग २२७
२०९ फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम २२७-२८
२१० पूना बंगलौर राजमार्ग पर बाढ़ का पानी . . . २२८
२११ अस्पतालों में कैजुअलिटी और एमरजेन्सी डिपार्टमेंट २२९
२१२ खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, १९५४ . . . २३०
२१३ आगरा छावनी के निकट खैरिया रोड पर लैवल क्रासिंग . २३०–३१
२१४ जमुना नदी पर आगरा में पुल २३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३१--३५

(१) भारतीय तार अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अधीन भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :---

(एक) दिनांक २६ मई, १९६२ की एस० ओ० संख्या १६२१ ।

(दो) दिनांक ७ जुलाई, १९६२ की एस० ओ० संख्या २०७८ ।

(तीन) दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९४३ ।

विषय पृष्ठ

(२) दिल्ली में बिजली के संकट और कलकत्ते में बिजली की स्थिति के बारे में वक्तव्य।

(३) देश में बाढ़ स्थिति के बारे में वक्तव्य।

(४) कृष्णा-गोदावरी आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य।

(५) मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अधीन, त्रिपुरा मोटरगाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २५ नवम्बर, १९६१ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ८ (६)—एम० वी०/६१।

(ख) दिनांक २६ मई, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ४(२)—एम०/वी० ६१।

(६) मोटरगाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिल्ली मोटरगाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली क्रमशः १२ अप्रैल, १९६२ और २४ मई, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/१३०/५६–६१/पी० आर० (टी०) और संख्या एफ० १२/४१/६१-परिवहन।

(ख) अण्डेमान और निकोबर द्वीपसमूह मोटरगाड़ी नियम, १९३९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ अप्रैल, १९६२ के अण्डेमान और निकोबर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ६६/६२/एफ० ६८–१७६/६१–पब।

(७) वणिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा १६ की उपधारा (६) के अधीन नौवहन विकास निधि समिति की ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्रतिवेदन और प्रमाणित लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(८) कोचीन में दूसरे शिपयार्ड के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३८५ पर, श्री स० च० सामन्त द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के ३ मई, १९६२ के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य।

विषय पृष्ठ

(९) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अधीन दिनांक १४ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१६५ में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकार (योजना के अनुमोदन का प्रकाशन) विनियम, १९६२ ।

(दो) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २५ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार वर्ष १९५९–६० के प्रमाणित लेखे और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(१०) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) असम और पश्चिमी बंगाल में मजूरी में अन्तरिम वृद्धि करने के लिये चाय बागान उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर दिनांक ७ जुलाई, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्लू० बी०-३/३४/६२ ।

(दो) त्रिपुरा में मजूरी में अन्तरिम वृद्धि देने के लिये चाय बागान उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर दिनांक १९ जुलाई, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्लू० बी०-३/४३/६२ ।

(तीन) वर्ष १९६१–६२ के लिये कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(११) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उप धारा (३) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष १९६२–६३ के बजट प्राक्कलन ।

(१२) भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ८२ जे की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २००४ में प्रकाशित रेलवे दुर्घटनायें (प्रतिकर) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति उसके शुद्धिपत्र सहित ।

विषय पृष्ठ

(१३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६२।

(ख) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९६२।

(ग) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७८ में प्रकाशित चावल और धान (असम) मूल्य नियन्त्रण आदेश, १९६२।

(घ) दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७९ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियन्त्रण आदेश १९६२।

(ङ) दिनांक १८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६२।

(च) दिनांक २४ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२३ में प्रकाशित (उत्तर प्रदेश) धान और चावल (लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६२।

(१४) पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, १९६० की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ३० जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २००५ में प्रकाशित पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम १९६२ की एक प्रति।

(१५) भारतीय वायुयान अधिनियम, १९३४ की धारा १४क के अन्तर्गत दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७२ में प्रकाशित भारतीय वायुयान (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित।

समिति के लिये निर्वाचन २३५

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय परिचर्या परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २३६

तीसरा प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पारित	२३६—४५
(१) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।	
(२) प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।	
विचाराधीन विधेयक	२४५—६०

विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि प्रत्यर्पण विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । विधेयक पर खण्डवार चर्चा भी समाप्त हुई । विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, ८ अगस्त १९६२/१७ श्रावण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

प्रत्यर्पण विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा और उसका पारित किया जाना, हिन्दु दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उसका पारित किया जाना, और ईसाई विवाह तथा वैवाहिक कारण विधेयम को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1428 (Ai) LSD—13-12-62—1000.